दशम माला, खंड 38, अंक 1

गुरूवार, 23 मार्च, 1995
2 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

23 मार्च,1995 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	17	अंतरण संशोधन	अंतरण(संशोधन
(1)	22	श्री गिरधारी लाल भार्गव	श्री गिरधारीलाल भार्गव
5	6	12.00मध्याह्न पर	मध्याह्न 12.00 बजे
11	नीचे से 15	कोयला धोवनाशाला	कोयला धोवनशाला
35	12	मंत्रालय के मंत्री	मंत्रालय के राज्य मंत्री
44	2	श्रीमती सरोद दुबे	श्रीमती सरोज दुबे
48	11	प्रसारण मंत्री के	प्रसारण मंत्रालय के
125	13	1509	1508
139	13	निर्णमधीन	निर्णयाधीन
155	2	1549	1548
156	20	मंत्रालय में राज्य मंत्री	मंत्रालय के राज्य मंत्री
159	नीचे से 15	1155	1555
176	20,22,23	12.00 मध्याह्न	मध्याह्न 12.00 बजे
176	नीचे से पांचवीं	समय श्रीमती	इस समय श्रीमती
182	10	विधान सभा के का लोप करें।	
187	22	डा. कार्तिकेश्वरपत्र	डा. कार्तिकेश्वर पात्र
217	नीचे से 3	+ का लोप किया जाये	
218	2	(व्यवधान) को केन्द्र में लाया जाये	
218	5	601 म.प.	6.01 म.प.
218	6	14 मार्च,1995 3 चैत्र, 1917	14 मार्च,1995/ 3 चैत्र,1917

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 8, गुरुवार, 23 मार्च, 1995/2 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 160	5—21
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1386 से 1580	21—176
सभा पटल पर रखे गये पत्र		177—181
राज्य सभा से संदेश		181
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक-सभापटल पर रखा गया		
राज्य सभा द्वारा यथापारित		181—182
बिहार में चुनाव स्थगित किये जाने के बारे में		182—207
लोक लेखा समिति		
छियासीवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		207
पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
बारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		207
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) संशोधन विधेयक		
विचार करने के लिए		
श्री गिरधारी लाल भार्गव		209—211
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति		211—212
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत		
श्री लोकनाथ चौधरी		213—214
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अतरंण) संशोधन विधेयक		
विचार करने के लिए		
प्रो. सुशांत चक्रवर्ती		214—215
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति		215
खण्ड 2 से 4 तथा 1		216
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (मूर्ति)		217

लोक सभा

गुरूवार, 23 मार्च, 1995/2, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि बिहार में चुनाव तिथियों को फिर बदल दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मैं सभा का कार्य निर्धारित करने तथा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने संबंधी नियमों के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि हम इस समय व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठायेंगे तो फिर आप शून्य काल में भी ऐसा नहीं करने देंगे। मेरा सभा का कार्य निर्धारित करने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पीठासीन अधिकारी से अनुदेश चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपनी बात कह कर बैठ जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : ....**(व्यवधान)** जिस तरह से तारीखों का रोज पोस्टपोनमेंट हो रहा है, उससे सारे बिहार की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। वहां लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है और हम लोग यहां खड़े हैं। 16 जनवरी को इलैक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया। पहले सात, नौ और 11 तारीखें दी गईं, उसके बाद तारीखें बढ़ाकर 11, 15 और 19 की गई। इसके बाद फिर तारीखें बढ़ाई गई। वहां 11 तारीख को चुनाव कराया गया और फिर तारीखें बढ़ाने का काम किया गया। तीन महीने से वहां ट्रैक्टर, बसेज और व्हीकल्स सीज्ड हैं। वहां एक-एक बार नहीं, बल्कि 4-4 बार व्हीकल्स को पकड़ा जा रहा है और इस देश में यह बात कही जा रही है कि इलैक्शन कमीशन को .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे इस प्रकार नहीं उठा सकते। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसे प्रश्न काल के पश्चात उठाने की अनुमति दूंगा। इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित भी किया जाएगा।

(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मेरे साथियों ने राज्यपाल तथा केन्द्रीय सरकार का नाम लिया है। इसलिये मैं बोल रहा हूं। किसी भी राज्य में चुनाव राज्य सरकार तथा मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श के बाद ही कराये जाते है। बिहार में एक चुनी हुई सरकार है। केन्द्रीय सरकार की केवल एक ही भूमिका है और वह यह कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के अनुरोध पर अर्ध सैनिक बल दे जोकि पुलिस बल के अतिरिक्त होवें ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखा जा सके। हमारी और कोई भूमिका नहीं है। तारीखें राज्य सरकार के परामर्श से ही तय की जाती हैं। आज वहां चुनी हुई सरकार है। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के बीच है। इसका केन्द्रीय सरकार से कोई मतलब नहीं।

मैं आपकी भावनाओं को बांटना चाहता हूं **(व्यवधान)**

मैं, सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं कि जब इस प्रकार तारीख बढ़ाई जाती है तो उम्मीदवार पर बोझ पड़ता है। हम सभी ने चुनाव लड़े हैं। हम सभी महसूस करते हैं कि जब इस हद तक तारीखें बढ़ाई जाती है, तो पार्टी पर बोझ पड़ता है, उम्मीदवार पर बोझ पड़ता है और आम आदमी पर बोझ पड़ता है। मैं आप से सहमत हूं कि ट्रैक्टरों और बसों को पहले ही ले लिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु बिहार के मामले में 800 कंपनियां दी गई है जोकि देश के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं दी गई क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि यदि इतनी संख्या में बल नहीं दिये जाते, तो वह चुनाव नहीं करायेंगे। अतः हमने असम और मणिपुर से सैनिक बल निकाल कर दिये। अतः, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे हमारा कुछ संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं इतनी ही सफाई मांगना चाहूंगा...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, उनका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, अभी राजेश पायलट जी ने कहा कि यह सूबे की सरकार और सी.ई.सी. का मामला है, लेकिन इस बार जो चुनाव पोस्टपौंड हुए, वह गवर्नर की रपट जो सीधे आपको यहां पहुंची, उसको लेकर हुए। वह रिपोर्ट सरकार के थ्रू भेजी जानी चाहिये थी। आज वहां सरकार है और यह सरकार के बीच का मामला है। यह साफ कहा गया है कि इलैक्शन कमिश्नर के द्वारा गवर्नर की रिपोर्ट आई है जो कि यह दर्शाती है कि चुनाव की तारीखें बढ़ायी जायें।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गवर्नर को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। गवर्नर को सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए, बिहार की सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए। उनको सूबे की सरकार को इन्फार्म करना चाहिए। मान लो, अगर कहते सूबे की सरकार को, तो वह पोस्टपोन्मेंट करने काम करती। इसलिए मेरा कहना है कि गवर्नर का जो काम हुआ है, जो रोल हुआ है, उस रोल को क्या आप संवैधानिक तरीके से एप्रूव करते हैं? क्या आप मानते हैं, वह वाजिब बात है कि सीधे गवर्नर सीईसी की रिपोर्ट को आधार मान कर चुनाव को पोस्टपोन करें?

मेरी आपसे विनती है कि चुनाव-सुधार पूरा सदन चाहता है। चुनाव सुधार का यह मतलब नहीं है, स्वाधीनता का यह मतलब नहीं है, जो हुआ है। सीईसी का काम है, चुनाव कराना है और 15 मार्च को इस विधान का सभा कार्यकाल समाप्त हो रहा था। बिहार सरकार में फोर्स की कमी है, यह आपको लिखा है यानि आपकी सरकार को लिखा है कि यहां फोर्स की कमी है और कल्पना की है कि पूरे देश भर में चुनाव होंगे, तो क्या देश में इतनी फोर्स होगी। फोर्स के नाम पर पहले भी चुनाव होते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं, उनमें सब धांधली हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने खुद ही फोर्स को मांगने का काम किया है और कहा है कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है अपर्याप्त बल के चलते हम पूरी तरह से चुनाव को सक्षम तरीके से नहीं करा सकते हैं, इसलिए हमको और बल चाहिए। यह सीईसी ने अकेले मांग नहीं रखी है। यह तारीख देने के पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हमको फोर्स पूरी तरह से चाहिए। क्या होगा खर्च का, क्या होगा प्रत्याशी के खर्च का, लेकिन जो जनता के ऊपर खर्च बढ़ा है, वहां की सरकार के ऊपर बोझा पड़ रहा है और वहां का जो किसान है, जिनका सबसे अधिक फसल का समय है यानि एग्रीकल्चर पीक-आवर्स पर है, वहां चार-चार बार ट्रैक्टर्स को सीज किया गया है और वहां की सारी बसों को सीज किया गया है और सत्तर लाख लोग बाहर से वहां गए हैं...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह प्रश्न काल है। आप सभा में गड़बड़ी नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप प्रश्न काल निलम्बित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे निलम्बित नहीं कर रहा हूं। आसान कर रहा हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : यह महत्वपूर्ण मामला है। मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे 12 बजे उठा देंगे तो कोई हानि नहीं होने वाली।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने प्रश्न काल के निलम्बन के लिए पहले ही नोटिस दिया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं प्रश्न काल निलम्बित नहीं कर रहा हूं। मैं आपको मामला 12 बजे उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : यह गंभीर मामला है, अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। कृपया प्रश्न काल निलम्बित करें। हमने नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। सदन इसका निर्णय करे।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने प्रश्न काल के निलम्बन का नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे नोटिस पर मतदान के लिए कहें मैं मान लूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आपने पहले भी कई बार प्रश्नकाल निलम्बित किया है। अब भी ऐसा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : बिहार के सभी लोग क्षुब्ध है क्योंकि उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मार्शल को बुलायें और इन्हें सदन से बाहर निकाल दें।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप हमें सदन से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप चुनाव से क्यों डरते हैं। आप बार-बार चुनाव स्थगित क्यों कर रहे हैं। हम चुनाव की मांग कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

11.14 1/2 म.पू.

इस समय डा. मुमताज अंसारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापति के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही गलत तरीका है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते।

सभा 12.00 मध्यान्ह पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम

*141. **श्री तेजनारायण सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3000 तक की आबादी वाले जनजातीय क्षेत्र समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को आबादी की उपरोक्त सीमा को ध्यान में न रखते हुए सभी जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. तंग्का बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों से बाहर के आदिवासियों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) को अपनाया गया है। माडा पाकेटों की पहचान 10,000 की कुल जनसंख्या में से 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जनजाति बहुल जनसंख्या वाले पाकेटों के रूप में की जाती है। इससे भी आदिवासी बहुत छोटे पाकेटों के लिए समूह दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इन समूहों की पहचान लगभग 5000 की कुल जनसंख्या में से 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले आदिवासी पाकेटों के रूप में की जाती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना/संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पाकेटों/समूहों द्वारा शामिल न की गई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को बिखरी हुई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए कार्यक्रमों द्वारा कवर किया जाता है जिनके लिए लाभग्राही-उन्मुख गरीबी-रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

मंद बुद्धि व्यक्ति

*142. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा. मुमताज अंसारी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंद बुद्धि तथा मस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास की स्थापना करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. तंग्का बालू) : (क) से (घ). मानसिक मंदता व प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस न्यास को शीघ्रताशीघ्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर

*143. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर उपकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपकर के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पेट्रोलियम की खोज, उत्पादन, शोधन और इसके उत्पादों के विपणन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए तेल औद्योगिक और विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) को उपकर की कितनी राशि दी गई;

(घ) क्या इस उपकर राशि का उपयोग बजट घाटा पूरा करने के लिए किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर लगाया गया है, परन्तु प्राकृतिक गैस पर यह नहीं लगाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के दौरान प्राप्त उपकर की कुल राशि 6850 करोड़ रुपए है।

(ग) 1991-92 के दौरान ओ आई डी बी को 95.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। 1992-93 और 1993-94 में कोई राशि नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ). उपकर से प्राप्त हुई धनराशि सरकार के सामान्य रोकड़ शेष का भाग होती है, जिसमें से सरकार अन्य बातों के साथ साथ तेल उद्योग के विकास का वित्त पोषण कर रही है, जिसमें पेट्रोलियम और पेट्रो रसायनों के अतिरिक्त उर्वरक उद्योग भी शामिल हैं।

फिल्मों के लिए भुगतान

*144. **श्री अमर रायप्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों के प्रसारण के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या अलग-अलग चैनलों पर और अलग-अलग दिन प्रसारित की जा रही फिल्मों के लिए दी जाने वाली राशि में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) इस प्रकार की विसंगतियों, यदि कोई है, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या दूरदर्शन द्वारा कुछ फिल्मों को एक वर्ष में कई-कई बार दिखाया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). दूरदर्शन संबंधित चैनल/टाइम स्लॉट पर निर्भर करते हुए फीचर फिल्मों के लिए विशिष्ट आधार पर रायल्टी का भुगतान करता है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ). जी, नहीं। दूरदर्शन द्वारा समय-समय पर अपनी कार्यक्रम संबंधी अपेक्षा के आधार पर केवल विशेष मामलों में अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्मों को पुनः टेलीकास्ट किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट हेतु रायल्टी का दर ढांचा।

1.	हिंदी/क्षेत्रीय (रंगीन)	ए	8.00 लाख रु.
		बी+	6.00 लाख रु.
		बी	4.00 लाख रु.

(i) यदि फिल्म श्वेत-श्याम है तो 25 प्रतिशत कम

(ii) प्रथम आवृत्ति - ग्रेड का 70 प्रतिशत

(iii) द्वितीय और परवर्ती आवृत्ति - ग्रेड का 50 प्रतिशत

2. हिन्दी/क्षेत्रीय फीचर फिल्मों का प्रीमीयर टेलीकास्ट - 8.00 लाख रु.

3. बाल फिल्म

श्रेणी	90 मिनट और अधिक तक	60 मिनट तक
ए	4.00 लाख रु.	2,65,000/- रु.
बी	3.00 लाख रु.	2,00,000/- रु.

4. दिल्ली और संबद्ध अ.श. ट्रांसमीटरों से टेलीकास्ट होने वाली हिंदी फिल्मों के लिए

ग्रेड "ए" फिल्में	-	2.40 लाख रु.
ग्रेड "बी" फिल्में	-	1.80 लाख रु.
ग्रेड "सी" फिल्में	-	1.30 लाख रु.

क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट हेतु रायल्टी दरें निम्नानुसार हैं :

फिल्म की श्रेणी	दिल्ली और संबद्ध ट्रांसमीटर	बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और बंगलौर (उनके संबद्ध ट्रांसमीटरों सहित)	अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, जालंधर, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम	गुवाहाटी श्रीनगर
"ए"	1,30,000	65,000	52,000	32,500
"बी+"	1,00,000	50,000	40,000	25,000
"बी"	70,000	35,000	28,000	17,500

उपग्रह क्षेत्रीय भाषा सेवा

ग्रेड "ए" फिल्में	:	35 लाख रु.	
ग्रेड "बी+" फिल्में	:	30 लाख रु.	
ग्रेड "बी" फिल्में	:	25 लाख रु.	
(i) प्रथम आवृत्ति	:	30% कम	श्वेत-श्याम : 25% कम
(ii) द्वितीय आवृत्ति	:	50% कम	

[हिन्दी]

कोयले की मांग

*145. **श्री सुरजभानु सोलंकी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोयले की कितनी मांग थी;

(ख) किस हद तक इस मांग की पूर्ति की गई थी;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कितने कोयले की मांग होने का अनुमान है; और

(घ) कोयले की मांग और उत्पादन के अन्तर को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांचा) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए कोयले की प्रक्षिप्त मांग तथा इसकी वास्तविक रूप में की गई आपूर्ति नीचे दर्शायी गई है :

(मिलियन टन में)

	1992-93		1993-94	
	प्रक्षिप्त मांग	मांग की आपूर्ति	प्रक्षिप्त मांग	मांग की आपूर्ति
कच्चा कोयला	256.70	241.69	268.80	253.00

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए कोयले की मांग का मूल्यांकन 288.00 मिलियन टन किया गया है।

(घ) वर्ष 1995-96 में मांग की तुलना में देश में कच्चे कोयले का उत्पादन 274.50 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। मांग तथा उत्पादन के बीच अन्तराल को मिश्रण के प्रयोजन हेतु 6 मिलियन टन कोककर कोयले का आयात करके तथा 7.5 मिलियन टन की सीमा तक पिटहैड स्टाक से निकासी करके पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*146. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात न करने संबंधी मुद्दे की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी;

(घ) क्या वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). आयात और निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता अनुभव होने पर कभी भी इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। 1992-97 की एक्जिम नीति के अंतर्गत केवल पांच पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रण मुक्त नहीं किया गया है। पुनश्च, सरकार ने विशेष आयात लाइसेंसों के तहत इनमें से एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बिटुमैन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड और भट्ठी के तेल (एल एस एच एस और एल एस डब्ल्यू आर) के आयात की भी अनुमति दी है।

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

*147. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक दूरदर्शन ने विज्ञापनों के प्रसारण से कितना राजस्व अर्जित किया है;

(ख) वर्ष 1995-96 में कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है;

(ग) दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने हेतु इस राजस्व का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार ने दूरदर्शन के लिए संरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कितना धन खर्च किया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व 332.11 करोड़ रु. है।

(ख) 455 करोड़ रुपए।

(ग) घरेलू तथा बाहरी निर्माताओं के द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है।

(घ) पूंजी और राजस्व योजना खण्ड के अंतर्गत व्यय निम्न प्रकार से है :

1.	1992-93	पूंजी (प्रभारित सहित)	132.69
		राजस्व	43.56
		कुल	176.25
2.	1993-94	पूंजी (प्रभारित सहित)	117.82
		राजस्व	50.40
		कुल	168.20
3.	1994-95	पूंजी × (प्रभारित सहित)	171.06
		राजस्व	84.94
		कुल	256.00

× प्रत्याशित व्यय

[हिन्दी]

विज्ञापन नीति

*148. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर शराब, सिगरेट, पान मसाला आदि के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। दूरदर्शन के विज्ञापन दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा नियंत्रित होते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख होता है कि विज्ञापन इस प्रकार निर्मित होंगे कि वे देश के कानून के अनुरूप हों तथा नैतिकता, शिष्टाचार और लोगों की धार्मिक भावना को ठेस न पहुचाएं।

(ग) और (घ). शराब, सिगरेट और पान मसाले से संबंधित विज्ञापन दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं होते।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशाला

*149. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नए क्षेत्रों के कोयला धोवनशालाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक समझौता हो जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). हाल ही में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने से निजी क्षेत्र में कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने की अनुमति दे दी गई है।

कोल इंडिया लि. ने चरण-I के अंतर्गत "स्व-निर्मित-स्व-चालित" के आधार पर 21.20 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल आगत के लिए 4 वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

चयन किए गए निविदाकर्ताओं तथा कोल इंडिया लि. के बीच करार को, उपभोक्ताओं (मुख्यतः विद्युत गृहों) से धुले कोयले की खरीद किए जाने के लिए दीर्घावधि वचनबद्धताएं उपलब्ध हो जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

गैस रिसाव

*150. **डा. असीम बाला :**

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) के कुओं से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरुप कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि, अगरतला डोम क्षेत्र में कूप संख्या ए डी-डी में 16.1.1995 का गैस का मामूली रिसाव हुआ।

(ख) चूंकि रिसाव कम था, इसलिए नाममात्र की क्षति हुई।

(ग) से (ङ). जी, हां। यह पाया गया कि मास्टर वाल्व के साथ छेड़-छाड़ करने और अतिरिक्त कलपुर्जों की चोरी के कारण रिसाव हुआ। कूएं के आस-पास सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ कर दिया गया है।

चीन के साथ समझौता

*151. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन कोयला क्षेत्र में सहयोग संबंधी कार्यक्रमों पर निगरानी रखने तथा उनकी समीक्षा करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) कोयले के संबंध में भारत और चीन के बीच किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) क्या चीन ने भारत में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना में रूचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयला खानों में चीन की प्रौद्योगिकी का उपयोग किस हद तक किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, हां। चीन के सहयोग से आरंभ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए एक कार्यदल पर सहमति हो गई है। कार्यदल में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, चीन जनवादी गणराज्य के कोयला उद्योग मंत्रालय, चीन नेशनल कोल माइनिंग इंजीनियरिंग इक्युपमेंट ग्रुप कारपोरेशन तथा संबंधित उद्यम, कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, जेस्प एंड कंपनी तथा आंध्र प्रदेश हैवी मशीनरी तथा इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. ने लांगवाल उपकरण के दो सैट तथा एक ट्रंक बैल्ट कन्वेयर प्रणाली की खरीद के लिए चीन नेशनल कोल माइनिंग इंजीनियरिंग इक्युपमेंट ग्रुप कारपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जहां तक कोल इंडिया लि. का संबंध है, को. इं. लि. की चुर्चा वेस्ट, राजेन्द्र, बलरामपुर तथा न्यू कुम्दा भूमिगत परियोजनाओं में लांगवाल खनन आरंभ करने के लिए समझौता मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैस्प एंड कंपनी लि., एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने भी चरणबद्ध रूप में निर्मित किए जाने वाले भूमिगत लांगवाल उपकरण के लिए चीन नेशनल कोल माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण ग्रुप कारपोरेशन के साथ एक सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ.). जी, हां। चीन को सूचित किया गया है कि वाशरियों के निर्माण के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा आमंत्रित विश्व-व्यापी निविदाओं में वे भी भाग ले सकते हैं।

(च) कोयला खनन क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कठिन भू-परिस्थितियों में यंत्रीकृत लांगवाल खनन आरंभ करना; खान निर्माण कार्य जैसे साफ्ट सिंकिंग, वाशरियों का निर्माण तथा ब्रिकेट्स के रूप में कोयला की उपयोगिता, आदि शामिल है।

आयोजना प्रक्रिया

*152. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयोजना प्रक्रिया को नया स्वरूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक निवेश के हिस्से में बढ़ोतरी, क्रियाकलापों के विस्तार में सार्वजनिक क्षेत्रक की अत्यन्त चयनात्मक भूमिका और सरकारी व्यय का आवंटन सामाजिक क्षेत्रकों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना प्रक्रिया के इस पुनरभिमुखीकरण के अनुरूप सकल पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्रक का हिस्सा सातवीं योजना के दौरान 55.9 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (त्वरित अनुमान) में 58.3 प्रतिशत हो गया है और केन्द्रीय योजना में सामाजिक क्षेत्रक के लिए बजट सहायता का घटक सातवीं योजना में 28.0 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 (बजट अनुमान) में 46.4 प्रतिशत हो गया है।

भूजल

*153. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश में भूजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई राष्ट्रीय संदर्शी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने देश में अधिशेष मानसून प्रवाह का उपयोग करके भूजल के पुनर्भरण की अवधारणा पर अध्ययन किया है।

(ख) यह अध्ययन विभिन्न नदी थालों में भू-वैज्ञानिक स्थापनाओं के वृहत (मेक्रो) स्तरीय महत्व के आधार पर भूजल पुनर्भरण की संभावनाओं पर केवल आन्तरिक तकनीकी प्रयोग है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मिशनरियां

*154. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 और 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य-वार कितनी-कितनी मिशनरियां कार्यरत थीं;

(ख) क्या किन्हीं विदेशी मिशनरियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन आधारों पर उन्हें ऐसा करने के लिये कहा गया था;

(घ) क्या कोई ऐसे कानून हैं जिनके अन्तर्गत विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ङ). भारत में पंजीकृत विदेशी मिशनरियों के बारे में (राज्यवार) सूचना, 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है और विवरण के रूप में संलग्न है। 1.1.95 के आंकड़े समेकित किए जा रहे हैं।

मिशनरियों सहित विदेशियों की गतिविधियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें इनके प्रवेश, पंजीकरण, ठहराव और निकासी के विनियमन/प्रबोधन के लिए, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिला-जालोन, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे दो अमेरिकी मिशनरियों को हाल ही में भारत से चले जाने के लिए कहा गया था क्योंकि वे अवांछित कार्य में लिप्त पाए गए थे।

विवरण

1.1.1994 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत मिशनरियों की राज्यवार रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	113
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	8
4.	बिहार	143
5.	गोवा	16
6.	गुजरात	142
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	24
9.	जम्मू और कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	–
11.	केरल	284
12.	मध्य प्रदेश	42
13.	महाराष्ट्र	263
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	51
16.	मिजोरम	10
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	40
19.	पंजाब	–
20.	राजस्थान	2
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	529
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	129
25.	पश्चिम बंगाल	258
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
27.	चंडीगढ़	5
28.	दादरा और नगर हवेली	–
29.	दमण और दीव	–
30.	दिल्ली	38
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	20
	योग	2126

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

*155. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) पर आए वित्तीय संकट पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संकट का मुख्य कारण तेल क्षेत्र में गैर-सरकारी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति है;

(ग) क्या योजना आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यमों में 40 प्रतिशत इक्विटी की सहभागिता करने पर भी अप्रसन्नता प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को क्या करने के सुझाव दिए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). संसाधनों में बढ़ोतरी हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अब पूंजी बाजार में प्रवेश करना संभव है। ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा उत्पादित घरेलू कच्चे तेल की कीमतों में 1992 से वृद्धि होने के फलस्वरूप निगम की आंतरिक संसाधनों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। अतएव योजना आयोग में यह महसूस किया गया कि बदले हुए संदर्भ में पहले से ही खोजे गए तेल फील्डों के विकास का कार्य प्राइवेट कंपनियों को सौंपने, जिसमें ओ एन जी सी की इक्विटी भागीदारी 40 प्रतिशत होगी, के निर्णय की समीक्षा करना वांछनीय होगा। ऐसे फील्डों का ओ एन जी सी द्वारा स्वयं विकास करने से निगम नए भंडारों का पता लगाने में उनके द्वारा पहले ही किए गए जोखिम निवेश के लाभों को प्राप्त करने और इन फील्डों से उत्पादित तेल और गैस के बिक्री राजस्व से अपनी वित्तीय स्थिति में और अधिक सुधार करने में समर्थ होगा।

इलेक्ट्रानिक बार्ब्ड वायर सिस्टम

*156. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इजरायल से "सेंसर अटैच्ड इलेक्ट्रानिक बार्ब्ड वायर सिस्टम" का आयात करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में हाल ही में एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने तेल अवीव का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां उपरोक्त बार्ब्ड वायर सिस्टम स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप घुसपैठ को रोकने में कितनी सहायता मिलेगी?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हां। विभिन्न सीमा सुरक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 18 और 19 जनवरी, 1995 को इजराइल का दौरा किया।

(घ) इस उद्देश्य के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान अभी नहीं की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए, ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

विद्युत संयंत्र

*157. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गैर-सरकारी विद्युत संयंत्रों की स्थापना में धीमी प्रगति पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान 30538 मैगावाट की कुल लक्षित क्षमता वृद्धि के स्थान पर 20000 मैगावाट के लगभग वृद्धि किए जाने की संभावना है। आठवीं योजना के क्षमता वृद्धि लक्ष्य में से आठवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्रक में 2810 मैगावाट के पूर्वानुमान के स्थान पर लगभग 1472 मैगावाट की वृद्धि की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी नागरिकों का पता लगाना

*158. **श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी नागरिकों का पता लगाने का कोई तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य विशेषतः मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों के लिए एक समान तरीका निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ङ). पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों को पहचानने/उनका पता लगाने के कानूनी मानदंड देश के शेष भागों की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक विदेशी की परिभाषा, भारत में विदेशियों के प्रवेश और वहां से उनके प्रस्थान का नियमन विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 तथा विदेशी नागरिक (ट्रिब्यूनल्स) आदेश, 1964 जोकि पूर्वोत्तर सहित सभी राज्यों में एक समान लागू है, के उपबंधों द्वारा होता है। तथापि, दिनांक 25.3.1971 को या उसके बाद असम में घुस आये अवैध प्रवासियों का पता लगाने/उन्हें बाहर निकालने के लिए अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 जोकि उस राज्य में 15 अक्तूबर 1983 को लागू हुआ था, के तहत एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। चूंकि विदेशी व्यक्ति वही है जो नागरिक नहीं है इसलिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंध भी उस पर लागू होते हैं। असम समझौते के अन्तर्गत कवर होने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में इस अधिनियम की धारा 6 क में विशेष उपबंध किए गए हैं। असम राज्य [अर्थात् नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के लागू होने के तुरन्त पहले इस राज्य में शामिल राज्य क्षेत्र के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं।] केन्द्र सरकार ने सितम्बर 1972 में, बंगलादेश से आये अवैध प्रवासियों के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि- केवल उन शरणार्थियों को, जिन्हें 25.3.1971 के बाद बंगलादेश छोड़ने को और भारत में शरणार्थी के रूप में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था को पुनर्वास के लिए बंगलादेश वापिस भेजा जाएगा। यह विचार करते हुए कि पूर्वोत्तर में विदेशियों की समस्या का प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है, विदेशियों की पहचान के लिए राज्यों को स्थानीय जवाब मिलते रहे हैं और भारत सरकार मामले से अवगत है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन योजना

*159. डा. साक्षीजी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गरीबी उन्मूलन योजनाओं के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) केन्द्र सरकार को, गरीबी उन्मूलन के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यान्वित की जा रहीं प्रमुख चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमें ये हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) (2) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और (4) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई)।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

*160. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी थी;

(ख) किन-किन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय छठी पंचवर्षीय योजना से निरन्तर राष्ट्रीय औसत से कम रही है;

(ग) इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन राज्यों में विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए चालू कीमतों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1994-95 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) (छठी पंचवर्षीय योजना से लगातार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय)(प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) से कम है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ग) राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में यह अंतर विभिन्न कारणों जैसे ऐतिहासिक रूप से आधार संरचना का असमान विकास, विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक तथा उद्यमशीलता का विकास तथा वर्षापात, सूखे और बाढ़ तथा जनसंख्या वृद्धि में अंतर से हैं।

(घ) राज्य सरकारें आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं को एक फार्मूले के अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक अधिभार दिया जाता है।

विवरण

चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	1992-93 (पी)	1993-94 (क्यू)
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5767	6489
2.	अरुणाचल प्रदेश	7389	8172
3.	असम	5056	–
4.	बिहार	3280	–
5.	गोआ	11294	11658
6.	गुजरात	7586	–
7.	हरियाणा	9171	10359
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	4212	–
10.	कर्नाटक	6443	7029
11.	केरल	5713	6009
12.	मध्य प्रदेश	4733	5485
13.	महाराष्ट्र	9628	10984
14.	मणिपुर	–	–
15.	मेघालय	5769	5926
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैंड	–	–
18.	उड़ीसा	3963	–
19.	पंजाब	11106	12319
20.	राजस्थान	5035	5009

	1	2	3
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	6205	–
23.	त्रिपुरा	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	4280	–
25.	पश्चिम बंगाल	5901	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6751	–
27.	दिल्ली	–	–
28.	पांडिचेरी	9314	–

क्यू : तुरत अनुमान

पी : अनंतिम

— : संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से संबंधित सरकारों के अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय।

नोट : 1. स्रोत सामग्री में अंतर के कारण आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

2. चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप ये अनुमान तैयार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

नदी जल बहाव का आकलन

1386. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जल आयोग ने गुजरात में नदी जल बहाव का सही आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केंद्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या केंद्रीय जल आयोग ने नदियों में बाढ़ के संबंध में पूर्व चेतावनी दी थी;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान लगाने पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ; और

(छ) केंद्रीय सरकार ने राज्यों में बाढ़ के पूर्वानुमान की यथार्थता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). केन्द्रीय जल आयोग गुजरात में 27 स्थानों पर नदी जल प्रवाह को माप रहा है और 4 स्थानों पर अन्तर्वाह पूर्वानुमान जारी कर रहा है।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गुजरात में 10 स्थानों जिसमें 4 अन्तर्वाह पूर्वानुमान स्थल भी शामिल है, पर बाढ़ पूर्वानुमान सुविधा प्रदान की गई है। बाढ़ अवधि के दौरान अग्रिम चेतावनियां नियमित रूप से जारी की जाती हैं।

(च) वर्ष 91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान पर क्रमशः 91.8 लाख रुपए, 87.6 लाख रुपए और 89.8 लाख रुपए व्यय किए गए।

(छ) वर्ष 1994 के दौरान जारी किए गए पूर्वानुमान 96 प्रतिशत सही रहे, तथापि परिशुद्धता को बढ़ाने का प्रयास निरन्तर जारी है।

[अनुवाद]

वेतनमानों में संशोधन

1387. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र में कर्मचारियों में वेतनमानों और अन्य परिलब्धियों जिनमें 1 जनवरी, 1992 से संशोधन किया जाना था को संशोधित किए जाने के कारण बढ़ रहे असंतोष से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेतनमानों को संशोधित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यवाही योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ). कोल इंडिया लि. के अधिकारियों का वेतनमान 1.1.1992 से संशोधित करने के लिए देय हो गया है। कोयला उद्योग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन कामगारों की मजदूरी में संशोधन किए जाने के पश्चात् किया जाता है। यद्यपि कामगारों के मामले में मजदूरी संशोधन 1.7.1991 से देय हो गया है, फिर भी उसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, क्योंकि इस प्रयोजनार्थ प्रबंधन तथा कामगारों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थगनादेश दिए जाने के फलस्वरूप नवम्बर, 1994 तक समझौता नहीं किया जा सका है।

गुजरात को रसोई गैस की आपूर्ति

1388. श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को रसोई गैस की निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी मात्रा में गैस की मांग थी और कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास वर्तमान में दर्ज एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोबेश पूरी की जा रही है। अस्थायी बैकलाग को बढ़ाए गए घंटों के दौरान और अवकाश दिवसों को भराई संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से एल पी जी की आपूर्तियों में वृद्धि करके तथा आसपास के क्षेत्रों में भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके पूरा किया जाता है।

1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में एल पी जी बिक्रियां नीचे दी गई हैं :

	आंकड़े (ट्रिलियन मीट्रिक टन में)
1991-92	233.9
1992-93	258.1
1993-94	267.2

तेल की खोज

1389. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की प्रमुख तेल ड्रिलिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारतीय तेल खोज परियोजनाओं और अन्य कार्यों में गहरी रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो इन अमरीकी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने भारत में किन-किन परियोजनाओं और कार्यों में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या हाल ही में "होरीजोन्टल ड्रिलिंग" के लिए कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक अमरीकी कम्पनी ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड को उपकरण और सेवाओं के विपणन में भी रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। विभिन्न अमेरिकी कंपनियों ने अपने आप अथवा परिसंघों के भाग के रूप में समय-समय पर प्राइवेट कंपनियों को प्रस्तावित ब्लाकों/क्षेत्रों के अन्वेषण/विकास और संभावना सर्वेक्षणों के लिए बोलियां भेजी हैं। सरकार ने अब तक के जी-ओ एस-90/1, जी के-ओ एन-90/2 और सी वाई - ओ एस-90/1 ब्लाकों के लिए ठेके देने का अनुमोदन किया है जिनके लिए अमेरिकी कंपनियों ने बोलियां भेजी थीं। इसके अतिरिक्त सरकार ने अमेरिका की एन्रान एक्सप्लोरेशन कंपनी के नेतृत्व वाले परिसंघ को मुक्ता, पन्ना और मध्य और दक्षिणी ताप्ती के मध्यम आकारीय क्षेत्रों के विकास के लिए ठेके देने का भी अनुमोदन किया है। मैसर्स जोशी टेकनालाजी इंटरनेशनल इंक. यू एस ए और पेट्रोडायन डंक यू एस ए ऐसे दो परिसंघों के सदस्य हैं जिनके साथ क्रमशः ढ़ोलका और बावेल और आसजोल के छोटे आकारीय क्षेत्रों के विकास के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्नेहकों के विनिर्माण और विपणन के लिए काल्टेक्स पेट्रोलियम कारपोरेशन यू एस ए और भारत की आई बी पी कं. लि. के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए भी अनुमोदन दे दिया गया है। आई ओ सी ने मोबिल ब्रांड स्नेहकों के सम्मिश्रण और विपणन के लिए मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक यू एस ए के साथ एक संयुक्त उद्यम भी स्थापित किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त एक्सान कारपोरेशन आफ यू एस ए ने अपने संबद्धों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण और स्नेहकों के विपणन के लिए एच पी सी एल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

(ग) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि

1390. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल से अत्याधिक महंगे होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संशोधित औद्योगिक नीति के विशेष संदर्भ में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ की गई सशर्त संविदाओं तथा बाजार संबद्ध मूल्यों पर स्थलगत खरीदों, जो मांग और आपूर्ति की स्थिति द्वारा प्रभावित होती हैं और इसलिए इनमें वृहत उतार-चढ़ाव होते हैं, दोनों द्वारा किया जाता है। कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सापेक्ष रूप से एक दूसरे के साथ तुलनीय नहीं हैं।

(ख) सरकार ने तेल शोधन क्षेत्र के अंतर्गत निजी निवेश को अनुमति दे दी है। 56.40 एम एम टी पी ए की वर्तमान शोधन क्षमता के प्रति निर्गत आशय पत्र के अनुसार समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वित हो जाने के पश्चात ई ओ यू रिफाइनरियों समेत देश में कुल शोधन क्षमता 144 एम एम टी पी ए के आस पास होना प्रत्याशित

है। यह क्षमता निकट भविष्य में वर्ष 2001-2002 में होने वाली अनुमानित मांग जो लगभग 102 एम एम टी पी ए होना अनुमानित है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

फरक्का बराज पर पन बिजली परियोजना

1391. **श्री जायनल अबेदिन :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने फरक्का बराज पर पन बिजली परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). फरक्का बराज जल-विद्युत परियोजना जिसकी स्थापित क्षमता 5×25 मेगावाट है, पर सरकार विचार कर रही है। सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद इस परियोजना को अनुमोदित किया जायेगा।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की मांग

1392. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए गैस की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार ने कितनी गैस की मांग की है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन विद्युत संयंत्रों के लिए कितनी गैस दी जायेगी और यह गैस कब तक दी जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). गुजरात सरकार ने पीपावव में प्रस्तावित संयंत्र सहित, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए गैस की मांग की है। गुजरात में विद्युत संयंत्रों को 7.55 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन किया गया है। चूंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूरी तरह से आबंटित है, इसलिए वर्तमान समय में किसी और अधिक आबंटन पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

अन्वेषण गतिविधियां

1393. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विदेशी तेल कम्पनियों के सहयोग से तेल अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम को तेल अन्वेषण का कार्य संयुक्त रूप से करने हेतु कुवैत सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कुवैत के प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : जी, हां।

(ख) और (ग). कुवैत से एक शिष्ट मंडल ने जनवरी, 1995 में भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत में अन्वेषण कार्यक्रमों में भाग लेने की रूचि दिखायी। तथापि इस संबंध में कुवैत से अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

रसोई गैस एजेंसियों का बंद किया जाना

1394. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने रसोई गैस एजेंसियों को बंद कर दिया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा उनमें से कितने एजेंसियों को पुनः खोले जाने की अनुमति दे दी गयी है; और

(ग) ऐसी एजेंसियों, जिनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही अब तक पूरी नहीं की गयी है, का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में चार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें बंद (समाप्त) कर दी गईं।

(ख) विभिन्न कदाचारों के कारण तीन डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाप्त कर दी गईं और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप न्यायालय के आदेश के अनुसरण में समाप्त कर दी गई।

(ग) जी, कोई नहीं।

तेल चयन बोर्ड, बिहार

1395. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सिलेक्शन बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार से पेट्रोल की डीलरशिप हेतु की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में बोर्ड को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बोर्ड की सिफारिशें बाध्यकारी हैं;

(घ) बोर्ड द्वारा बिहार में पेट्रोल की डीलरशिप हेतु अब तक कुल कितनी सिफारिशें की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). तेल विपणन कम्पनियों के विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए सरकार द्वारा तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है। तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों को सरकार के विचारार्थ नहीं भेजा जाता है। ये, इन्हें संबद्ध तेल कंपनियों को आशय पत्र जारी करने के लिए भेजते हैं। बिहार के लिए तेल चयन बोर्ड का गठन निम्नानुसार है :

1. जस्टिस बी. प्रसाद	- अध्यक्ष
2. डा. फगुनी राम	- सदस्य-I
3. श्री शमीम हाशमी	- सदस्य-II

जनवरी, 1995 तक तेल चयन बोर्ड (बिहार) ने 131 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए मेरिट पैनलों की सिफारिश की है।

केन्द्रीय सहायता

1396. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 300 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए तथा 100 करोड़ रुपये राज्य में पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के प्रस्ताव में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से अपने प्रस्ताव के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उपमंडलीय अभियंताओं की भर्ती

1397. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभियांत्रिकी विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ में उपमंडलीय अभियंता का पद भरने के विभिन्न स्रोत क्या हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण सहित तत्संबंधी कोटा नियम क्या हैं;

(ख) क्या उपमंडलीय अभियंता के पद के लिये पदोन्नत/भर्ती किये जाने के लिये अर्ह प्रत्याशियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच पिछले वर्षों में उत्पन्न हुई विसंगति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई आकलन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) विभिन्न स्रोत संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) से (घ). पदोन्नति कोटे से उपमंडलीय अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति के लिए कनिष्ठ अभियन्ताओं से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें किया गया अनुरोध नियमों में उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अतिरिक्त पदों के लिए है। मूल्यांकन करने पर यह पाया गया है कि विभिन्न स्रोतों से पदोन्नति कोटे में उपमंडलीय अभियन्ता नियमों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उनके लिए तय किए गए पदों की संख्या से अधिक हैं।

विवरण

लागू सेवा नियमों के अधीन, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के अभियांत्रिकी विभाग के भवन एवं सड़कें, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विद्युत विंगों में उपमंडलीय अभियन्ता के पद निम्नलिखित स्रोतों से भरे जाते हैं :-

(i) सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	65 प्रतिशत
(ii) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के अभियान्त्रिकी विभाग के अनुभागीय अधिकारियों के सदस्यों से पदोन्नति	20 प्रतिशत
(iii) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के अभियान्त्रिकी विभाग के ड्राफ्ट्समैन से पदोन्नति	5 प्रतिशत

(iv) ए.एम.आई.ई. आर्हता रखने वाले संघ राज्य क्षेत्र के अभियान्त्रिकी विभाग के अनुभागीय अधिकारियों और ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर्स सेवा के ड्राफ्ट्समैन सदस्यों से पदोन्नति — 10 प्रतिशत

2. अभियान्त्रिकी विभाग के विद्युत विंग में उपमंडलीय अभियंताओं की भर्ती निम्न प्रकार की जाती है :-

(i) सीधी भर्ती द्वारा — 57 प्रतिशत

(ii) पदोन्नति द्वारा — 43 प्रतिशत

(क) गैर-डिप्लोमा धारक — 12 प्रतिशत

(ख) डिप्लोमा धारक — 10 प्रतिशत

(ग) आरेखन स्थापना — 3 प्रतिशत

(घ) ए.एम.आई.ई. (सेवा काल के दौरान) — 9 प्रतिशत

(ङ) ए.एम.आई.ई. (सेवा आरम्भ करते समय) — 9 प्रतिशत

3. सरकार की नीति के अनुसार, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण निम्न प्रकार है :-

(i) सीधी भर्ती में — 14 प्रतिशत

(ii) पदोन्नति में — 15 प्रतिशत

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1398. श्री रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस तथ्य की जानकारी है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुविधा का अधिकांश लाभ पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों को ही मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पिछड़े वर्गों के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : (क) और (ख). अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों जिन्हें "क्रीमी लेयर" कहा जाता है को निकालने की शर्त पर दिनांक 8.9.93 से 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

"क्रीमी लेयर" का निष्कासन सिद्धान्त उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जिनके माता-पिता या माता/पिता समूह-1 अधिकारी है या उनमें से एक 40 वर्ष की आयु से पहले समूह-1 अधिकारी बन जाते हैं अथवा जहां माता-पिता दोनों समूह-2 अधिकारी हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों (समूह-1 अधिकारी या माता-पिता दोनों समूह-2 अधिकारी हों) के बच्चे इस प्रकार आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिए जाते हैं। सरकार को किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है जहां पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी के बच्चों ने आरक्षण का लाभ उठाया हो।

(ग) और (घ). सरकार ने, दिनांक 13 जनवरी, 1992 से पिछड़े वर्गों को स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है। अन्य पिछड़े वर्गों में से केवल वही व्यक्ति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय समय-समय पर योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा आय से दुगुने से कम है।

(ङ) आरक्षण कार्यान्वयन के बाद नियुक्त किए गए पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रसोई गैस एजेंसियां

1399. श्री ललित उरांव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार सरकार से राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में और नई रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। भारत सरकार की विद्यमान नीति के अंतर्गत एल पी जी की सुविधा जिला मुख्यालयों तथा 20,000 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चरणबद्ध तरीके से दी जाती है।

लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रमों में परिवर्तन

1400. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र ने अपने कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु अपने कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक आरंभ किए गए नए लोकप्रिय कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु कोई पहल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा 9 मई, 1994 से निम्नलिखित नए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं :-

1. शाम सिन्दुरी (विविध मनोरंजन कार्यक्रम) - साप्ताहिक।
2. योगा (योग क्रियाओं पर कार्यक्रम) - साप्ताहिक।
3. कोपल (किचन गार्डनिंग पर कार्यक्रम) - पाक्षिक।
4. तीसरी आंख (सार्वजनिक समस्याओं पर कार्यक्रम) - साप्ताहिक।

(घ) और (ङ). यू.जी.सी. कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नेटवर्क पर ई.टी.वी. रिले करने के साथ-साथ केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले दिशा संकेत, विज्ञान जगत आदि जैसे कई विशेष दर्शक कार्यक्रमों में अनौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है।

वार्षिक योजना

1401. श्री छेदी पासवान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार को स्वीकृत किए गए योजना परिव्यय तथा उसमें से विभिन्न क्षेत्रों में वास्तव में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) परिव्यय तथा व्यय के बीच इतने अधिक अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण विकास योजनाओं के वास्तविक लक्ष्य क्षेत्रों में उपयोग किए गए परिव्यय का क्या प्रभाव पड़ा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). बिहार के लिए वर्ष 1994-95 हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। किसी वर्ष के वास्तविक व्यय के आंकड़े राज्यों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के समय दिए जाते हैं। अतः वर्ष 1994-95 के लिए वास्तविक व्यय के बारे में बिहार राज्य वर्ष 1996-97 के वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय बताएगा।

विवरण

अनुमोदित परिव्यय 1994-95 -बिहार

(करोड़ रुपये)

	विकास के प्रमुख शीर्ष	अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	158.02
2.	ग्रामीण विकास	230.13
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	103.72
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	558.60
5.	ऊर्जा	402.65
6.	उद्योग तथा खनिज	71.31
7.	परिवहन	254.55
8.	संचार	-
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.58
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	78.42
11.	समाज सेवाएं	506.63
12.	सामान्य सेवाएं	33.39
	कुल जोड़	2400.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रसोई गैस की बिक्री

1402. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकारी तेल कंपनियां अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. समय-समय पर यथासंशोधित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश 1993 की शर्तों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही एल पी जी का विपणन कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर

1403. श्री खोलन राम बांगडे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि मध्य

प्रदेश में स्थापित कुछ निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). हालांकि मध्यप्रदेश स्थित अल्प शक्ति टी.वी ट्रांसमीटरों का सम्पूर्ण कार्य निष्पादन संतोषजनक होने की सूचना दी गई है, तथापि हाल ही में, अलीराजपुर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (बार-बार विद्युत आपूर्ति फेल होने के कारण) तथा छत्तरपुर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (विद्युत आपूर्ति की घटा-बढ़ी के कारण उपकरण फेल होने) में रुकावट संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अच्छी तरह से काम न करने के बारे में जब कभी भी रिपोर्ट मिलती है, उन पर उचित कार्यवाही की जाती हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। अम्बिकापुर, गुना, सागर तथा शहडौल स्थित मौजूदा 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों से बदलने की परिकल्पना है बशर्ते इस उद्देश्य हेतु संसाधन तथा अन्य आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस आकार की परियोजना के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य लीड समय अनुमानतः 3 वर्ष है तथा प्रत्येक परियोजना में अनुमानतः 10.00 करोड़ रुपये की लागत आती है।

घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

1404. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंदेल ताप विद्युत केन्द्र को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). आमतौर पर विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जोकि कोयले में बाह्य सामग्री के मिश्रण तथा आपूर्ति किए जा रहे कोयले की बड़ी आकार से संबंधित होती है। इन शिकायतों की प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

फीडर ब्रेकर्स स्थापित करने, कोयला लदान के समय पत्थरों को पृथक करने, अच्छा पर्यवेक्षण तथा अच्छी गुणवत्ता लदान के लिए लदान स्थल पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने जैसे कदम कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जाते हैं।

इस संबंध में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप विगत हाल ही में बन्डेल तापीय विद्युत गृह को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता संतोषजनक रही है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

1405. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आबंटित की गई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार 38 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरम्भ किया गया था :

1992-93	2
1993-94	12
1994-95	24

[अनुवाद]

केंद्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं

1406. श्री शिव शरण वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरी हुई केंद्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी परियोजनाओं को छोड़ दिया गया और इसके क्या कारण थे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) कोई केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केंद्रीय सहायता

1407. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित गाडगिल फार्मूले में राज्यों को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए दी जा रही सामान्य केन्द्रीय सहायता में 7.5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इन विशेष समस्याओं की परिभाषा क्या है *और इन समस्याओं की पहचान हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों के साथ ये समस्याएं किन-किन राज्यों में विद्यमान हैं;*

(ग) क्या मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से कम है जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने हेतु अधिक निवेश की आवश्यकता है;

(घ) क्या इसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ). दिसंबर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित वर्तमान आशोधित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अंतर्गत "विशेष समस्याओं" के मानदण्ड में 7.5 प्रतिशत का अधिभार है। विशेष समस्याओं को इस फार्मूले के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। विगत में सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरू क्षेत्रों, बाढ़-ग्रस्त इलाकों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, शहरी गंदी बस्तियों, पर्यावरणीय समस्याओं, न्यूनतम यथाचित योजना आकार को प्राप्त करने में विशेष वित्तीय कठिनाइयों जैसी विशेष समस्याओं पर इस मानदण्ड के अंतर्गत राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) को केंद्रीय सहायता के आबंटन में विचार किया जाता था। ये आबंटन उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर किए गए हैं।

हथियारों और गोला बारूद की तस्करी

1408. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की वारदातों को भड़काने और बढ़ावा देने के लिए विदेशियों द्वारा म्यांमार से बड़े पैमाने पर हथियार *और गोला बारूद भारत में भेजे जा रहे हैं;*

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). कुछ विद्रोही उग्रवादी गुटों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथियार तस्करी करके लाए गए हैं। ये हथियार अन्य देशों से प्राप्त किए गए हैं और बंगलादेश होकर तथा भारत म्यांमार सीमा के पार से तस्करी करके लाए गए हैं। हथियारों एवं गोली बारूद के इस प्रवाह को नियंत्रित करने और रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों सहित अनेक समन्वित कदम उठाए गए हैं। कड़ी निगाह लगातार रखी जा रही है।

[अनुवाद]

एन.जी.ओ. द्वारा अनियमितताएं

1409. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कल्याण मंत्री एन. जी.ओ. द्वारा अनियमितताओं के बारे में 18.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3364 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध शिकायतें और की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण जो कि प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित है।

क्र.सं.	कार्यकलाप का क्षेत्र	गैर सरकारी संगठनों की सं. जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं	की गई कार्यवाई का विवरण
1	2	3	4
1.	नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	2.	केरल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को जांच करने और कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
2.	अनुसूचित जाति विकास	2	मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी। शिकायत सही नहीं पाई गई।

1	2	3	4
3.	अनुसूचित जनजाति विकास	1	निधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कलकत्ता, जिन्होंने मामले की जांच की थी, ने कोई विशिष्ट दुरुपयोग का उल्लेख नहीं किया है। तथापि, रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि 6.31 लाख रु. की अनुमोदित राशि में से केवल 3.38 लाख रु. स्कूल भवन के निर्माण पर व्यय किए गए। इस मंत्रालय ने निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कलकत्ता को नया निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। आगामी अनुदान प्रदान नहीं किए गए हैं।
4.	विकलांग कल्याण	2	अनुदान बंद कर दिए गए हैं।
5.	वयोवृद्धों का कल्याण	3	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में स्थित इन संगठनों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित राज्य सरकारों को इन शिकायतों पर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुकूल टिप्पणियों के आधार पर आगामी सहायता अनुदान बहाल कर दिया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

1410. श्री पी. कुमारासामी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). जी हां। विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद् के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) में उस पर अभी विचार किया जाना है।

आरक्षण संबंधी कानून

1411. श्री पी.सी. चाको : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). आरक्षण से संबंधित कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जब कभी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थानों में सीटों और राज्यों के अंतर्गत पदों या नियुक्तियों में आरक्षण) अधिनियम, 1993 को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है।

भारत-नेपाल सीमा की किलेबंदी

1412. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-नेपाल सीमा की किलेबंदी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितने सीमा-क्षेत्र की किलेबंदी की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). वर्तमान में भारत-नेपाल सीमा की "किले-बंदी" करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों और सभी संबंधित एजेन्सियों को बेहतर निगरानी रखने, तालमेल और सूचना का आदान-प्रदान करने तथा अत्यधिक रूप से सतर्क रहने के लिए सचेत कर दिया गया है।

वानिकी/कृषि वानिकी परियोजनाएं

1413. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राइबल को आपरेटिव मार्केटिंग एण्ड दि डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (टी.आर.आई.एफ.ई.डी.) ने व्यावसायिक महत्व वाली वानिकी/कृषि वानिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा निगरानी हेतु क्षेत्रों का विशेष रूप से केरल में सर्वेक्षण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या "ट्राइफेड" की इन परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तमिल शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन

1414. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की नवगठित सरकार के साथ तमिल शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन और पुनर्वास के संबंध में वार्ता की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन का क्या कार्यक्रम है और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इन शरणार्थियों के कल्याण के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). तमिल शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन और पुनर्वास के बारे में अभी तक नवगठित श्रीलंका सरकार से बातचीत नहीं हो पाई है। तथापि, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। श्रीलंका में नयी सरकार आने के बाद, जिन शरणार्थियों ने सितम्बर, 1994 में वापसी के लिए अपने इच्छा व्यक्त की थी, उनके प्रत्यावर्तन का एक दौर सम्पन्न हुआ जिसमें 4,572 शरणार्थियों को वापस भेजा गया। 27 फरवरी 1995 को प्रत्यावर्तन पुनः शुरू हुआ। 27.2.1995 से शुरू हुए प्रत्यावर्तन के वर्तमान चरण में 10,000 शरणार्थियों को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। सरकार का प्रयास है कि यह प्रक्रिया तेज हो और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को यथा शीघ्र वापिस भेज दिया जाए।

(ग) जुलाई 1983 से फरवरी 1995 तक इन शरणार्थियों को राहत सुविधाएं और आवास प्रदान करने में 108.34 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

सिंचाई पद्धति

1415. श्री मंजय लाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1995 के "अमृत वर्षा" में "सिंचाई का प्रबंध किसानों के हाथों में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार ने सिंचाई पद्धति के रखरखाव, प्रबंधन तथा लागत वसूली की व्यवस्था में कमियों और विफलताओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) क्या गत वर्ष सिंचाई पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि सिंचाई पद्धति की व्यवस्था और रखरखाव का दायित्व प्रयोक्ताओं को सौंप दिया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सिंचाई के पूर्ण लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना आयोग, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1991 में डा. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव, प्रबंध और लागत वसूली की व्यवस्था में कमियों एवं विफलताओं के बारे में अध्ययन किया है।

(ग) और (घ). जी नहीं, तथापि, सिंचाई जल प्रबंध में किसानों की भागीदारी पर जल तथा भूमि प्रबंध संस्थान, औरंगाबाद में 21 से 25 जून, 1994 तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय तथा विश्व बैंक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई प्रणालियों का प्रचालन और अनुरक्षण क्रमबद्ध रूप से जल प्रयोक्ता संघों को सौंपने की सिफारिश की गई है।

(ङ) सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा बहुत-सी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं (i) वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाया जाना (ii) देश में वर्ष 1974-75 से केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और चुनिंदा वृहद और माध्यम सिंचाई योजनाओं में वर्ष 1987 से विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना क्रियान्वित करना तथा (iii) जल प्रबंध आदि में अनुसंधान और विकासात्मक प्रयासों पर बल देना। हाल में जल संसाधन मंत्रालय ने "सिंचाई प्रबंध नीति" तैयार की है जिसे राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है। उपरिलिखित उपाय देश में सिंचाई क्षमता/सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

विकलांग व्यक्ति

1416. **श्री आनन्द अहिरवार :**
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल जनसंख्या की तुलना में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत है;

(ख) प्रथम योजना के दौरान यह प्रतिशत कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाने का है या सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) देश में विकलांग व्यक्तियों की सही संख्या मालूम करने के लिए 1991 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 1.9% में शारीरिक और मानसिक विकलांगता है जिसमें दृष्टि, वाणी, श्रवण तथा चलन विकलांग शामिल है। धीमी मानसिक विकास के 0-14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के एक अलग सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 2.95% बच्चों में विकास धीमा है। जो प्रायः मानसिक मंदता के साथ सम्बद्ध होता है।

(ख) पहली योजना के दौरान विकलांगों के लिए कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विकलांगता निवारण और नियंत्रण के लिए, निवारण तथा शीघ्र पता लगाने, प्रसूति पूर्व और प्रसूति उपरान्त देखभाल, राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आदि सहित मातृत्व व बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं।

राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1417. **श्री राम सिंह कस्वां :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है;

(ख) राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) राजस्थान में कितने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को यह सुविधा मिल रही है; और

(घ) इस संबंध में कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राजस्थान राज्य के, 595 भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों सहित 782 व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई हैं। मृत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) राजस्थान के व्यक्तियों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए समय से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर लिया गया है और लिए गए निर्णय से आवेदकों को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। पुनरीक्षा याचिकाएं/अभ्यावेदन तथा विलम्बित आवेदन पत्र समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार की पुनरीक्षा याचिकाओं/अभ्यावेदनों की प्राप्ति और निपटान एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ). स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के पात्र आश्रितों (विधवा/विधुर, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों, माता/पिता) के नाम में पेंशन के अन्तरण काम विकेन्द्रीकृत कर दिया है। संवितरण अधिकारियों को, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिवार पेंशन का अन्तरण उनके नाम कर देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के आश्रितों को जो अभी भी केन्द्र सरकार को, पेंशन अपने नाम में करने के लिए आवेदन करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस संदर्भ में संबंधित संवितरण अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करें।

[अनुवाद]

राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

1418. **श्री राम कापसे :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की गहराई से जांच करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए तीन समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन समितियों द्वारा रिपोर्टें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय समुदायों की समस्याओं की पड़ताल करने के लिए जनवरी, 1994 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में, आठ अन्य सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई थी। समिति ने तीन अलग-अलग ग्रुपों में क्रमशः गृह मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का निश्चय किया। गृह मंत्री की अगुवाई और तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा और कार्मिक राज्य मंत्री श्रीमती मागरिट अल्वा की सदस्यता वाले पहले ग्रुप ने 21 से 24 जून, 1994 तक असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का दौरा किया। वित्त मंत्री की अगुवाई और तत्कालीन नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ए.के.एंटोनी एवं गृह राज्य मंत्री श्री पी.एम. सईद वाले दूसरे ग्रुप ने 22 से 24 जून, 1994 तक त्रिपुरा और मिजोरम का दौरा किया। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री की अगुवाई और इस्पात राज्य मंत्री श्री संतोष मोहन देव तथा कृषि राज्य मंत्री श्री अरविन्द नेताम की सदस्यता वाले तीसरे ग्रुप ने 7 से 9 जुलाई, 1994 तक मणिपुर एव नागालैण्ड का दौरा किया। अपने दौरों में इन ग्रुपो ने राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों, प्रमुख नागरिकों और प्रेस प्रतिनिधियो सहित समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

1419. श्री जायनल अबेदिन :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. के कर्मचारी एन.पी.सी.सी. कर्मचारियों ने संयुक्त मंच के आह्वान पर 12 दिसम्बर, 1994 को भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). कुछ कर्मचारियों ने "कार्य दो तथा वेतन दो" की अपनी मांग के समर्थन में ड्यूटी के समय 12.12.94 को अनशन किए जाने का दावा किया है।

(ग) कुछ कर्मचारियों को कार्य की कमी के कारण लाभप्रद कार्य पर नहीं लगाया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप निगम के लिए यह संभव नहीं हो पाया है कि वह नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी दे सके। अल्पावधिक कार्यरत पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में 6.89 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गयी है। निगम ने चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 1995 के अन्त तक लगभग 120 करोड़ रुपए की राशि का कार्य प्राप्त किया है।

पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ

1420. श्रीमती सरोद दुबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियां फैलाने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ हेतु सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाने के लिए वाघा सीमा से मूक और बधिर लोगों को भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना के विश्लेषण और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी के प्रत्येक मामले के अध्ययन से यह बात ध्यान में आई है कि पाकिस्तानी आई एस आई ने सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों की चौकसी की परीक्षा लेने के लिए मानसिक रूप से विकलांग/गूंगे-बहरे व्यक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किए गए मानसिक रूप से विकलांग/गूंगे-बहरे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	
1993	- 7
1994	- 5

(ग) राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं : अर्द्ध-सैनिक बलों की बढ़ोत्तरी और तैनाती, उनके द्वारा सघन गश्त लगाया जाना, अत्याधुनिक सीमा निगरानी उपकरण जारी करना, राज्य आसूचना नेटवर्क को चुस्त-दुरुस्त बनाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित करना, नई चेक-पोस्ट स्थापित करना और औचक जांच करना, समाज-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गतिविधियों का प्रबोधन आदि।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्र के बारे में घोषणा

1421. श्री देवी बक्स सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्र का विकास प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें केन्द्र सरकार कुछ कार्यक्रमों के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नामित क्षेत्रों के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं से निबटने के लिए सामान्य राज्य योजना परिव्यय के अतिरिक्त है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

1422. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास हैं;

(ख) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ और छात्रावास बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उनके निर्माण स्थल के ऋण सहित ब्यौरा दें?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) गुजरात सरकार द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 1993 में दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 1181 होस्टल है।

(ख) और (ग). केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सरकार का चालू वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़कियों/लड़कों के लिए 17 होस्टलों के निर्माण का प्रस्ताव है :-

1. विधयांधी आश्रम रामनगर, अहमदाबाद
2. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, राजकोट
3. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, पालानपुर
4. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, जूनागढ़
5. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, भावनगर
6. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, जामनगर
7. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, इदार
8. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, पाटम
9. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, भुज
10. गवर्नमेंट कुमार होस्टल, अहमदाबाद
11. कन्या छात्रालय बामनवेल, जिला वलसाड़ (अतिरिक्त निर्माण)
12. कमला नेहरू कन्या छात्रालय मोटा कथरिया, जिला साबरकांठा (अतिरिक्त निर्माण)
13. वात्सल्य धाम कन्या छात्रालय, माधी, जिला सूरत (अतिरिक्त निर्माण)
14. श्रीमती एम.आर. मेहता कन्या छात्रालय सनाली, जिला बनासकांठा (अतिरिक्त निर्माण)
15. वनविहार कुमार छात्रालय, दालपुरा जिला बनासकाठा
16. वीर भगत सिंह कुमार छात्रालय, मोरा डुगंरी, पावीजेलपुर, जिला वदोदरा
17. नीलम कुमार छात्रालय अमोधरा चिकली, जिला वलसाड़

[अनुवाद]

कोयला खानों का निजीकरण

1423. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 से 28 फरवरी, 1995 तक कितनी कोयला खानों का निजीकरण किया गया;

(ख) इनका निजीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारियों की छंटनी हुई और उन्हें क्या वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) इस अवधि के दौरान किसी भी कोयला खान का निजीकरण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों का विकास

1424. श्री भवानीलाल वर्मा :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से बिलासपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के संबंध में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो आर्थिक स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी और राज्य को कितनी धनराशि दी जायेगी।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) और (ख). जी, हां अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, रोम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के बिलासपुर प्रभाग के लिए एक समेकित आदिवासी विकास परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

प्रस्तावित परियोजना मध्य प्रदेश के सरगोजा, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में 45 आदिवासी विकास खंडों के व्यापक विकास के लिए थी। इस परियोजना के मुख्य घटक भूमि का विकास, कृषि और शस्य पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम पालन, ग्रामीण ऊर्जा प्रबंध, स्वास्थ्य व स्वच्छता, महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और सामाजिक संघटक हैं। प्रस्ताव में इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 450 करोड़ रुपये दर्शाई गई है।

(ग) और (घ). इस परियोजना की सिफारिश करके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को भेजने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

तथापि, परियोजना के अनुमोदन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह प्रायोजकों/बाहरी वित्त पोषण एजेंसी पर निर्भर करता है।

तेल शोधक कारखाना परियोजनाएं

1425. श्री रतिलाल वर्मा :
श्री बेल्लैया नंदी :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल शोधक कारखाना परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कुवैत के साथ बातचीत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). कुवैत पैट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी), कुवैत ने देश में पूर्वी भारत रिफाइनरी परियोजना में आई ओ सी के साथ और ग्रासरूट रिफाइनरी के लिए सी आर एल के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी के लिए रुचि दर्शाई है। समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए इन कम्पनियों के बीच वार्ता प्रगति पर है।

[अनुवाद]

कन्नड़ समाचार बुलेटिन

1426. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन से कन्नड़ भाषा में बिजनेस और कोरपोरेट समाचार बुलेटिन और बाजार मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब से शुरू किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्तमान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि यह प्रस्ताव निर्माणात्मक अवस्था में है।

विकास आयोग

1427. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर गुजरात के विकास के लिए विकास आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त आयोग कब तक गठित कर दिया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). उत्तर गुजरात के विकास के लिए विकास आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव योजना आयोग में विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समन्वयन और सम्पर्क केन्द्र

1428. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय समन्वयन और सम्पर्क केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सैटेलाइट के माध्यम से दूरदर्शन के नए कार्यक्रम

1429. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैटेलाइट के माध्यम से दूरदर्शन पर नए कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितने सैटेलाइट चैनल आरंभ किए गए हैं?

(ग) इन कार्यक्रमों का कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल रहा है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान कितने सैटेलाइट चैनल आरंभ किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दूरदर्शन ने 15 अगस्त, 1994 से 10 उपग्रह क्षेत्रीय सेवा चैनलों (डी.डी. 4 से डी.डी. 13) को आरंभ किया है, जिनके कार्यक्रमों को एक उपयुक्त डिश एन्टीना के माध्यम से सम्पूर्ण देश में देखा जा सकता है।

(घ) चैनलों की संख्या में और अधिक बढ़ोत्तरी के लिए कोई निश्चिम तारीख इंगित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस की कमी

1430. श्री ए. चार्ल्स :
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की भारी कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एल पी जी विपणन कंपनियों के अनुसार केरल, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के एल पी जी के विद्यमान ग्राहकों की मांग को क्रमोवेश पूर्णतः पूरा किया जा रहा है। केरल तथा दिल्ली राज्यों में एल पी जी की आपूर्ति में कोई बैकलाग नहीं है। ओ एन जी सी, हाजिरा एवं गेल, बीजापुर के प्रभंजन संयंत्रों की वार्षिक रख रखाव बंदी के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ बाजारों में कुछ बैकलाग हो गया था।

(ग) प्रभावित बाजारों में एल पी जी की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए बढ़ाए हुए घंटों के दौरान तथा रविवार एवं छुट्टियों के दिनों में एल पी जी भराई संयंत्रों में प्रचालन कर आपूर्ति में वृद्धि करके बैकलाग को निपटाया जाता है।

सरदार सरोवर परियोजना

1431. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर बांध का सहायक ढांचा पिछली मानसून के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना अनुमानित नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार द्वारा ढांचे में हुई क्षति के कारणों की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). सितम्बर, 1994 के पहले सप्ताह में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण, सरदार सरोवर बांध के शमनकुंड जो कि बांध के अनुप्रवाह पर स्थित है को कुछ क्षति पहुंची। लगभग 65000 घन मीटर कंक्रीट बह गई और 10 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(घ) से (च). शमनकुंड के कारण, मरम्मत तथा बांध के और निर्माण सहित उनके नुकसान के सभी पहलुओं की एक स्वतंत्र बांध सुरक्षा पैनल द्वारा जांच की गई है। इस पैनल में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस बांध सुरक्षा पैनल ने मुख्यतः निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है :

(i) शमनकुंड के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करना;

(ii) विभिन्न उपलब्ध ब्लाकों के अधूरे ऊपरी सिरे को कम से कम प्रत्येक दर में जहां तक संभव हो उसी स्तर पर रखा जाये और दर के बीच की विशिष्ट ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(iii) उपयुक्त माडल परीक्षणों द्वारा, स्वीकार्य जलीय प्रवाह स्थितियों को सुलभ करने के वास्ते उपयुक्त आयामों के चरणों में उत्प्लाव ब्लाकों के ऊपरी सिरों को पूरा किया जाना है। बांध सुरक्षा पैनल की सिफारिशें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

बुजुर्ग व्यक्तियों पर हमला

1432. **श्री मोहन रावले :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बुजुर्ग व्यक्तियों/दम्पत्तियों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) एक वर्ष पहले की तद्नुरूपी अवधि के दौरान दिल्ली में दर्ज कराए गए हत्या के 14 और हमले के दो मामलों की तुलना में पिछले छह महीनों, अर्थात 1.9.94 से 28.2.95 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में वृद्ध नागरिकों की हत्या के 19 मामले, हमले के तीन और बलात्कार का एक मामला दर्ज कराया गया है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :-

(i) वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा नामक एक योजना चल रही है, जिसके द्वारा प्रत्येक थाने में क्षेत्रवार और गश्तवार वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की गई है। इन थानों का गश्त लगाने वाला स्टाफ, इन वरिष्ठ नागरिकों को जल्दी-जल्दी मिलने जाता है ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाने के बारे में बताया और पुनः आश्वस्त किया जा सके। इन मुलाकातों के दौरान उनको घरेलू सुरक्षा उपायों, जैसे कि मैजिक आई, दरवाजों और खिड़कियों पर लोहे की जाली लगवाने तथा अपने नौकरों/घर में काम-काज करने में सहायता देने वाले घरेलू सहायकों के पूर्व-वृत्त का सत्यापन इत्यादि कराने, की सलाह भी दी जाती है।

(ii) बीट और क्षेत्र में गश्त लगाने के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के घरों के आस-पास विशेष चौकसी रखी जाती है।

(iii) वृद्ध व्यक्तियों के साथ कार्य करने वाले नौकरों और अन्य घरेलू सहायकों के पूर्व-वृत्त का सत्यापन किया जाता है।

(iv) इस श्रेणी के व्यक्तियों के घरों पर नज़र बनाए रखने के लिए क्षेत्र के चौकीदारों को हिदायत दी गयी हैं।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सहायता

1433. **श्री येल्लैया नंदी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर कितना व्यय किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (च). जी हां, श्रीमान्। गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पुलिस बलों का आधुनिकीकरण नामक योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए क्रमशः 139.500, 104.780 तथा 230.511 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(ग) चूंकि अर्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए अलग से कोई योजना नहीं है, अतः इस शीर्ष के अधीन व्यय का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रम

1434. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी. टी.वी. , एम. टी.वी. जैसे विदेशी चैनलों के भारत आने से दूरदर्शन की लोकप्रियता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या देश में विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि दूरदर्शन ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, खेल, शिक्षा तथा बौद्धिक पहलुओं पर उपग्रह एवं केबल टेलीविजन सहित टेलीविजन के प्रभाव के बारे में एक अध्ययन आरंभ किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ). दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। दूरदर्शन द्वारा अपने दर्शकों की रुचि बनाए रखने हेतु अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार करने का भी प्रयास किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद से ग्रस्त राज्य

1435. श्री सूरज मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू-कश्मीर की तरह ही उन राज्यों को भी जहां आतंकवाद फैला हुआ है, आतंकवाद से ग्रस्त राज्य का दर्जा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पुल का निर्माण

1436. श्री जे. चोक्का राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फरवरी, 1995 में पूर्वी गोदावरी जिले के यनम तथा एदुरलंका के बीच गौतमी नदी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के निर्माण के संबंध में आन्ध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारें कितना-कितना धन खर्च करेंगी; और

(ग) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, के. जी. बेसिन में विकास क्रियाकलाप के संबंध में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के अंशदान के विषय में विचार विमर्श करने के लिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी।

[हिन्दी]

अतिरिक्त गैस की आपूर्ति

1437. डा. परशुराम गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की विचार गैस-आधारित संयंत्रों, विशेषतः उत्तर प्रदेश के आवोवला स्थित संयंत्र में अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में कितनी अतिरिक्त गैस की आपूर्ति की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). आंवला में इफ्को उर्वरक संयंत्र के विस्तार के लिए 1.755 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन किया गया है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1438. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1995 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "सी.एम.आई.ई. पुअर ग्रोथ इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पर्याप्त पूंजी निवेश के बावजूद निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) सी.एम.आई.ई. रिपोर्ट में निजी क्षेत्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग केवल केन्द्रीय क्षेत्र की 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का प्रबोधन करता है। पिछले वर्षों में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबोधन का विश्लेषण नई परियोजनाओं में निवेश की वृद्धि तथा चल रही परियोजनाओं में व्यय की वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रियों के एक दल ने विभिन्न सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा की है। मंत्रियों के इस दल की अनुशंसाएं सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

संस्कृति संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद

1439. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने संस्कृति संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद के गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कथित परिषद का गठन कब तक कर लिया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). योजना आयोग में 20.2.95 को आयोजित एक बैठक में प्रसिद्ध कलाकारों, पेंटरों, विद्वानों, मानव विज्ञानियों तथा प्रशासकों का विचार था कि अंतर-मंत्रालयीन संपर्कों तथा परामर्श के लिए संस्कृति संबंधी एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद बनाई जानी चाहिए ताकि लोक, आदिवासी तथा पारंपरिक कलारूपों और विरासत के प्रलेखन तथा संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। बहरहाल, इस बारे में तथा इससे संबद्ध कार्यवाहियों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

हिरासत में हुई मौतें

1440. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 और 1995 के दौरान अब तक तिहाड़ जेल में हिरासत में कितने विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इन मामलों की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) केन्द्रीय जेल, तिहाड़, में वर्ष 1994 के दौरान 25 और 1995 (19.3.95 तक) के दौरान 10 विचाराधीन कैदियों की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हुई।

(ख) से (घ). प्रत्येक मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा मरणोपरांत जांच-पड़ताल की गई।

श्री राज कुमार की न्यायिक हिरासत के दौरान हुई मृत्यु के केवल एक मामले में गड़बड़ी होने का पता चला था तथा इस सिलसिले में थाना हरीनगर, नई दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 308 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1441. श्री राम कृपाल यादव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है।

(ग) देरी का कारण यह है कि इस मामले सहित आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राजनैतिक दलों से अभी तक परामर्श पूरा नहीं हो सका है।

राशन भत्ता

1442. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को राशन भत्ता दिए जाने के संबंध में काफी दिनों से मांग उठ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कार्मिकों को राशन भत्ते की स्वीकृति से संबंधित दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव को वित्तीय सीमाओं के कारण जून, 1994 में अस्वीकृत कर दिया गया था।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम वाली कम्पनियां

1443. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की कंपनियों के लिए नई नीति का प्रारूप तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयले के स्टाक में कमी

1444. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कोयले के स्टाक की कमी की जांच के लिए बनाई गई आर.एन. मिश्र समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति की सिफारिशों के अनुसार उस समय तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी की गयी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की सहायक कंपनी, भारत कोकिंग कोल लि. के अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कोल इंडिया लि. के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम, 1978 की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और ऐसी अपेक्षाएं अर्द्ध-न्यायिक स्वरूप की हैं। चूंकि समिति ने लगभग 200 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है, अतः प्रक्रिया को पूरा किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं होगा। को.इं.लि. से अभी तक प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार की गई कार्रवाई के संबंध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

	महा प्रबंधक	प्रबंधक	एजेन्ट	परियोजना अधिकारी
हटाये गए	1	—	4	—
पदावनत	—	3	6	—
निम्न वेतनमान तक लाया गया	—	1	2	—
वेतनवृद्धि पर रोक	—	—	2	1
सेंसर	—	1	1	—
चेतावनी	1	4	4	—
दोषमुक्त	—	7	11	—

आई.एस.आई. की घुसपैठ

1445. श्री फूलचंद वर्मा :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी गुप्तचर संगठन, आई.एस.आई. ने मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम, मेघालय और गढ़वाल में घुस-पैठ आरम्भ कर दी है;

(ख) क्या आई.एस.आई. विद्रोही समूहों को प्रशिक्षण सहायता भी दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घुस-पैठ को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ विद्रोही गुटों को सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, हथियार आदि उपलब्ध कराने के लिये बंगलादेश में पाकिस्तानी आई. एस.आई. एजेंटों द्वारा समर्थन दिए जाने के समाचार मिले हैं। इसने पूर्वोत्तर में विद्रोह और आतंकवाद की समस्या को एक नया मोड़ दे दिया है।

(घ) ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु समन्वित कार्रवाई करने के कई उपाय किए गए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने कई अवसरों और सभी स्तरों पर पाकिस्तान से जोरदार आग्रह किया है कि वह विध्वंस और आतंकवाद को अपना समर्थन देना बन्द करे। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन में अन्तर्निहित खतरों से अवगत कराया है। बंगलादेश की भूमि/भूभाग से आतंकवादी/विद्रोही गुटों को मिल रहे समर्थन की ओर बंगलादेश की सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। सरकार किसी भी स्रोत से आतंकवाद को मिल रहे समर्थन का मुकाबला करने और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति कृत संकल्प है।

भारतीय गैस प्राधिकरण

1446. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का गठन कब किया गया था;

(ख) इस संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में उर्वरक तथा औद्योगिक इकाईयों में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए कोई उचित मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना अगस्त, 1984 में की गई थी।

(ख) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य उद्देश्य हैं-प्राकृतिक गैस का परिवहन, उपचार, संसाधन, प्रभाजन, वितरण और विपणन।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहा उठता।

तेल परियोजनाएं

1447. श्री दत्ता मेघे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने कुछ तेल परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

एल पी जी एजेंसियां

1448. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में कितने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल पी जी एजेंसियां स्वीकृत की गयीं;

(ख) विगत दो वर्षों से राज्य में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी एजेंसियों के आबंटन के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) की अवधि के दौरान तेल चयन बोर्ड (गुजरात) के माध्यम से 46 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 47 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गयी थीं। तेल चयन बोर्ड (गुजरात) के माध्यम से 51 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा 57 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन का कार्य जारी है। विज्ञापन के पश्चात डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन में करीब 6 से 12 माह का समय लगता है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र

1449. डा. खुशीराम डूंगरोमल चेस्वाणी :
श्री गोपी नाथ गजपति :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री पी.सी. चाको :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे कम शक्ति ट्रांसमीटरों, उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों/बहुत कम शक्ति के ट्रांसमीटरों और ट्रांसपोंडरों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कम शक्ति ट्रांसमीटरों, उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों, बहुत कम शक्ति के ट्रांसमीटरों और ट्रांसपोंडरों को कहां-कहां लगाया गया है/लगाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्रसारण कितने क्षेत्र में पहुंच रहा है; और

(घ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण किया गया है/किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जैसाकि विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जैसाकि विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ). जैसाकि विवरण-IV और V में दिया गया है।

विवरण–I

20.3.95 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टी.वी. ट्रांसमीटर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांस.	योग
1.	असम	3	12	0	1	16
2.	आन्ध्र प्रदेश	5	45	3	1	54
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	16	0	19
4.	बिहार	5	33	0	1	39
5.	गोवा	1	0	0	0	1
6.	गुजरात	4	35	2	0	41
7.	हरियाणा	0	7	0	0	7
8.	हिमाचल प्रदेश	2	5	6	2	15
9.	जम्मू और कश्मीर	3	3	18	1	25
10.	केरल	3	13	0	0	16
11.	कर्नाटक	4	30	1	0	35
12.	मध्य प्रदेश	6	53	1	1	61
13.	मेघालय	2	2	1	0	5
14.	महाराष्ट्र	5	48	3	1	57
15.	मणिपुर	1	1	3	0	5
16.	मिजोरम	1	0	2	0	3
17.	नागालैण्ड	1	2	3	1	7
18.	उड़ीसा	3	43	2	1	49
19.	पंजाब	3	4	0	1	8
20.	राजस्थान	2	46	6	2	56
21.	सिक्किम	1	0	3	0	4
22.	तमिलनाडु	3	26	0	2	31
23.	त्रिपुरा	1	0	0	1	2
24.	उत्तर प्रदेश	9	47	10	4	70
25.	पश्चिम बंगाल	4	14	2	0	20
26.	दिल्ली	1	0	0	0	1
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	6	0	8
28.	दमन एवं दीव	0	1	1	0	2
29.	पांडिचेरी	0	2	2	0	4
30.	लक्ष द्वीप समूह	0	1	8	0	9
31.	चंडीगढ़	0	1	0	0	1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	0	1
	योग	74	478	100	20	672

विवरण–II

20.3.95 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टी.वी. ट्रांसमीटर

(प्राइमरी चैनल के अलावा)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	योग
1.	असम	0	1	0	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	गोवा	0	0	0	0
6.	गुजरात	1	1	0	2
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1
9.	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	2
10.	केरल	0	1	0	1
11.	कर्नाटक	0	1	0	1
12.	मध्य प्रदेश	0	1	0	1
13.	मेघालय	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	1	0	0	1
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	1	0	2
19.	पंजाब	0	1	0	1
20.	राजस्थान	0	2	0	2
21.	सिक्किम	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	1	0	0	1
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	1	0	1
25.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	1
26.	दिल्ली	1	2*	0	3
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
28.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	0	0	0	0
30.	लक्ष द्वीप समूह	0	0	1	1
31.	चंडीगढ़	0	1	0	1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
	योग	6	19	1	26

*संसद कवरेज के लिए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

विवरण–III

1994–95 और 1995–96 के दौरान चालू किए जाने हेतु अनंतिम रूप से सूचीबद्ध टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं।

	उ.श.ट्रां. परियोजनाएं	अ.श.ट्रां. एवं अ.अ.श.ट्रां. परियोजनाएं
	1	2
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	तंदूर*
	नन्दयाल	अलगड्डा*
		भीमावरम*
		हिन्दूपुर*
		कादिरी
		कावली*
		कुप्पम*
		मदनापल्ली*
		मेडक*
		नगर कुरनूल*
		निर्मल*
		बेल्लमपल्ली
		मरकापुरम
		कामारेड्डी
		घमनगान्नूर*
		तम्बलापल्ली
		एल.आर. पल्ली
		विजाग*
		मधिरा*
		पासरा
		पडेरू***
		वानापंथी*
		नारायणपेट
		कोसगी
		पेडनान्दीपाडु
		चिन्तापल्ली
		मंडासा*
		श्रीसेलम*
		पार्वतीपुरम
		इच्छापुरम*
अरूणाचल प्रदेश		मियाओ
		पिपु दिपु
		योमचा
		ताली
		मिनयोग

1		2
		कलातंग
		इटानगर (डी.डी. 2)*
असम		बोंगाईगांव*
		हॉफलौंग*
		नार्थ लखीमपुर*
		सोनारी
		लुमडिंग
		हौजाई
		तिंसुकिया
		गुवाहाटी (डी.डी. 2)*
		डिगबोई
बिहार		औरंगाबाद*
		गोड्डा*
		गुमला*
		हजारीबाग*
		लोहारदागा*
		नवादा*
		रक्सौल*
		सुपौल
		नौमुण्डी
		कोडरमा
		फूलपारस
		सराईकेला
		पटना (डी.डी. 2)
		सिमडेगा
गुजरात	भुज (अंतरिम)*	गांधीनगर (डी.डी. 2)*
	(300 मी.टावर पर	खम्बात*
	स्थायी स्थापित)	धरंगधरा*
	अहमदाबाद (डी.डी.2)	इंदर
		महुआ*
		मंगरौल (जूनागढ़ जिला)*
		मोरवी
		रापड़*
		दीसा
		पालीताना*
		राजूला
		संजेली*
		खम्बालिया

1	2	
		मंगरौल (सूरत जिला)
		झागड़िया
		नेतरंग
		देवगढ़-बारिया*
		डांडी*
हरियाणा		मेहम*
		रिवाड़ी*
हिमाचल प्रदेश	शिमला*	सुजानपुर
		सुन्दर नगर
		रामपुर
		डलहौजी
		शिमला (डी.डी.2)*
		आहजू फोर्ट*
		दलाश (थानेदार)
		खड़ा पत्थर
		पालमपुर
		शिवबद्दर
		भारती
		जोगिन्द्रनगर
		जालमा
		बैजनाथ
		भरमौर
		सरकाघाट
		डायर
		दसनी
		होली
		परवानू
		बंदला
		वीर
		कन्दाघाट
जम्मू और कश्मीर	लेह	राजौरी
		रियासी*
		कचुआ
		पूंछ*
		श्रीनगर (डी.डी.2)*
		थानामण्डी
		टिथवाल
		उरी

1		2
		बुद्धल
		कालाकोट
		बारामुला
		डावर*
		साम्बा*
		कूद
		बटोट
		सांजी छत
		नागरोटा (ट्रांसमीटर)
		जम्मू (डी.डी.2)*
कर्नाटक		गंगावती*
		गोकक
		जमखण्डी
		मुडीगेरे*
		पावगड्डा*
		रामदुर्ग*
		कुमता
		भतकल
		हरपनाहली
		बसावा कल्याण
		सागर
		हंगगोंद
		अरबीकेरे
		हाथीहल
		बंगलौर (डी.डी.2)*
		सकलेशपुर*
केरल	कालीकट	काननगढ़
	(अंतरिम स्थापित)*	थोडूपुजा
		चिंगनपुर
		पुनालूर*
		अदूर
		त्रिवेन्द्रम (डी.डी.2)*
		मुन्नार
		कंजिरापल्ली
मध्य प्रदेश		अलीराजपुर*
		दातिया*
		गदरवाड़ा
		कुकडेश्वर

1		2
		सिरोंज
		अशोकनगर
		खुरई
		मेहर
		बोजेईपुर*
		लाहर*
		भंडेर
		केलारास
		सबित
		उज्जैन*
		भोपाल (डी. डी.2)*
		जौरा*
		पारसिया*
		सिंगरौली
		कोंडागांव
		बुधनी
		जसपुर नगर
		पाखनजोर
महाराष्ट्र	बम्बई (डी.डी.3)	अकलूज*
		चिपलुन*
		हिंगनघाट*
		कंकौली*
		संगमनेर*
		उमेरगा*
		शिरपुर
		मेहकर
		मोर्शी*
		वनी*
		देवरूख
		चिखली
		खामगांव/महसले
		अदयाल टेकड़ी
		जुन्नार*
		करजात*
		खेड
		राजापुर
		चिकलथरा*
मणिपुर	चुराचांदपुर	मोरेह

1		2
		कांगापोक्पी
मेघालय	—	बाघमरा
मिजोरम	लुंगलेई	सैहा
		चम्फई
नागालैण्ड	मोकाकचुंग	फेक
		सताखा
उड़ीसा	कटक (डी.डी.2)	बौद्ध*
		लूथेरपुंक*
		नयागढ़
		नौपाड़ा*
		पालाहारा*
		रायरंगपुर*
		रेधाखोल*
		सोनेपुर
		तलचेर*
		पाराद्वीप*
		हिंडौल
		अथ मल्लिक*
		मल्कानगिरि*
		थूमलरामपुर
		भुवनेश्वर (डी.डी. 2)*
		भूबन*
		मोहाना
		कुचिन्दा
		बानापुर*
		राजरानापु
		बालीगुरा
		तुसारा*
		नरसिंहपुर
		खंडापारा*
		दशरथपुर
		कबिसूर्यनगर
		दुर्गापुर
		तंगी/सोहेला
		पटनागढ़*
		पदुआ
		बोनाई*
		जी.उदयगिरि*
		औल
		केन्द्रपारा

1		2
पंजाब	फाजिल्का (अंतरिम)	जालन्धर (डी.डी.2)*
		अबोहर
राजस्थान	बाड़मेर (अंतरिम)	चिरावा*
	जैसलमेर	बारां*
		बड़ी सादरी
		भद्रा*
		हिंडौन
		रतनगढ़*
		रावतसर*
		श्री डूंगरगढ़*
		सुजानगढ़
		मकराना
		करौली
		गंगापुर (सवाई)*
		माधोपुर जिला
		फलोदी
		राजगढ़ (चुरू)
		माउंट आबू
		प्रतापगढ़
		नोहर
		नोखा*
		शाहपुरा
		निमज
		जयपुर (डी.डी.2)*
		बसावा*
		अमेट*
		चौमहला*
		देवगढ़*
		फतेहपुर
		गंगापुर (भीलवाड़ा जिला)
		कुम्भलगढ़*
		लक्ष्मणगढ़
		भीम
		राजगढ़ (अलवर)*
		लालसोट
		कोटा (डी.डी.2)*
सिक्किम	गंगतोक*	सिंगतम
		रांगपो
		जोरेथंग

1		2
		गंगतोक (डी.डी.2)*
तमिलनाडु	रामेश्वरम (स्थायी)	अरानी
	मद्रास (डी.डी.3)	अंरकोट
		गुडियातम
		पट्टुकोट्टई
		राजापलयम
		शंकरन कोविल
		अत्तूर
		उदगमंडलम*
		पुडुक्कोट्टई*
		कृष्णागिरि
		उदुमालपेट
		मेट्टुपलयम
		वालपराई
		वल्लियुर
		वझापटी
		मार्थण्डम
त्रिपुरा		कैलाशहर
		तेलियामुरा
		धर्मानगर
उत्तर प्रदेश	मऊ*	अल्मोड़ा
		औरैया
		चम्पावत*
		गंज डुंडवारा
		हल्द्वानी
		कोटद्वार*
		महोबा
		मउ रानीपुर
		मुहमदाबाद*
		नौगढ़
		न्यू टेहरी
		सिकन्दरपुर*
		रुदौली
		कासगंज
		कर्ण प्रयाग
		नानपारा
		एटा*
		बाराकोट

	1	2
		लालगंज
		बागेश्वर
		चमोली
		चौखटिया
		डीडीहाट
		जोशीमठ
		देवप्रयाग
		लैंसडाउन
		प्रतापनगर
		बिनसर
		बसोट
		करन्जीखाल
		साहिया
		गज्जा
		फतेह पर्बत
		खेत पर्बत
		राजगढ़ी
		सर.वैकुण्ठम
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता (डी.डी.3)	फरक्का
		रानाघाट*
		रायना
		कालना
अण्डमान		ग्रेट निकोबार
निकोबार		हैवलाक
द्वीप		कटचल
समूह		बारातंग
चंडीगढ़		चण्डीगढ़ (डी.डी.2)*
दादरा और		सिलवासा
नगर हवेली		
पांडिचेरी		कराइकल*
लक्षद्वीप		कावारत्ती*
दिल्ली	दिल्ली (डी.डी.3)	राज्यसभा*
		लोकसभा*

(क) उ.श.ट्रां.—उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

(ख) अ.श.ट्रां.—अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

(ग) अ.अ.श.ट्रां.—अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

* चूंकि परियोजनाएं चालू कर दी गई।
(1.4.94 से 20.3.95 के दौरान)

*** अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति का संवर्धन कार्यान्वयनाधीन है।

विवरण–IV

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में टी.वी. कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्तमान कवरेज (20.3.95 की स्थिति के अनुसार) क्षेत्र %	वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर उपलब्ध होने वाली संभावित कवरेज क्षेत्र %
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	72.4	87.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.0	18.2
3.	असम	74.0	80.3
4.	बिहार	92.8	96.6
5.	गोवा	100.0	100.0
6.	गुजरात	69.0	95.3
7.	हरियाणा	96.6	100.0
8.	हिमाचल प्रदेश	38.9	59.8
9.	जम्मू और कश्मीर	26.7	32.9
10.	कर्नाटक	60.4	76.9
11.	केरल	84.0	99.3
12.	मध्य प्रदेश	64.6	77.5
13.	महाराष्ट्र	71.9	83.1
14.	मणिपुर	31.3	66.3
15.	मेघालय	94.6	94.6
16.	मिजोरम	42.1	68.8
17.	नागालैण्ड	43.4	68.5
18.	उड़ीसा	77.6	85.2
19.	पंजाब	100.0	100.0
20.	राजस्थान	41.8	90.1
21.	सिक्किम	77.4	77.4
22.	तमिलनाडु	91.2	96.2
23.	त्रिपुरा	93.3	93.5
24.	उत्तर प्रदेश	79.1	84.2
25.	पश्चिम बंगाल	95.4	99.9
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.0	26.2
2.	चण्डीगढ़	100.0	100.0
3.	दादरा और नगर हवेली	40.0	65.2
4.	दमन और दीव	100.0	100.0
5.	दिल्ली	100.0	100.0
6.	लक्षद्वीप समूह	99.0	99.0
7.	पाण्डिचेरी	100.0	100.0
	राष्ट्रीय औसत	68.0	83.2

टिप्पणी :

1. कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं (सीमावर्ती क्षेत्रों में संतोषजनक अभिग्रहण हेतु उन्नत एण्टेना तथा बूस्टर आवश्यक हैं)।
2. क्षेत्रीय परिस्थितियों का परिकलन नहीं किया गया है।
3. 1981 की जनगणना पर आधारित।
4. ट्रांसमीटरों की अंतर्राष्ट्रीय कवरेज (यदि कोई हो) शामिल नहीं है जिसे एस.ओ.आई. नक्शों में ढूंढा नहीं जा सका।

विवरण–V

आकाशवाणी

दिन के समय राज्यवार कवरेज

		विद्यमान रेडियो कवरेज क्षेत्र %	1995–96 के अंत तक संभावित % कवरेज क्षेत्र %
1	2	3	4
1.	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	98	98
2.	अरुणाचल प्रदेश	98	98
3.	असम	86	98
4.	बिहार	99*	99*
5.	गोवा	99*	99*
6.	गुजरात	99*	99*
7.	हरियाणा	99*	99*
8.	हिमाचल प्रदेश	50	78
9.	जम्मू और कश्मीर	31.5	32
10.	कर्नाटक	94	95

1	2	3	4
11.	केरल	94	98
12.	मध्य प्रदेश	95	95
13.	महाराष्ट्र	98	99
14.	मणिपुर	99*	99*
15.	मेघालय	96	96
16.	मिजोरम	82	92
17.	नागालैण्ड	95	96
18.	उड़ीसा	97	97
19.	पंजाब	99*	99*
20.	राजस्थान	92.5	93
21.	सिक्किम	44	70
22.	तमिलनाडु	99*	99*
23.	त्रिपुरा	99*	99*
24.	उत्तर प्रदेश	88	93
25.	पश्चिम बंगाल	99*	99*
2.	**संघ शासित प्रदेश**		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	80
2.	चण्डीगढ़	99*	99*
3.	दादरा और नगर हवेली	99*	99*
4.	दमन और दीव	99*	99*
5.	दिल्ली	99	99*
6.	लक्ष्यद्वीप और मिनीकाय द्वीपसमूह	99*	99*
7.	पाण्डिचेरी	99*	99*
	राष्ट्रीय कवरेज	89.7	91

* कुछ परिस्थितियों संबंधी विशेष अपेक्षा पर ध्यान दिए बिना इन राज्यों में कवरेज को सामान्यतया 100 प्रतिशत माना जा सकता है।

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति

1450. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को पर्याप्त मात्रा में और अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति न करने के संबंध में सरकार को कोई शिकायत भेजी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के स्रोतों से स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) को कोककर तथा अकोककर कोयले दोनों ही की मांग तथा आपूर्ति में कमी रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की अवधि की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	कोककर कोयला (धुला तथा सीधे फीड कोयला) (मि. टन में)		अकोककर कोयला (बॉयलर कोयला) (मि. टन में)	
	लक्ष्य	आपूर्ति	लक्ष्य	आपूर्ति
1991-92	9.50	9.22	6.00	4.24
1992-93	9.90	9.88	6.00	4.24
1993-94	9.96	9.50	6.24	3.94

समय-समय पर धुले कोककर कोयले में राख की मात्रा होने से संबंधित गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सेल की आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) धुले कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार के लिए विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण को शीघ्र पूरा किया जाना।

(2) 5.1 मि. टन कुल वार्षिक कच्चा कोयला की क्षमता सहित दो नई वाशरियां धुले कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि के लिए निर्माणाधीन हैं।

(3) "अपनी बनाओ-चलाओ" योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए को.इं.लि. द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(4) "सेल" के इस्पात संयंत्रों को कोयले के प्रेषण के लिए वैगनों की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए रेलवे के साथ निकटतम सम्पर्क रखा जाता है।

तेल भंडार

1451. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उत्पादन दर के अनुसार तेल कुओं के भारतीय भंडार कितने समय तक चलने की आशा है; और

(ख) वर्तमान तेल क्षेत्रों के प्रतिलभ्य भंडार में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उत्पादन की वर्तमान दरों के आधार पर उत्पादन अनुपात के प्रति वर्तमान रिजर्व लगभग 23 वर्ष है।

(ख) उत्पादन अधीन क्षेत्रों से वसूली योग्य भंडार को बढ़ाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) रिजर्वायर प्रबंधन तकनीकों का न्यायोचित उपयोग जिसमें जल/गैस अन्तः क्षेपण के माध्यम से दबाव रखरखाव सम्मिलित है।

(ii) स्वस्थानों दहन, बहुलक आप्लावन इत्यादि जैसे संबंधित तेल प्रतिपूर्ति तरीकों का वाणिज्यिक उपयोग।

(iii) अनुप्रस्थ कूप पूरे करना, नलिका छिद्र वेधन तथा इनफिल वेधन इत्यादि करना।

[हिन्दी]

ताप्ती गैस परियोजना से गैस की आपूर्ति

1452. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने ताप्ती गैस परियोजना से राज्य के उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन उद्योगों ने ताप्ती गैस परियोजना से गैस दिए जाने के लिए कहा है;

(घ) प्रत्येक उद्योग ने गैस की कितनी मात्रा दिये जाने के लिए कहा है तथा आज की तिथि तक जिन-जिन उद्योगों को गैस की आपूर्ति की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष उद्योगों को कब तक गैस की आपूर्ति कर दी जाएगी तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). गुजरात सरकार ने पीपावव में एक विद्युत संयंत्र के लिए ताप्ती से कम से कम 1.5 एम एम एस सी एम डी गैस के आबंटन के लिए अनुरोध किया है। हजीरा तक और एच बी जे पाइपलाइन के आसपास वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से हजीरा तक

[अनुवाद]

बराजों का निर्माण

1453. **श्री हरिन पाठक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत की ओर बहने वाली नदियों पर बराजों के निर्माण हेतु सहमत हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). जी, नहीं। नेपाल से आ रही नदियों पर बांध का निर्माण भारत और नेपाल के बीच विचाराधीन नहीं है। तथापि, दोनों देशों के बीच कुछ जल संसाधन परियोजनाओं के सहयोग पर विचार किया जा रहा है। परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति नेपाल से प्राप्त होने वाले सहयोग पर निर्भर करेगी।

राजनीतिक कैदियों को पेंशन

1454. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों की पेंशन दर बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) इस वर्ग के अभी तक जीवित कैदियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन पेंशन-भोगियों की विधवाओं को भी समान राशि मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) सरकार ने, 2.10.1994 से, भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की दर को 1250/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 1750/-रु. प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 250/- रु. प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी मिलेगा।

(ख) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार जीवित भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों की संख्या 78 है जिनमें से चार विदेशों में रह रहे हैं।

(ग) से (ङ). दिवंगत हो चुके भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक

सरकार की नीति है कि सभी श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को उसी दर पर पेंशन दी जानी चाहिए। फिलहाल दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नियों को स्वीकृत पेंशन की दर 1500/- रु. माहवार है।

रसोई गैस एजेंसियां

1455. श्री हाराधन राय : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने स्वविवेक अधिकार के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल के जिन खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस की एजेंसियों को मंजूरी दी गई है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अधीन आबंटन सुपात्र मामलों में अनुकंपा आधार पर किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को नीचे दर्शाया गया है :—

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
1992-93	19	64
1993-94	52	55
1994-95	75	62

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

1456. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या पेट्रोलियम गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1994 को आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) किन-किन स्थानों को 1994-95 के दौरान रसोई गैस एजेंसियां आबंटन के लिए चुना गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 393 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्य कर रही थीं।

(ख) आंध्र प्रदेश के लिए एल पी जी विपणन योजना 1994-95 में 73 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गयी हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त चालू एल पी जी विपणन योजना 1992-94 में 40 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई थीं। जिनके लिए चयन का कार्य तेल चयन बोर्ड (आंध्र प्रदेश) के माध्यम से जारी है। विज्ञापन की तिथि से डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शुरू करने के लिए सामान्यतया 1 से 2 वर्ष का समय लग जाता है।

आंध्र प्रदेश को रॉयल्टी

1457. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का विचार तेल तथा गैस निकालने के लिए आंध्र प्रदेश को देय रायल्टी में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). रायल्टी दरें सरकार द्वारा नियत की जाती हैं। अब जैसे ही ब्लाक 1993-96 के लिए तेल का कूप शीर्ष मूल्य उपलब्ध होता है, इन्हें संशोधित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना

1458. श्री पी.पी कालियापेरुमल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) तमिलनाडु में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ क्रेडिट करार के अंतर्गत तमिलनाडु में आरंभ की गई उप-परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह सूचित किया गया है कि छः उप-परियोजनाएं जो पूरी होने वाली हैं, में जल प्रबंध और वितरण, अनुरक्षण तथा सिंचाई क्षमता में सुधार हुआ है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 93-94 और 94-95 के दौरान परियोजना-वार व्यय (सितम्बर, 1994 तक), संचयी व्यय और सितम्बर, 1994 तक किया गया भुगतान और पूरा करने की संभावित तारीख

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	कृष्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	संशोधित अनुमानित लागत	व्यय 1992-93	व्यय 1993-94	व्यय 1994-95	संचयी (सितम्बर, 1994 तक) व्यय	विश्व बैंक से प्राप्त भुगतान की राशि	पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**योजना निवेश**									
1.	सथनूर	13.4.88	18210	455	77.93	96.10	11.21	444.29	356.91	31.3.95
2.	कोडियार	13.4.88	36836	1351	360.77	350.73	184.27	1390.51	1049.49	31.3.95
3.	थमब्रापरनी	13.4.88	45282	1661	468.93	158.71	90.13	1300.18	991.85	31.3.97
4.	अमरावती	6.12.89	22384	821	174.96	100.75	151.61	817.02	628.80	31.3.96
5.	कमबम घाटी	7.2.90	8099	297	65.94	45.23	28.52	329.03	260.28	31.3.95
6.	मारूधानाधी	21.3.91	2665	98	63.75	4.30	11.49	97.90	64.94	31.3.95
7.	सेथियाटोप	07.2.90	19466	714	1217.47	338.26	167.86	765.23	525.30	31.3.96
8.	थोलूदार	26.7.91	14915	547	109.16	352.69	21.45	483.30	409.79	31.3.97
9.	चित्तर	23.6.92	9644	353	—	109.47	98.47	207.92	3:36	31.3.95
10.	मंजालार	04.2.93	2169	83	—	27.24	38.49	66.53	29.03	31.3.95
	उप-जोड़ (I)		179670	6380	2538.91	1583.48	803.50	5901.91	4319.84	
II	**स्थापना आदि**				243.78	269.69	142.25	2789.26	1482.85	
कुल I + II					2782.69	1853.17	945.75	8691.17	5802.69	

[हिन्दी]

दिल्ली की वार्षिक योजना

1459. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने 1995-96 के लिए दिल्ली के लिए कितने वार्षिक योजना परिव्यय को मंजूरी दी है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1995-96 के वार्षिक योजना आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 1995-96 का अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 1720.00 करोड़ रु. है।

(ख) से (घ). उपाध्यक्ष योजना आयोग और मुख्य मंत्री, दिल्ली के बीच हुई बैठक में परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है। इस परिव्यय को बढ़ाने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

पुलिस स्टेशनों में वाहन

1460. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 तक दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पड़े उन वाहनों की संख्या कितनी है जो किसी न किसी अपराध में शामिल थे;

(ख) क्या इन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही जिसके फलस्वरूप वाहनों के कीमती पुर्जे निकाल लिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) यह संख्या 1592 है।

(ख) और (ग). अपराधों से संबंधित तथा दिल्ली के पुलिस थानों में पड़े वाहनों से मंहगे पुर्जे निकाल लिए जाने की कोई घटना सूचित नहीं हुई है। ऐसे सभी वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एस.एच.ओ. को निदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

अखिल अरुणाचल प्रदेश विद्यार्थी यूनियन और अखिल असम विद्यार्थी यूनियन के साथ बातचीत

1461. डा. सुधीर राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का असम, अरुणाचल प्रदेश और चकमा के विद्यार्थी निकायों के साथ समझौता करने हेतु बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह चकमा लोग जो 1964 में भारत आए थे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जो चकमा शरणार्थी 25.3.1971 से पूर्व भारत आए थे और तत्कालीन नार्थ ईस्ट फ्रंटियर (अब अरूणाचल प्रदेश) में बस गये थे, उन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (क) के अन्तर्गत नागरिकता प्रदान की जाती है। तथापि अरूणाचल प्रदेश सरकार ने नागरिकता नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक रिपोर्ट देने में स्थानीय कारणों की वजह से कुछ कठिनाईयां व्यक्त की हैं।

एल पी जी कनेक्शन

1462. श्री हरिभाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जाली वरीयता वाउचरों के आधार पर एल पी जी गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या थे; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का...प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान (31.1.1995 तक) जाली प्राथमिकता पर्चियों के आधार पर गुजरात में 63 एल पी जी कनेक्शन जारी हुए पाए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) साबित हुए मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं, सिलेंडर और रेगुलेटर वापस ले किए गए हैं तथा उपस्करों की जमानत राशि जब्त कर ली गई है।

घटिया कोयले की आपूर्ति

1463. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के तापविद्युत केन्द्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). गुजरात राज्य तापीय विद्युत गृहों से घटिया कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से कोयले में फालतू सामग्री तथा कोयले के बड़े आकार, पथरीले तथा मिट्टीयुक्त होने से संबंधित होती हैं। यद्यपि कोयले की विक्री उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पिट हैड पर की जाती है, किन्तु इन शिकायतों की प्रत्येक मामले की गुणावगुण आधार पर जांच होती है तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) कोयला खनन की प्रक्रिया में, विशेषकर ओपेनकास्ट खानों में कुछ पत्थर/स्लेट/बेकार की सामग्री कोयले के साथ मिश्रित हो जाती है। विद्युत गृहों सहित उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) फीडर ब्रेकर तथा कोयला रख-रखाव संयंत्र स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

(2) कोयले के लदान के समय पत्थरों को पृथक किया जा रहा है।

(3) जहां भी व्यवहार्य होता है, स्लेट तथा पत्थर के टुकड़े हाथ में उठाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों में धीमे चलने वाली पिकिंग बेल्ट उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) रेलवे साइडिंग पर कार्यरत कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों के बीच कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने तथा गुणवत्ता संबंधी जागरूकता विकसित करने के लिए लदान के समय अच्छा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

(5) गुजरात के उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को कोयला प्रेषण की गुणवत्ता सुनिश्चित, करने के लिए लदान स्थल पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जनजातियों का लुप्त होना

1464. श्री पार्थ फर्नान्डीज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पहली जनगणना के पश्चात कितनी जनजातियां लुप्त हो गयी हैं;

(ख) कितनी जनजातियां लुप्त होने वाली हैं;

(ग) इस त्रासदी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : 1961-1981 की जनगणना के दौरान देश में कोई अनुसूचित जनजाति लुप्त नहीं हुई है। अनुसूचित जनजाति की व्यैक्तिक जनसंख्या 1961 के केवल उन्ही जनजातियों के लिए उपलब्ध है जो राष्ट्रपति के आदेशों तथा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संगत जनगणनाओं के समय लागू अधिनियम में उल्लिखित हैं। 1991 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आदिवासी-वार जनसंख्या का भारत के महापंजीयक द्वारा अभी तक सारणीबद्ध नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, 1981 की जनगणना में यथा प्रदर्शित 1961 तथा 1971 की जनगणना से संबंधित नौ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में गिरावट को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारत के महापंजीयक के अनुसार जनसंख्या में गिरावट अंतः प्रजनन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर, कुपोषण, अन्य क्षेत्रों से कुछ समूहों का आव्रजन जहां प्रश्नाधीन अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा नहीं की गई है और गलत गिनने के कारण है।

(ग) आदिवासियों की सुरक्षा तथा विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। भारत सरकार आदिम जनजाति समूहों के लिए विशेष आबंटन करती है और यहां तक कि सपूरण के सिद्धांत पर बल नहीं देती है, आदिम जनजाति समूहों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम 100 प्रतिशत के अनुदान के आधार पर शुरू किए जाते हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों (पी.टी.जी.) के लिए अलग से निधियां निर्धारित की जाती हैं।

विवरण

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में गिरावट को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अनुसूचित जनजाति का नाम	राज्य का नाम	1961	1971 अनुसार जनसंख्या	1981
1.	भरवाड	गुजरात	806	531	519
2.	खामाचा	अरूणाचल प्रदेश	23	848	342
3.	खोवा	अरूणाचल प्रदेश	–	703	625
4.	कोटा	कर्नाटक	31	103	75
		केरल	3	—	41
		तमिलनाडु	833	1,188	604
5.	मलायकंडी	कर्नाटक	3580	46	129
		तमिलनाडु	—	497	70
6.	मालेखा	कर्नाटक	1166	1,321	966
7.	ओगे	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	129	112	97
8.	योबिन	अरूणाचल प्रदेश	—	929	5
9.	जखैरिंग	अरूणाचल प्रदेश	—	23	14

कच्चे तेल का आयात

1465. श्री शरत पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सीधे आयात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

अर्धसैनिक बल

1466. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न अर्धसैनिक बलों के ग्रुप मुख्यालय किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार किसी अर्धसैनिक बल के मुख्यालय का राजस्थान से बाहर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों में से मात्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ही ग्रुप सेन्टर्स की अवधारणा के तहत आता है। राजस्थान में, अजमेर के लिए प्रस्तावित एक ग्रुप सेंटर कार्य कर रहा है। दूसरा ग्रुप सेंटर अजमेर में अस्थायी रूप से स्थापित है। इस ग्रुप सेन्टर को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सिंचाई के लिए धनराशि का आवंटन

1467. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और 1995-96 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्यन के लिए मध्य प्रदेश को पर्याप्त धनराशि दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जल संसाधन मंत्रालय राज्यों में छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई निधि आवंटित नहीं कर रहा है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैराफिन वैक्स का उत्पादन

1468. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लघु उद्योग एकक आई ओ सी बरौनी की स्लैक वैक्स से पैराफिन वैक्स टाइप दो का उत्पादन करने में सक्षम है;

(ख) क्या आई ओ सी बरौनी द्वारा लघु एककों को स्लैक वैक्स जारी नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान पैराफिन वैक्स टाइप-दो और तीन के लिए अलग-अलग वैक्स की कुल कितनी मात्रा लघु उद्योग एककों को जारी की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). फिलहाल देश में स्लैक वैक्स का उत्पादन बरौनी, हल्दिया तथा मद्रास की रिफाइनरियों द्वारा किया जाता है। उत्पादित स्लैक वैक्स की आपूर्ति उद्योगों के निदेशक के पास किस्म-III पैराफिन मोम का उत्पादन करने के लिए पंजीकृत सभी अधिकृत स्लैक वैक्स संसाधक इकाइयों को की जाती है जो बी आई एस (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा भी प्रमाणित होता है। थोक मात्रा की आपूर्ति बरौनी रिफाइनरी से तथा सीमित भाग में एम आर एल तथा हल्दिया से की जाती है। वर्ष 1993-94 के लिए स्लैक वैक्स की निम्नलिखित पात्र इकाइयों को जारी की गयी थी :-

(मि.ट. में)

स्लैक वैक्स	बरौनी	हल्दिया	एम आर एल
1993-94	31109	11651	198

गुजरात की तेल परियोजनाएं

1469. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने तेल क्षेत्र में ड्रिलिंग हेतु गुजरात में कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि लगी है; और

(घ) इन परियोजनाओं में अब तक कितनी कार्य प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात राज्य के कैम्बे बेसिन में कई एक सिद्ध तथा उत्पादनरत क्षेत्रों में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा वेद्यन प्रचालनों का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया है। इस बेसिन में एक अप्रैल, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 38 क्षेत्रों में वेद्यन क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे। इन्हें जारी रखा गया था।

आयल इण्डिया लि. ने राज्य के अंतर्गत अब तक कोई वेद्यन क्रियाकलाप आरम्भ नहीं किए हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में वेद्यन क्रियाकलापों पर क्रमशः 476.34 करोड़ रुपए तथा 463.25 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान इस क्रियाकलाप पर 527.50 करोड़ रुपये का व्यय विचारित है।

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने गुजरात राज्य में लगभग 12.85 लाख मीटर के कुल मीटरेज के साथ 636 कूप वेद्यित किए हैं।

[हिन्दी]

एल पी जी की सप्लाई करने वाली निजी कंपनियां

1470. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी कंपनियों के क्या नाम हैं जो देश में बड़े पैमाने पर एल पी जी सप्लाई कर रही है;

(ख) क्या एल पी जी की सप्लाई सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो दोषी कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). समानांतर विपणनप्रणाली के अन्तर्गत निजी कंपनियों को बाजार निर्धारित मूल्यों पर आयातित एल पी जी के विक्रय के लिए, अपनी स्वयं की सुविधाओं और वितरण नेटवर्क का प्रयोग/स्थापना करते हुए एल पी जी का आयात करने की अनुमति दी गई है। समानान्तर विपणन आरंभ के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तक 12 पार्टियों ने एल पी जी का आयात किया है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. मैसर्स एस्सार वर्ल्ड ट्रेड
2. मै. हिन्दुस्तान डोमेस्टिक आयल एण्ड गैस कम्पनी
3. मै. जय सिलिंडर्स
4. मै. भारत शैल
5. मै. श्री शक्ति एल पी जी
6. मै. एजिस केमिकल्स
7. मै. कैबसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8. मै. पॉलरिल
9. मै. भूमि गैस
10. मै. एस पी आई सी
11. मै. पाल रिफाइनरी लिमिटेड
12. मै. फीना।

उपर्युक्त पार्टियों द्वारा आयातित एल पी जी का अधिकतर भाग औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को थोक में बेच दिया गया है।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद

1471. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास लंबित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये विवाद कब से लंबित है;

(ग) लंबित विवादों के कारण कितनी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य बंद पड़ा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विवादों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत रावी-व्यास अधिशेष जल का बंटवारा और कावेरी जल का बंटवारा नामक दो विवाद क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अधिकरण को भेजे गए थे। रावी-व्यास जल अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1987 में दी थी और भारत सरकार तथा पक्षकार राज्यों ने अधिकरण की इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगने के लिए अधिनियम के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार और पत्र भिजवाए। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने तमिलनाडु और पांडिचेरी को अन्तरिम राहत प्रदान करते हुए 25.6.1991 को एक आदेश पारित किया। केन्द्रीय सरकार ने 10.12.1991 को अधिकरण के आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जिससे यह विवाद से सम्बन्धित पक्षों पर बाध्य हो गया। ओखला तक यमुना जल के आबंटन सम्बन्धी समग्र समझौते पर 12.5.1994 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ग) अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण कुल 51 सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में लंबित हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों को आपसी बातचीत के जरिए अंतर्राज्यीय मुद्दे हल करने के लिए राजी करती है। तथापि विशिष्ट मामलों में संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार/जल संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति के जरिए इन मुद्दों को हल करने में भी सहायता करती है।

आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

1472. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंसू गैस के शेलों की कमी

1473. प्रो. के.वी. थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य पुलिस बलों के प्रमुखों की ओर से आंसू गैस के शेलों की कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैट्रो चैनल द्वारा अर्जित राजस्व

1474. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक दूरदर्शन मैट्रो चैनल द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : मैट्रो चैनल जिसने अपनी सेवा 1993 में शुरू की थी, द्वारा अर्जित सकल राजस्व निम्न प्रकार से है :—

1993–94	25.30 करोड़ रुपये
1994–95 (फरवरी, 95 तक)	68.54 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

1475. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कुछ नियमों में हाल में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये विभिन्न संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित नियमों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

(1) सर्वोत्तम बाल कलाकार के लिए नकद पुरस्कार को सर्वोत्तम कलाकार और सर्वोत्तम महिला कलाकार के लिए नकद पुरस्कार के बराबर लाने हेतु इसे 5000/- रु. से बढ़ाकर 10,000/-रुपये किया गया है।

(2) जिस निर्माता की फिल्म को सर्वोत्तम गैर-फीचर फिल्म माना गया है उसे प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार की राशि 15000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये कर दी गई है।

(3) पूर्व नियमों में यह प्रावधान था कि पुरस्कार हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत करने वाले फिल्म निर्माता निर्णायक-मण्डल के सदस्य हेतु मनोनयन के लिए पात्र नहीं थे। संबंधित प्रविष्टि से सम्बद्ध कैमरामैन जैसे तकनीकी व्यक्तियों को भी निर्णायक-मण्डल में नामित करने से प्रतिबाधित करने के उद्देश्य से अब निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

> "फीचर अथवा गैर-फीचर श्रेणी में प्रतियोगिता हेतु सम्मिलित फिल्मों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कोई व्यक्ति किसी भी निर्णायक मण्डल में शामिल किए जाने का पात्र नहीं होगा।"

(4) नियमों में यह व्यवस्था थी कि 1 जनवरी और 31 दिसम्बर के बीच भारत में निर्मित और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्में विचार हेतु पात्र हैं। केवल 31 दिसम्बर को अवकाश होने के कारण केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप, कैलेण्डर वर्ष में निर्मित फिल्मों को सम्मिलित किए जाने से वंचित रखे जाने को दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा है :—

> "31 दिसम्बर का दिन अवकाश होने की अवस्था में अगले सरकारी कार्य दिवस को अंतिम तारीख माना जाएगा।"

(5) प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 28 फरवरी से बदलकर 31 मार्च कर दी गई है क्योंकि फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय देना आवश्यक समझा गया है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में आग लगने की घटनाएं

1476. डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई थीं;

(ख) इससे कितनी क्षति हुई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में हुई आग दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बड़ी दुर्घटनाएं	छोटी दुर्घटनाएं	कुल दुर्घटनाएं
1992	4	34	38
1993	3	41	44
1994	6	37	43

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुए वित्तीय घाटे को नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि घाटा (अनुमानित)
	(रु.)
1992	70.81 लाख
1993	79.00 लाख
1994	33.49 लाख

(ग) अनेक एहतियाती तथा निरोधात्मक उपाय किए जाने के बावजूद परिचालन के दौरान समय-समय पर विभिन्न एककों में आग की दुर्घटनाएं हुई हैं। चूंकि यह अनिवार्यतः विभिन्न यूनिटों के परिचालन से संबंधित है, इसलिए इस संबंध में उपचारात्मक उपाय करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व कंपनी का है, जिसने कि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(एक) प्रत्येक यूनिट के सुरक्षा अधिकारी के साथ सुरक्षा कक्ष गठित करना।

(दो) सामयिक रूप में अग्नि-शमन प्रशिक्षण तथा ड्रिल आयोजित करना।

(तीन) विस्तृत जानकारी के लिए सभी यूनिटों के सुरक्षा कक्ष सदस्यों की मासिक बैठकें करना।

(चार) विद्युत स्टेशनों तथा बी.एंड सी. संयंत्रों में धूल अधिक्रमण प्रणाली अपनाना।

(पांच) पोस्टरों, आदि के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त प्रचार करना।

किन्तु, गुरूत्वाकर्षण पर निर्भर होते हुए, सरकार ने पूर्व में जांच की थी तथा इसके फलस्वरूप विस्तृत निर्देश जारी किए, जिसमें विशेष रूप से सुरक्षा जागरूकता, उपचारात्मक अनुरक्षण का कड़ाई से अनुपालन, सुरक्षा संबंधी शिक्षा दिए जाने, आदि पर बल दिया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1477. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और विकास के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तेल और गैस की खोज के लिए ठेके देने में हो रहे विलंब को कम करने और समझौता प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल और गैस के अन्वेषण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक अंतिम रूप दिए गए ठेकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वार्ताएं शीघ्र करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

विवरण

अन्वेषण बोली के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए गए ठेके

दौर	ब्लॉक	परिसंघ का नाम जिसके साथ ठेका हस्ताक्षर/अनुमोदित किया गया है।	स्थिति
चौथा	(1) के जी-ओ एस-90/1	(1) अल्बियन इंडिया इंक, यू एस ए	हस्ताक्षरित 19.2.1993
		(2) कोप्लेक्स (इंडिया) लि., आस्ट्रेलिया	
		(3) नाइको रिसोर्सिज, कनाडा	
		(4) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., इंडिया (एच ओ ई सी)	
	(2) जी एन-ओ एन-90/3	(1) एच ओ ई सी इंडिया	हस्ताक्षरित
		(2) मफतलाल इंडस्ट्रीज इंडिया	29.3.1993
	(3) सी वाई-ओ एस-90/1	(1) वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए	हस्ताक्षरित
		(2) एच ओ ई सी इंडिया	30.12.1994
		(3) टाटा पेट्रोडाइन इंक, इंडिया	

वे छोटे और मध्यम आकारीय क्षेत्र जिनके लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं (1992)

क्र.सं.		तेल/गैस	परिसंघ का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
(क)	छोटे आकार के क्षेत्र			
1.	कैम्बे	गैस	(i) गुजरात स्टेट पेट्रोकेमीकल कारपोरेशन लि. इंडिया।	
2.	मातार	तेल	(ii) नाइको रिसोर्सेज, कनाडा	23.9.94
3.	साबरमती	तेल		
4.	भंदूत	तेल		
5.	हजीरा	गैस		
6.	आसनजोल	तेल	(i) एच ओ ई सी, इंडिया	
			(ii) पेट्रोडाइन इंक, यू एस ए	3.2.95
			(iii) जी एस पी सी एल, इंडिया	
7.	ढोलका	तेल	(i) जोशी टेक्नालाजीज इंक, यू एस ए	20.2.95
8.	वावेल	तेल	(ii) लार्सन एण्ड टूब्रो इंडिया सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज, नई दिल्ली।	13.3.95
9.	इंदरोरा			
10.	बक्रोल			
11.	लोहार			
(ख)	मध्यम आकारीय			
1.	रावा	तेल	(i) विडियोकान पेट्रोलियम लि., नई दिल्ली	
			(ii) कमांड पेट्रोलियम इंडिया प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	28.10.94
			(iii) रावा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर	
2.	मध्यम और दक्षिण ताप्ती	गैस	(i) रिलायंस, इंडिया	
3.	मुक्ता	तेल	(ii) एन्रान, यू एस ए का परिसंघ	22.12.94
4.	पन्ना	तेल		

[हिन्दी]

कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण

1478. श्री एन.जे. राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने तीन वर्ष अर्थात् 1994-97 तक की अवधि के लिए एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने, पुरानी जेलों की इमारतों की मरम्मत और पुनर्नवीकरण करने, निर्माण कार्यक्रमों, चिकित्सा-सुविधा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और महिला अपराधियों हेतु सुविधाओं आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष 1994-95 के लिए गुजरात सरकार को अब तक 33.19 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अनधिकृत रसोई गैस कनेक्शन

1479. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार रसोई गैस के कितने अनधिकृत कनेक्शन पकड़े गए;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अनधिकृत रसोई गैस कनेक्शनों को नियमित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उन अनधिकृत कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है जिनके बारे में पता चला :—

1992-93	2
1993-94	1174
1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)	10

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार अनधिकृत कनेक्शनों (वैध कागजातों के बिना) को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनधिकृत कनेक्शनों के विनियमन की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हो सकती है :—

(1) अनधिकृत कनेक्शनों में वृद्धि।

(2) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को एल पी जी कनेक्शन देने से इनकार।

(3) नेटवर्क में नकली सिलिंडरों के प्रवेश में वृद्धि।

(4) एल पी जी सिलिंडरों की चोरी।

(5) डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अनियमितता बरतना।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना

1480. श्री ललित उरांव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बिहार के लिए स्वीकृत उप-योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन उप योजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार नलकूप परियोजना के लिए 25 डीजल जनरेटिंग सेट उपलब्ध करने के लिए 60 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गयी।

जल बंटवारा

1481. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल बंटवारे से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कितने मामले केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई दो सिंचाई परियोजनाएं जल के बंटवारे तथा अन्य संबंधित अन्तर्राज्यीय मुद्दों के कारण केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं।

(ख) इन परियोजनाओं की प्राप्ति की तारीख तथा शामिल अन्तर्राज्यीय मुद्दों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि अन्तर्राज्यीय मुद्दों का हल संबंधित राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत के जरिए ऐसे विवादों का हल करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति भी वर्ष 1990 में गठित की है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल राज्य	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति	अन्तर्राज्यीय मुद्दों का ब्यौरा
1.	कन्हर सिंचाई परियोजना (वृहद नयी)	उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश	17427	9/94	राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।	उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य सोन नहर पर सोन पम्प नहर के अन्तर्गत शेष 0.1 मि. एकड़ फुट कन्हर उप-बेसिन जल का उपयोग करने के लिए बिहार सरकार की सहमति प्राप्त करनी है। यह प्रस्तावित उपयोग बाण सागर करार, 1973 के विरूद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार को बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों से उनके संबंधित क्षेत्रों में जल मग्न होने वाली भूमि के बारे में भी सहमति प्राप्त करनी है।
2.	टोंस पम्प नहर	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	1851	6/89	राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।	उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापक किनारों वाले वीयर का निर्माण किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जलमग्न होने वाली जमीन के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच आपसी सहमति अपेक्षित है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत

1482. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो ये कीमतें कहां तक गिरी हैं; और

(ग) तेल के आयात पर किए जाने वाले आयात व्यय में अनुमानतः कितनी गिरावट आई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 में विद्यमान मूल्यों की तुलना में, वर्तमान वर्ष, 1994-95 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में सामान्यतया ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का नियतन

1483. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक निधि का नियतन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित राशि से कम राशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) लघु उद्योगों के विकास के लिए अधिक निधियों के आवंटन के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). योजना आवंटन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष अंतर्क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं के अनुसार किए जाते हैं। तदनुसार, आठवीं योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य में ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 105.87 करोड़ रु. का सहमत परिव्यय था, जो सातवीं योजना के दौरान इसी क्षेत्र के लिए 76.38 करोड़ रु. के वास्तविक व्यय से अधिक है। ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सातवीं योजना परिव्यय 108.69 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध

1484. श्री परसराम भारद्वाज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में घरेलू नौकरों विशेषकर नेपाली नौकरों द्वारा काफी संख्या में की गयी हत्याओं/चोरियों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आज की स्थिति तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया;

(ग) कितने मामलों में सजा दी गई; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(I) नौकरों के पूर्ववृत के सत्यापन के लिए सत्यापन अभियान चलाए गए हैं।

(II) नियोक्ताओं को, अपने जेवरात तथा कीमती सामान की सुरक्षा के लिए पूर्वोपाय करने के लिए ब्रीफ कर दिया गया है।

(III) रेजीडेन्ट्स वेल्फेयर ऐसासिएशनों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां निवारात्मक उपायों पर चर्चा की जाती है और जनता एवं पुलिस के बीच सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाती है।

(IV) सभी पुलिस कर्मियों को, इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के लिए ब्रीफ/निर्दिष्ट किया गया है।

विवरण

वर्ष	1993			1994			1995 (28.2.95 तक)		
अपराध	दर्ज मामले	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दर्ज मामले	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दर्ज मामले	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या
हत्या	7	7	–	4	2	–	1	1	–
चोरी	64	47	6	47	21	1	11	6	–

स्वामीनाथन समिति

1485. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन के लिए गठित एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिक रोजगार सृजन करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन समिति को नियुक्त नहीं किया है। बहरहाल, डा. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में शांति तथा खाद्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने "समृद्धि 2000–भारत में व्यावसायिक कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धित विकास के माध्यम से 10 वर्षों में 100 मिलियन रोजगार सृजन की कार्यनीति" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

(ख) भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए एक छोटे किसान कृषि व्यवसायी संघ दृष्टिकोण को अपनाते हुए 12 जिलों में चुनिंदा पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

निःशुल्क वाणिज्यिक समय में कटौती

1486. श्री पी. कुमारासामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम निर्माताओं के लिए उपलब्ध निःशुल्क वाणिज्यिक समय में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। दूरदर्शन के व्यावसायिक राजस्व को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ श्रेणियों में निःशुल्क

व्यावसायिक समय (एफ.सी.टी.) की मात्रा में 30 सैकेण्ड की कमी की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) संशोधित वाणिज्यिक दर कार्ड को लागू करने की तारीख 1 अप्रैल, 1995 तक बढ़ा दी गई है।

दूरदर्शन समाचार-वाचक

1487. श्री पी.सी. चाको : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर पूर्णकालिक और अंशकालिक समाचार वाचकों की भर्ती के लिए अलग-अलग क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी समाचारों के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक समाचार वाचकों की नियुक्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो पूरी की जाने वाली चयन औपचारिकताओं सहित ब्यौरा दें; और

(घ) इन्हें कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) काफी वर्षों से दूरदर्शन नियमित आधार पर समाचार वाचकों की भर्ती नहीं कर रहा है। दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में नैमित्तिक/अनुबंध आधार पर समाचार वाचक के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु अभ्यर्थी को पत्रकारिता में अनुभव के साथ स्नातक, 21-35 वर्ष की आयु का तथा दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। योग्य अभ्यर्थियों को उनकी भाषा पर पकड़, शुद्ध उच्चारण और शैली, सम-सामायिक विषयों की जानकारी, समग्र व्यक्तित्व और चित्रोपम होने के मूल्यांकन हेतु साक्षात्कारों से गुजरना होता है।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

त्रिपुरा में गैस की कमी

1488. डा. असीम बाला : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य को अपने उर्वरक उद्योग के लिए आवश्यक गैस नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने इसके लिए कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). त्रिपुरा में एक उर्वरक संयंत्र के लिए 0.5 एम एम एस सी एम डी गैस का निर्धारण किया गया है।

(ग) और (घ). ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारतीय कारागारों में पाकिस्तानी बन्दी

1489. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कारागारों में बहुत से पाकिस्तानी बन्दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी कुल संख्या क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). ऐसी सूचना को केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता है।

केलकर समिति

1490. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केलकर समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). केलकर समिति ने अगस्त, 1988 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में समाचारपत्रों हेतु अखबारी कागज के आवंटन को सरल और कारगर बनाने हेतु तथा अंततोगत्वा अखबारी कागज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय अपनाने का सुझाव दिया था। समिति की अधिकतर सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। दसवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा भी रिपोर्ट की संवीक्षा की गई है जैसा कि 12.8.1992 को लोक सभा में प्रस्तुत उनकी 18वीं रिपोर्ट (1992-93) में प्रतिबिम्बित किया गया है।

राजस्व की क्षतिपूर्ति

1491. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास नशाबन्दी लागू किए जाने के कारण राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी क्षतिपूर्ति की मांग की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). नशाबंदी लागू करने के कारण राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए वर्तमान में कोई स्कीम कार्यान्वियनाधीन नहीं है।

(ग) हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नशाबंदी लागू करने से होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से अभिवेदन किया है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

1492. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का उत्पादन इसके घरेलू मांग के अनुरूप है;

(ख) क्या कुछ कम्पनियां देश में कोयले का आयात कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान जिन कम्पनियों को आयात की अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) निम्न राख वाले कोकिंग कोयले तथा उच्च ग्रेड के अकोकिंग कोयले को छोड़कर घरेलू कोयले की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए देश में कोयले का उत्पादन पर्याप्त है।

(ख) जी, हां।

(ग) कोयले का वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में आयात किया जा सकता है, अतः इसके आयात के लिए भारत सरकार से किसी भी तरह का लाइसेंस लेने/अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

संग्रहण तथा पारेक्षण प्रणाली

1493. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकी विभाग को मानकों के विकास तथा आंकड़ों के संग्रहण और पारेक्षण के लिए शीर्षस्थ समन्वयकारी एजेन्सी की भूमिका सौंपी गयी है; और

(ख) यदि हां, अब तक इस संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) सांख्यिकी विभाग की सांख्यिकी के क्षेत्र में शीर्ष नाडल समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कोई औपचारिक अधिसूचना नहीं है। तथापि, इसे आबंटित कार्य को ध्यान में रखते हुए, यह विभाग एक परामर्शदाता के रूप में समन्वय करने की ओर कुछ पहल कर रहा है। यह कार्य सांख्यिकी संबंधी परामर्शदात्री बोर्ड, केन्द्रीय तथा राज्य सांख्यिकीय संगठनों के द्विवार्षिक सम्मेलन तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों की तकनीकी परामर्शदात्री समितियों द्वारा मंच प्रदान कराकर किया जाता है। राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों को अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी विभाग में तकनीकी अनुमोदन लेना बाध्यकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिन्ध परियोजना

1494. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्शदात्री समिति ने मध्य प्रदेश की सिंध चरण दो सिंचाई परियोजना की तकनीकी-आर्थिक जांच का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी राशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। सलाहकार समिति ने दिसम्बर, 1992 में आयोजित अपनी बैठक में मध्य प्रदेश की सिन्ध नदी चरण-II परियोजना, जिसमें 162100 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है, 510.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य सरकार वन स्वीकृति प्राप्त करले और वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दे।

(ग) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

डा. बी.आर. अम्बेडकर का स्मारक

1495. श्री आनन्द अहिरवार :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 26, अलीपुर रोड, दिल्ली को डा. अम्बेडकर स्मारक में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में पहले ही आवश्यक अधिग्रहण कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने अधिग्रहण लागत लगभग 9.80 करोड़ रुपए की राशि का संकेत दिया है, जिसका प्रबन्ध किया जा रहा है। 8.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान पहले ही 1995-96 के बजट आकलन में कर दिया गया है। इस चरण पर उस सम्पत्ति को स्मारक के रूप में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

नई विद्युत परियोजनायें

1496. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान नई विद्युत परियोजनाओं के लिये गुजरात को कितनी धनराशि स्वीकृति की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उसमें से कितनी धनराशि जारी की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). गुजरात राज्य के लिए वार्षिक योजना 1992-93, 1993-94 और 1994-95 हेतु नई विद्युत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्ययों और व्ययों से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाख रु.)

1992-93		1993-94		1994-95
अुमोदित	वास्तविक व्यय	अनुमोदित	संभावित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
2731	0	1600	3000	4250

रेडियो पेजिंग

1497. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी, दिल्ली के एफ.एम. ट्रांसमीटर के माध्यम से रेडियो पेजिंग सेवा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस रेडियो पेजिंग के प्रमुख उद्देश्यों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की सेवा देश के अन्य भागों में भी आरम्भ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरंभ कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। 50-60 कि.मी. की परिधि में यह सेवा ग्राहकों को 24 घण्टे उपलब्ध है। आर डी एस पेजिंग सेवा ग्राहकों की संख्या और अल्फा-संख्या संदेश उपलब्ध करवाती है।

(ग) से (ङ). जी, हां। इसी प्रकार की सेवा नागपुर से 6 मार्च, 1995 को शुरू की गई थी। इसे बाद में इसी वर्ष 15 अन्य शहरों से भी शुरू किया जाएगा।

रसोई गैस एजेंसियां

1498. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उद्योग ने विपणन योजना, 1992-97 में बिहार के किन किन स्थानों को राज्य में रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु सम्मिलित किया है;

(ख) विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के लिए कितनी रसोई गैस एजेंसियां दी गई हैं; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक खोल दी जाएंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). बिहार के लिए 1992-94 विपणन योजना में 29 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। तेल चयन बोर्ड के माध्यम से वितरकों का चयन प्रगति पर है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार के लिए 1994-96 विपणन योजना में 79 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

आजीवन कारावास

1499. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आजीवन कारावास की अधिकतम अवधि को 14 वर्ष से कम करके 10 वर्ष किया जा चुका है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार पूरे देश में आजीवन कारावास की अधिकतम अवधि को 14 वर्ष से कम करके 10 वर्ष करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उग्र कैद की अधिकतम अवधि को कम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 क में किसी भी राज्य सरकार ने संशोधन नहीं किया है।

(ख) और (ग). उग्र कैद की अधिकतम अवधि को 14 वर्ष से कम करके 10 वर्ष कर देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433क में संशोधन का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए कार्यक्रम

1500. श्रीमती शीला गौतम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन/आकाशवाणी से बच्चों के कार्यक्रमों को और अधिक संख्या में प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन समय-समय पर अपनी समग्र कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेशनों/केन्द्रों से बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट करते रहेंगे।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को छूट

1501. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट देने, परीक्षा देने के अधिक अवसर प्रदान करने और आयु सीमा में छूट देने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छूटों को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने दिनांक 25.1.95 से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की है। अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को, जो अन्यथा पात्र हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं में सात बार बैठने की अनुमति होगी। फीस के भुगतान से छट से संबंधित निर्णय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

1502. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कुछ एकक बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया था जो सिविल और संरचनात्मक कार्य करने के लिए एक ठेका लेने वाला अभिकरण है। कार्यों की उपलब्धता के आधार पर इसके क्षेत्रीय एककों को खोला/बंद किया जाता है।

(ग) निगम ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अपने एक भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है।

(घ) निगम ने चालू वर्ष के दौरान लगभग 120 करोड़ रुपए की राशि का कार्य प्राप्त किया है।

शस्त्रों का वहन करता पाया गया पोत

1503. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "शिप कैरिंग आर्म्स हैडिंग फार गुजरात" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पोत को पकड़ लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सरकार ने समाचार को देखा है। गुजरात सरकार से संगत ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

नलकूप लगाना

1504. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विश्व बैंक की सहायता से लगाये गये नलकूपों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें लगाने के लिए कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें 1995-96 के दौरान लगाये जाने वाले अतिरिक्त नलकूपों के लिए विश्व-बैंक की सहायता की मांग की गयी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता से नलकूप परियोजनाएं बिहार और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). बिहार सरकार ने वर्ष 1994-95 से वर्ष 2001-02 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित करने के लिए 1128.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना फेज-II का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ले तथा सदृश निधियां उपलब्ध करने के संबंध में दृढ़ वचनबद्धता भी करे और वचनबद्ध प्रभार से बचने के लिए समयबद्ध तरीके से ऋण का उपयोग करे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 271.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना-II का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना के प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ नलकूपों के निर्माण, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन की परिकल्पना की गई है। विश्व बैंक ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह उस जल संसाधन समेकन परियोजना पर विचार करे जिससे नलकूप लगाने में भी शामिल किया जा सके।

विवरण

क्रम सं.	विवरण	ऊर्जाकृत करना			विश्व बैंक सहायता		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
(क)	**बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना (बिहार)**						
1.	नये नलकूप	6	34	38	0.989	4.370	0.339
2.	आधुनिकीकरण	12	260	295			
3.	पुनर्स्थापन	197	1673	364			
(ख)	**पश्चिम बंगाल सिंचाई परियोजना (पश्चिम बंगाल)**						
1.	उच्च निस्सरण नलकूप	142	263	101	15.447	1.659	11.632
2.	मध्यम निस्सरण नलकूप	59	58	38			
3.	निम्न निस्सरण नलकूप	182	311	196			
4.	उथले नलकूप	378	693	348			

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र को तेल क्षेत्र सौंपना

1505. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी तट के पन्ना, मुक्ता और ताप्ती तेल क्षेत्रों और पूर्वी तट के राव्वा तेल क्षेत्र को भविष्य में संचालन हेतु निजी क्षेत्र को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं के विकास के लिए पहले ही भारी राशि और समय लगा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं द्वारा सफलता पूर्वक अधिकतम उत्पादन के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या देश के तेल क्षेत्रों को निजी संगठनों को सौंपने के लिए सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए ओ एन जी सी तथा निजी कंपनियों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) से (घ). ओ एन जी सी ने पन्ना, मुक्ता तथा राव्वा क्षेत्रों को अंशतः विकसित किया था। मध्य तथा दक्षिण तापती क्षेत्रों को अभी विकसित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च). क्षेत्रों को देने के लिए सफल बोलीदाता के चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है :—

- कंपनी की वित्तीय तथा तकनीकी क्षमता।
- कंपनी द्वारा दी गयी न्यूनतम कार्य योजना।
- सरकार को प्रस्तावित वाणिज्यिक शर्तें।
- बोलीदाताओं का गत अनुभव।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुलिस हिरासत में मृत्यु

1506. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान पुलिस हिरासत में मृत्यु होने की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली में हिरासत में मौत के केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है।

थाना-मंगोलपुरी में पुलिस हिरासत में राजेश उर्फ मौंटू उर्फ सुरेश की मौत हो गई। थाना मंगोलपुरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। 6 पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है, इनमें से एक को अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ग) इन निर्देशों को दुहरा दिया गया है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए और कि उत्पीड़क तरीकों का सहारा न लिया जाए। जब भी किसी पुलिसकर्मी को उत्पीड़न में लिप्त अथवा हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो आपराधिक मुकद्मा चलाने सहित कड़ी कार्रवाई की जाती है।

अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के बारे में पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए "प्रवेश कालीन" और "सेवा कालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष सामग्री शामिल की गई है।

पूछताछ कक्षों को इस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा रहा है कि वे अधिक दृष्टि गोचर रहें और रिपोर्टिंग कक्षों के निकट रहें ताकि इन निर्देशों के उल्लंघन की गुंजाइश को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पाद

1507. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी कंपनियों को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इन पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने स्नेहकों और ल्यूब आयल बेस स्टाकों के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया है और इनके मूल्य निर्धारण से सभी नियंत्रण हटा लिए हैं। और इस प्रकार विदेशी कंपनियों सहित निजी पार्टियों के लिए स्नेहक विपणन पूरी तरह खोल दिया है। एल पी जी और मिट्टी के तेल के आयात को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और संबंधित नियंत्रण आदेशों में संशोधन कर दिया गया है ताकि विदेशी कंपनियों सहित निजी पार्टियां बाजार निर्धारित मूल्यों पर इन उत्पादों का आयात और विपणन कर सकें।

बेहतर गुणवत्ता वाले स्नेहक तेल के विपणन और एल पी जी के समानान्तर विपणन के लिए कुछ विदेशी कंपनियों ने भारतीय निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन आरंभ करने वाली विदेशी तेल कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. मोबिल
2. रक्सान
3. शैल इंटरनेशनल
4. कालटेक्स
5. इडेमित्तस्
6. मोटूल
7. पेंजोइल
8. मिनकिन, जर्मनी।
9. गल्फ आयल
10. फुक्स

11. एल्फ फ्रांस
12. सी इटोह
13. लिक्वीमोली, जर्मनी
14. टोटल फ्रांस
15. मितसूबिसी

एल पी जी

1. शैल इंटरनेशनल
2. कालटेक्स

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता, सरकार द्वारा जारी संबंधित नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों और बी आई एस विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

बकाया राशि

1509. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. की कोयला शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) उक्त शीर्ष के अन्तर्गत किन-किन प्रतिष्ठानों पर धनराशि बकाया है;

(ग) विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पृथक-पृथक कुल कितनी राशि बकाया है;

(घ) विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पृथक-पृथक कितनी विवादित और विवाद रहित धनराशि बकाया है; और

(ङ) विभिन्न प्रतिष्ठानों पर बकाया धनराशि विवादित होने के पृथक-पृथक कारण क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) दिनांक 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की कोयले की कुल बिक्री की देय बकाया राशि 917.58 करोड़ रु.(अनंतिम) की थी।

(ख) से (घ). 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. की कोयले की विवादित तथा अविवादित कोयले की बिक्री का उपभोक्ता-वार देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रु. में)

आंकड़ा अनंतिम

उपभोक्ताओं का नाम	अविवादित	विवादित	जोड़
1	2	3	4
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	–	5	5
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	6855	14542	21397
दुर्गापुर परियोजना लि.	1658	1059	2717
दामोदर घाटी कारपोरेशन	2587	4411	6998
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	–	556	556
गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	663	565	1228
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	–	1019	1019
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	–	81	81
नेशनल कैपीटल पावर प्लांट (एनसीपीपी)	26	646	672
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	–	10556	10556
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	981	1089	2070
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	(–) 383	417	34
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	3915	4256	8171
ऊंचाहार टी.पी.एस.	394	–	394
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	1755	249	2004
पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन	5215	40	5255
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	1700	20113	21813

1	2	3	4
टाटा आयरन एंड स्टील कं.	–	314	314
इंडियन आयरन एंड स्टील कं.	1249	1917	3166
फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	958	297	1255
रक्षा लेखा नियंत्रक (सी.ए.डी)	–	63	63
दिल्ली स्माल इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन (डी.एस.आई.डी.सी.)	–	51	51
पी.के. मुखर्जी एंड कंपनी	–	76	76
रेलवे	393	1011	1404
एम.एम.टी.सी.	–	459	459
जोड़	27966	63792	91758

(ङ) विवादित देय बकाया राशि निम्न कारणों से देय है : कोयले की कम मात्रा में आपूर्ति होने संबंधी विवाद, सांविधिक शुल्क, कम लदान संबंधी किए जाने संबंधी प्रभार, नुकसान, प्रभार, आदि, जिनका उपभोक्ताओं से निपटारा किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

पुरानी तथा अनुपयोगी कोयला खानें

1509. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुरानी तथा अनुपयोगी कोयला खानों की भराई का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत कितनी कोयला खानों की भराई किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). पुरानी उत्खनित खानों में भूमि का सुदृढ़िकरण तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना क दौरान बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। कोलफील्ड्स क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुदृढ़ीकरण तथा धंसाव नियंत्रण उपाय आरंभ करने के लिए आठवीं योजनावधि में सम्पूर्ण परिव्यय में 75 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

गैस का आबंटन

1510. डा. खुशीराम ढुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस का आबंटन इसके प्रयोग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या अपतटीय गैस के आबंटन में इन मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गैस का आबंटन सामान्यतया प्राकृतिक गैस के उपयोग के आरोपित आर्थिक मूल्य पर आधारित है शर्त यह है कि अधिमान विद्युत और ऊवरक क्षेत्रों को दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

केबल टी वी कनेक्शन

1511. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने देश भर में अपने प्रबंधकीय अधिकारियों के घरों में केबल टी.वी. का निशुल्क कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधा प्रदान करने का क्या औचित्य है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एक कल्याण उपाय के रूप में तथा कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को जानकारी, शिक्षा तथा मनोरंजन उपलब्ध कराने के विचार से कम्पनी क्वार्टरों अथवा निकटस्थ आवास समूह में रह रहे प्रबंधन कर्मचारियों को 1992 में केबल टेलीविजन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। चूंकि इस सुविधा के सीमित आधार प्रावधान में अन्य प्रबंधन कर्मचारियों, जो कम्पनी क्वार्टरों में नहीं रह रहे थे, उनके साथ भेदभाव किया, इसलिए कम्पनी ने 1994 में एक कल्याण उपाय के रूप में प्रतिपूर्ति आधार पर यह सुविधा समस्त प्रबंधन कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया।

विज्ञापन सुविधा

1512. श्री अन्ना जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी/दूरदर्शन पर विज्ञापन संबंधी अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के दर्शकों को प्रायोजित कार्यक्रम के समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक कार्यक्रम को आवंटित समय के अनुसार दूरदर्शन के लिए विज्ञापन सुविधाएं देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन सम्बन्धी नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). दूरदर्शन के पास वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए विशिष्ट शुल्क ढांचा पहले से ही है।

सुरक्षा उपकरण

1513. श्री तारा सिंह : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारियों हेतु सुरक्षा उपकरणों की खरीद संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी हां। 1995-96 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा टोपों और बेल्टों, दस्तानों, कर्णावरणों, मुखौटों, सुरक्षा बूट, जूतों आदि जैसे स्टाक के प्रतिस्थापन के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपस्कर अधिप्राप्त करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शन

1514. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने 1995 के दौरान 10 लाख नये रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में कुल मांग कितनी है और 1995 में उनमें से कितनी मांग पूरी हो जायेगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). नए एल पी जी कनैक्शनों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता। नए एल पी जी कनैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटन की गई नई ग्राहक नामावली के आधार पर जिसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्टैक प्रतीक्षा सूची और उत्पाद उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है से वंछित डिस्ट्रीब्यूटर के पास दर्ज की गई नामावली के अनुक्रम व्यवस्था के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को दिए जाते हैं। 1994-95 के दौरान पूरे देश के लिए 20 लाख नए ग्राहकों के नाम दर्ज का लक्ष्य है जिनमें से आई ओ सी का हिस्सा 10 लाख है जो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया है। आई ओ सी द्वारा 1994-95 के दौरान राज्यवार दिए गए कनैक्शनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1994-95 (आकंड़े हजार में)
1		2
आन्ध्र प्रदेश	:	76.5
अरुणाचल प्रदेश	:	8.6
असम	:	43.1
बिहार		71.8
गोआ		0.3
गुजरात		53.9
हरियाणा	:	15.3
हिमाचल प्रदेश	:	59.1
जम्मू और कश्मीर	:	19.0
कर्नाटक	:	59.4
केरल	:	83.1
मध्य प्रदेश	:	50.1
महाराष्ट्र	:	24.9
मनीपुर	:	6.2
मेघालय	:	4.3
मिजोरम	:	5.0

1		2
नागालैंड	:	5.8
उड़ीसा		22.6
पंजाब	:	25.2
राजस्थान	:	22.2
सिक्किम	:	0.3
तमिलनाडु		58.4
त्रिपुरा		3.9
उत्तर प्रदेश		169.5
पश्चिम बंगाल	:	78.9
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार	:	0.0
चंडीगढ़	:	4.7
दादरा और नगर हवेली		0.0
दमन और दीव		0.0
दिल्ली	:	27.8
लक्ष्यद्वीप		0.0
पांडिचेरी	:	0.0

विदेशी कंपनियों को तेल क्षेत्रों का ठेका

1515. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री पी.एस. विजयराघवन :
श्री अनन्त कुमार मंडल :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमाणिक तेल क्षेत्रों को अब तेल उत्पादन हेतु विदेशी कंपनियों को ठेके पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने तेल क्षेत्र पटटे पर दिये गये है और वे कहां-कहां पर स्थित है;

(ग) इस प्रकार पट्टे पर दिये जाने की क्या शर्तें हैं; और

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उत्पादित तेल अथवा इससे प्राप्त लाभ में एक निर्धारित भाग मिलेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 11 छोटे आकार के और चार मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

स्थान	छोटे आकार के क्षेत्रों की संख्या
गुजरात	11
	मध्यम आकार के क्षेत्रों की संख्या
कृष्णा-गोदावरी अपतट	1
बम्बई अपतट	3

(ग) मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास भारत सरकार, कंपनियों और ओ एन जी सी के बीच उत्पादन हिस्सेदारी करारों के अन्तर्गत किया जाएगा। इन उद्यमों में ओ एन जी सी का 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हित है।

संयुक्त उद्यम, क्षेत्र का विकास उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत करेगा जिसमें परियोजनाओं से मिलने वाले लाभ पैट्रोलियम के हिस्से के अलावा सरकार को रायल्टी, उपकर और आयकर का भी भुगतान किया जाता है। गैस का मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित है। संविदा संघटकों जिसमें ओ एन जी सी सम्मिलित है, को सरकार को बेचे गए तेल के उनके हिस्से के लिए तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। परन्तु संघटकों के तेल के हिस्से के संबंध में सरकार को अस्वीकृति का प्रथम अधिकार होगा।

छोटे आकार के क्षेत्रों का विकास ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा बिना किसी हिस्सेदारी के कंपनियों द्वारा अपने आप भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अन्तर्गत किया जाएगा। कंपनियों को रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों का भुगतान करना होगा। तेल के कंपनियों के हिस्से के लिए भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की दर पर किया जाएगा।

(घ) चूंकि मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के लिए संयुक्त उद्यमों में ओ एन जी सी का 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हित है, ओ एन जी सी को परिसंघ को देय लाभ तेल के समानुपाती हिस्से का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में नई जेल का निर्माण

1516. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक नई जेल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) तिहाड़ जेल परिसर में जेल संख्या 5, 6क, 6ख, 6ग तथा 6घ निर्माणाधीन हैं।

कुल 1800 सहवासियों की क्षमता वाली जेल संख्या 6क, 6ख, 6ग, तथा 6घ का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी है।

मंडौली, रोहिणी, नरेला तथा द्वारका में जेलों के निर्माण की योजनाएं भी प्रक्रियाधीन हैं।

[अनुवाद]

सेंसर से पूर्व परामर्श

1517. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने गीतों के दृश्यों के फिल्मांकन से पूर्व बोर्ड से सेंसर पूर्व-परामर्श प्राप्त करने के प्रश्न पर फिल्म उद्योग संघों फिल्म निर्माताओं के विचार मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म उद्योग संघों तथा फिल्म निर्माताओं की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस मामले को फिल्म उद्योग संस्था के साथ उठाने की सलाह दी गई है। बोर्ड की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

संकटकालीन प्रबन्ध दल

1518. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का इसके विभिन्न ऑपरेशनों में आग, विस्फोट और अन्य दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने हेतु कोई स्थायी संकटकालीन प्रबन्ध दल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका संगठन कैसा है;

(ग) क्या इस दल का विस्तार किया जाएगा और इसे सुदृढ़ बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के पास अग्निशमन तथा विस्फोट नियंत्रण प्रचालनों के लिए समर्पित अधिकारियों से बना एक स्थायी आपदा प्रबंधन विभाग तथा पांच क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन टीमें हैं।

(ग) और (घ). आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सशक्त करने के संबंध में और निवेश उपलब्ध कराने हेतु एक समिति भी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अग्निशमन, और विस्फोट प्रचालनों के लिए अतिरिक्त संस्कारित उपस्कर प्राप्त कर लिए हैं।

दूरदर्शन निर्माण केन्द्र, चंडीगढ़

1519. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में एक दूरदर्शन निर्माण केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). चण्डीगढ़ में कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के लिए आधारशिला 5.8.1994 को रख दी गई है। तथापि, चण्डीगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन-निर्माण योजना के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में हुए विलम्ब और समग्र संसाधनों की बाध्यताओं जैसे कारणों से इस परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है। स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख से इस प्रकार की परियोजना को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र

1520. श्री पी.पी. कालियापेरुमल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) तमिलनाडु में किन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति का पता लगाने के लिए कोई क्षेत्रगत प्रतिबन्ध है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या तमिलनाडु के विल्लुपुरम रामास्वामी पदयाचियार जिले के शंकरपुर ताल्लुक के पघु पुलपट्ट पलया पलपट्टू गांवों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. संग्कमवालू) : (क) किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्धारित करने के लिए मानदंड है : आदिम जनजाति लक्षण, पृथक संस्कृति, भौगोलिक पृथकता, आम तौर पर समुदाय से सम्पर्क करने में संकोच और पिछड़ापन।

(ख) तमिलनाडु में किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). तमिलनाडु की निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों के संबंध में क्षेत्र प्रतिबन्ध लगाए गए हैं :

1. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेली जिले के शेनवोट्टाह ताल्लुक को छोड़कर)।
2. कनिकरन, कन्निकर (कन्याकुमारी जिला तथा तिरूनेलवेली जिले के शेनवोट्टाह ताल्लुक को छोड़कर)।
3. कोटा (कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेली जिले के शेनवोट्टाह ताल्लुक को छोड़कर)।
4. कुरूम्बास (नीलगिरी जिले में)।
5. मलायली (धर्मपुरी, उत्तरी आरकोट, पुडुकोट्टाई, सेलम, दक्षिण आरकोट और तिरूचिरापल्ली जिलों में)।
6. टोडा (कन्याकुमारी जिले और तिरूनेलवेली जिले के शेनवोट्टाह ताल्लुक को छोड़कर)।

(ङ) जी, नहीं।

रविवार को बच्चों के कार्यक्रम

1521. श्री महेश कनोडिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर रविवार को दिखाये जा रहे बच्चों के कार्यक्रम को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों के कार्यक्रम के स्थान पर कौन-सा कार्यक्रम दिखाया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल पर अंग्रेजी में समाचार

1522. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाम के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के कमर्शियल मैट्रो चैनल पर आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस समाचार बुलेटिन के प्रसारण के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, नहीं। डीडी-1 पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंग्रेजी में राष्ट्रीय सायंकालीन समाचार बुलेटिन को डीडी-2 चैनल पर रिले करते हुए अब एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। यह इन दोनों चैनलों पर दूरदर्शन की समग्र कार्यक्रम अपेक्षा के आधार पर किया गया है।

[अनुवाद]

"टाडा" मामले

1523. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टाडा" संबंधी पुनरीक्षा समिति ने मुम्बई और अन्य स्थानों में दर्ज किए गए "टाडा" के कई फर्जी मामलों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनरीक्षा समिति ने क्या टिप्पणियां की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति ने 1582 व्यक्तियों के 269 मामलों की पुनरीक्षा की है। 92 मामलों में टाडा के उपबंधों को रद्द कर दिया गया तथा 450 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में गैर-जनजातीय लोगों को शामिल करना

1524. डा. सुधीर राय : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में गैर-जनजातीय लोगों को शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या जनजातीय लोगों के विकास के लिए आवंटित की गई धनराशि को अन्य क्षेत्रों में लगाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जायेंगे?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालू) : (क) और (ख). वे समुदाय जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट करने पर विचार किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा आदिवासियों के लिए आवंटित विकास निधियों के अन्य क्षेत्रों में विपणन का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

नैफ्था की आपूर्ति

1525. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने स्पेक्ट्रम पावर जेन-रेशन के साथ काकीना में लगाए जाने वाले 208 मेगावाट संयुक्त चक्र (कम्बाइन साइकिल) विद्युत केन्द्र को नेफ्था की आपूर्ति के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) के अनुसार हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड (एस पी जी एल) को प्रतिपर्ण 30,000 मी.टन नेफ्था की आपूर्ति करेगा। अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी कमी के मामले में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन नेफ्था के आयात में स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड की सहायता करेगा। दिनांक 24 फरवरी, 1994 के समझौता ज्ञापन को 17 जुलाई, 1994 को करार में परिवर्तित किया गया था।

झांझरा कोयला खानों के लिए पुनर्वास योजना

1526. श्री शरत पटनायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश कंपनी ने झांझरा कोयला खानों के बारे में एक पुनर्वास योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने यू.के. की सरकार से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की चर्चा तथा वेमोमेन की झांझरा परियोजना में खराब लांगवाल उपकरणों की तैनाती करने तथा रिफर्बिसिंग करने के लिए सहायता मांगी है। यू.के. की सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में इस परियोजना के लिए एक व्यापारिक परियोजना तैयार करने के लिए परामर्श संबंधी कार्रवाई चालू कर दी है। परामर्शदाता द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम

1527. श्री राम सिंह कस्वां : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित जनजातीय जनसंख्या कितनी है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त विकासात्मक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ग) अन्य राज्यों में अब तक इस कार्यक्रम को शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के उपयुक्त ढंग से कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं आम तौर पर तहसील या ब्लाकों के एक समूह के आकार का निकटस्थ क्षेत्र होती हैं जिसमें कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या होती है।

(ख) ये परियोजनाएं 18 आदिवासी उपयोजना राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में चल रही है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य और लक्षद्वीप तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आदिवासी बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए अभिप्रेत हैं जो बहुसंख्यक बनती है। इसलिए ये आई.टी.डी.पी. इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू नहीं की गई हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है।

(घ) आदिवासी विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपाय करती आ रही है :

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदिवासी उपयोजनाएं तैयार करना अपेक्षित है। (2) उन्हें अपने योजना बजटों में से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी उपयोजना के लिए निधियों का परिमाणन करना है। (3) आदिवासी उपयोजना राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दी जाती है। निधियां मुख्यतः परिवारोन्मुखी आय सृजक योजनाओं और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत की जाती हैं। (5) आई.टी.डी.पी. स्तर पर एक परियोजना स्तरीय समिति योजना बनाने और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लिये निर्णयाधीन आवेदन-पत्र

1528. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये अनेक आवेदन पत्र निर्णयाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1972 से स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए अनेक पेशन पर विशेष समीक्षा समितियां गठित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पैनलों और समितियों का ब्यौरा और कार्यनिष्पादन क्या है; और

(ङ) निर्णनधीन आवेदनों का निपटारा कब तक हो जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए, समय से प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया और आवेदकों को निर्णय के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया था। 1.3.1995 की स्थिति के अनुसार हाल ही में केवल पांच नये दावे प्राप्त हुए जो कि सरकार के विचारार्थ लम्बित पड़े हैं।

(ग) और (घ). सरकार के विचारार्थ, पेंशन दावा की समीक्षा करने और दावे की प्रमाणिकता के आधार पर सिफारिश या अन्यथा करने के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की गई थी :-

1. हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति।
2. आर्य समाज समिति।
3. आजाद हिन्द फौज गैर-सरकारी संवीक्षा समिति।
4. सिंध समिति।
5. पंजाब गैर सरकारी संवीक्षा समिति।
6. ईस्टर्न इंडिया समिति।
7. जम्मू और कश्मीर गैर सरकारी संवीक्षा समिति।

सभी समितियां अपना कार्य पूरा कर चुकी हैं, सिर्फ हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति को छोड़कर जिसे कि हैदराबाद स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीमा शिवरों की यातनाओं पर आधारित पेंशन के दावों की संवीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। इन सभी समितियों ने 12,377 मामलों में पेंशन स्वीकृति की सिफारिशें की हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी पेंशन दावों पर लिए गए निर्णय से आवदकों को यथा संभव कम से कम समय में सूचित कर दिया जाए। तथापि योजना के चलते रहने के दौरान पेंशन के दावों की प्राप्ति और निपटान एक अनवरत प्रक्रिया है और उनके निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को वाष्प कोयला

1529. **डा. साक्षीजी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश को उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के लिए कितने वाष्प कोयले की आवश्यकता है;

(ख) क्या राज्य सरकार की वाष्प कोयले की मांग पूरी की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयले की आवश्यकताओं का राज्य-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसका सम्पूर्ण देश के लिए उद्योग/क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है। कोल इंडिया लि. द्वारा संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर, उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति करती है। अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के उद्योगों को रेल द्वारा 7.40 लाख टन स्टीम कोयले की आपूर्ति की गई है।

कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयले की आपूर्ति मांग के अनुसार की जाती है, केवल ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के रानीगंज फील्ड में कतिपय विनिर्दिष्ट स्रोतों में तथा कतिपय स्रोतों जैसे विरद सौंदा तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की सिरका कोलियरी को छोड़कर/ऐसे विनिर्दिष्ट स्रोतों में कोयले की सीमित उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए उपभोक्ताओं की मांग को यथा-अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है और शेष कोयले की मांग यदि कोई हो, तो उसकी वैकल्पिक स्रोतों से पेशकश की जाती है।

[अनुवाद]

योजना खर्च

1530. **श्री शंकरसिंह वाघेला :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए 1993-94 तथा 1994-95 के लिए कितनी योजना खर्च राशि मंजूर की गई है और 1995-96 के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है;

(ख) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 की वार्षिक योजना व्यय के लिए राज्य का योगदान कितना-कितना है; और

(ग) राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 1993-94, 1994-95 के लिए अनुमोदित परिव्यय और इन दो वर्षों के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए राज्यों के अपने संसाधनों के योगदान का संलग्न विवरण में दिया गया है। गुजरात की वार्षिक योजना 1995-96 के परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्य योजना स्कीमों पर वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान 193086 लाख रुपये और वार्षिक योजना 1994-95 के दौरान दिसम्बर 1994 तक 79552 लाख रुपये का व्यय किया है।

विवरण

गुजरात राज्य की वार्षिक योजना 1993-94 और 1994-95 के मूल अनुमोदित परिव्ययों के वित्तपोषण में राज्य के अपने संसाधनों का हिस्सा

(लाख रुपये में)

वार्षिक योजना	मूल अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना परिव्यय के वित्तपोषण में राज्य के अपने संसाधनों का हिस्सा
1993-94	213700	135813
1994-95	224000*	136378

*वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य को 82.77 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पिगेट और बलदेवा सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गई थी।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. एजेंटों का पकड़ा जाना

1531. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1995 में पाकिस्तान की खुफिया सेवाओं के लिए कार्यरत आई.एस.आई. एजेंट बड़ी संख्या में पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पाकिस्तानी आसूचना सेवा के लिए काम कर रहे पाकिस्तानी आई.एस.आई. एजेंटों के जनवरी, 1995 में पकड़े जाने की कोई विशिष्ट घटना जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

1532. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाड़ लगाने का शेष कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस कार्य पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के अब तक पूरे किए गए कार्य के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

सीमा राज्य	बाड़ लगाने का कार्य कि.मी. में
(1) पंजाब	451
(2) राजस्थान	333

इसके अलावा, राजस्थान में 387 कि.मी. में बाड़ लगाने के स्वीकृत किए गए भाग में से 267 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य जारी है।

(ग) स्वीकृत कार्य 31 दिसम्बर, 1996 तक पूरा किया जाना है। इस पर 86.05 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है।

पिछड़े वर्गों को ऋण

1533. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने हाल ही में पिछड़ी श्रेणियों के सदस्यों को ऋण मंजूर करने के मामले में उदार नीति अपनाई है और कुछ नवीन योजनाएं भी आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदार ऋण योजनाओं में राज्य सरकारों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी किसी रूप में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा निम्नलिखित उदार निर्णय लिए गए हैं :

आवधिक ऋण में वृद्धि

(1) लाभग्राही को उच्चतर मूल्य की परिसम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की आवधिक ऋण सीमा को जो

परियोजना लागत का 85 प्रतिशत है, 85,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये प्रति लाभग्राही कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 25,000 रुपये तक की लागत वाली परियोजना के लिए परियोजना लागत के 95 प्रतिशत तक और आपवादिक परिस्थितियों में 100 प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकता है। लाभग्राहियों को अधिकतम संख्या में शामिल करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय वर्ष में राज्य माध्यम एजेंसियों को मंजूर किए गए आवधिक ऋण का 75 प्रतिशत भाग उन परियोजनाओं के लिए होगा जिनमें ऋण घटक एक लाख रुपये से कम है।

2. सीमान्त ऋण राशि में वृद्धि

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने सीमान्त ऋण सहायता राशि को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 25,000 रुपये तक या परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक कर दिया है जो प्रतिलाभग्राही अधिकतम 2 लाख रुपये होगा।

3. राज्य माध्यम एजेंसियों की सेवा शुल्क में वृद्धि

(1) आवधिक ऋण

राज्य माध्यम एजेंसियों को स्वीकृत सेवा शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लाभग्राहियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य माध्यम एजेंसियों को दी जाने वाली राशि पर संशोधित ब्याज की दर 4.5 प्रशित प्रति वर्ष होगी जिसे लाभग्राहियों के 1,00,000 रुपये तक का ऋण अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा सकता है।

उन लाभग्राहियों जो गरीबी की रेखा के दुगुने से नीचे किन्तु गरीबी की रेखा से ऊपर हों, के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य माध्यम एजेंसी को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी जिसे अन्तिम लाभग्राहियों को पुनः अधिकतम 10 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा सकता है।

1,00,000 रुपये से अधिक के आवधिक ऋण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के ऋण पर ब्याज की दर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत होगी और राज्य माध्यम एजेंसी इसे पुनः अधिकतम 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दे सकेगी। परिवहन क्षेत्र को 1,00,000 रुपये से अधिक ऋण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी और राज्य माध्यम एजेंसियां यह ऋण राशि अन्तिम लाभग्राहियों को पुनः 12 प्रतिशत ब्याज दर पर दे सकेंगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम समयानुसार पुनर्भुगतान के लिए ब्याज दर पर 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।

1,00,000 रुपये से अधिक के आवधिक ऋणों के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी की रेखा के दोगुने से ऊपर के लाभग्राहियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता।

(2) सीमान्त ऋण राशि

राज्य माध्यम एजेंसियों को स्वीकृत सेवा शुल्कों को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से राज्य माध्यम एजेंसियों को 40,000 रुपये तक की सीमान्त ऋण सहायता राशि पर ब्याज की दर प्रति वर्ष 1 प्रतिशत होगी और राज्य माध्यम एजेंसियां इसे अन्तिम लाभग्राहियों को अधिकतम 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर दे सकती है।

उन मामलों में जबकि सीमान्त ऋण सहायता राशि 40,000 रुपये से अधिक हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के ब्याज की दर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत होगी और राज्य माध्यम एजेंसियां इसे अधिकतम 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर दे सकती है।

4. राज्य माध्यम एजेंसियों का कम्प्यूटरीकरण

राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम ने राज्य माध्यम एजेंसियो को आसान ऋण सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है ताकि उन्हें कार्यक्षमता में सुधार करने और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु कम्प्यूटरों से सुसज्जित किया जा सके। राज्य माध्यम एजेंसी के लिए ऋण की राशि किसी वित्तीय वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी और इस ऋण पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की ब्याज दर होगी और इसकी वसूली 16 तिमाही किस्तों में की जाएगी।

5. राष्ट्र माध्यम एजेंसियों के कर्मचारियों की गतिशीलता में वृद्धि करना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे राज्य माध्यम एजेंसियों के कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की प्रचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य माध्यम एजेंसियों के अधिकारियों को एजेंसियों के माध्यम से वाहन ऋणों की सीमा कार/जीप के लिए 1.5 लाख रु. और दो पहिया वाहनों के लिए 30,000 रु. होगी। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत होगी और राज्य माध्यम एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को इसका भुगतान ब्याज सहित 36 तिमाही किस्तों में किया जाएगा।

6. इलैक्ट्रानिक डाक सेवा के जरिए राज्य माध्यम एजेंसियों के साथ संचार में वृद्धि

व्यय में मितव्ययिता बरतने और बेहतर कार्य के लक्ष्य से कार्यालय प्रौद्योगिकी और संचार जगत के तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ कदम मिलाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एव विकास निगम और राज्य माध्यम एजेंसियों को इलैक्ट्रानिक डाक सेवा से जोड़ा

जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम इस सुविधा की स्थापना की कुल लागत का 90 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में देगा और शेष 10 प्रतिशत राज्य निगम से प्राप्त होगा।

(ग) और (घ). ये प्रस्ताव 1994-95 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में हुए विचार-विमर्शों के फलस्वरूप सामने आए जिनमें राज्य के कल्याण सचिवों और राज्य माध्यम एजेंसियों के प्रबन्ध निदेशकों ने भाग लिया। राज्य माध्यम एजेंसियों और बैंक संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न प्रकार निर्दिष्ट रीति से शामिल है : (1) माध्यम एजेंसियां भी परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक का वित्त ऋण स्वरूप प्रदान करती है क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम परियोजना लागत के केवल 85 प्रतिशत तक के ऋण मंजूर करता है। (2) सीमान्त ऋण राशि योजना में बैंक केवल वहीं शामिल हैं जहां एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक ऋण की मंजूरी करता है और लगभग 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत बैंक से प्राप्त होता है।

सिंचाई परियोजनाएं

1534. डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता से चल रही बहु-राज्यीय राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना और बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्स्थापन परियोजना में भाग ले रहे राज्यों में तमिलनाडु भी है। उप-परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :

(1) तमिलनाडु में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत 62.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 14 उप-परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने कुल मिलाकर 127.27 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्रदान की है जिसमें से भागीदार राज्यों द्वारा 125.582 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का उपयोग किया गया है। विश्व बैंक सहायता 31 मार्च, 1995 को समाप्त होनी है।

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्स्थापन परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु में पुनर्स्थापना हेतु 8 बांधों का पता लगाया गया है। विश्व बैंक की स्टाफ आकलन रिपोर्ट में बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्स्थापन परियोजना के तमिलनाडु घटक के वास्ते 70.6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। विश्व बैंक ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्रेडिट/ऋण के रूप में कुल मिलाकर 153 मिलियन अमेरिकी डालर प्रदान किए हैं जिसमें से भागीदार राज्यों द्वारा 16.813 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का उपयोग कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता 30 सितंबर, 1997 को समाप्त होनी है।

[हिन्दी]

बिहार में पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

1535. श्री ललित उरांव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां 31 जनवरी, 1995 तक नये पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की योजना को स्वीकृति दी गयी है;

(ख) ऐसे विक्रय केन्द्र अब तक कितने स्थानों पर खोले गये हैं;

(ग) किन-किन स्थानों के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था;

(घ) किन-किन स्थानों के लिये आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया था;

(ङ) क्या सफल उम्मीदवारों को पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए अन्तिम रूप से अनुमति/स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (छ). जनवरी, 1993 से जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान, खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए बिहार में 273 स्थानों को विज्ञापित किया गया। बिहार के तेल चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 191 साक्षात्कारों में से 190 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 116 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को चालू कर दिया गया है।

बिहार में तेल शोधक कारखाने

1536. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विदेशी सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की सप्लाई

1537. श्री खोलन राम जांगडे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रतिमाह कोयले की घरेलू और औद्योगिक खपत कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान प्रति माह मध्य प्रदेश को आवंटित किए गए कोयले की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में मध्य प्रदेश को दिये जान वाले कोयले के आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) सम्पूर्ण देश के लिए कोयले की आवश्यकताओं का उद्योग/क्षेत्रवार मूल्यांकन किया जाता है। इनका राज्य-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति की जाती है। विद्युत एवं सीमेंट उद्योगों को इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति (एस. एल.सी.) द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजन स्थापित करने के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

(ख) को.इं.लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा वर्ष 1994 के 12 महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान मध्य प्रदेश को की गई कोयले की आपूर्ति की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

('000टन में)

(आंकड़े अनंतिम)

महीना	मात्रा
1	2
जनवरी, 1994	3326.0
फरवरी, 94	3122.0
मार्च, 94	3422.0
अप्रैल, 94	3231.0
मई, 94	2817.0
जून, 94	2619.0
जुलाई, 94	2889.0
अगस्त, 94	2611.0
सितम्बर, 94	2832.0
अक्तूबर, 94	3283.0
नवम्बर, 94	3491.0
दिसम्बर, 94	3750.0

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश में स्थित उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की कोयले की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किन्तु, कोयले/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए किसी अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। कोल इंडिया लि. वर्तमान में मध्य प्रदेश की, साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर, लगभग अधिकांश अकोककर कोयले की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, अनेक कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसी संयोजन/प्रायोजकता के बिना कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, थोक व्यापारियों/छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है, जोकि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

भारतीय सीमेंट निगम पर कोयले की देय राशि

1538. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम की ओर 12 दिसम्बर 1994 तक कोयले की देय राशि कितनी थी;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार, उनकी भारतीय सीमेंट निगम की ओर कुल 15 करोड़ रु. की अविवादित राशि देय है। यह राशि इसलिए एकत्रित हो गई, क्योंकि कोल इंडिया लि. ने पूर्व में अदायगी किए जाने पर जोर दिए बिना भारतीय सीमेंट निगम को कुछ कोयले की आपूर्ति किए जाने की सहमति दे दी थी। भारतीय सीमेंट निगम को कोल इंडिया लि. द्वारा शीघ्र अदायगी किए जाने के लिए राजी किया जा रहा है।

तेल शोधक कारखानों के लिए तकनीकी सहायता

1539. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने अपने तेल शोधक कारखानों के लिए बहु-राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से कुछ तकनीकी सहायता दिए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी एच टी) ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी रिफाइनरियों (आई ओ सी सहित) के लिए तेल शोधन प्रौद्योगिकी हेतु मैसर्स काल्टेक्स सर्विसेज कारपोरेशन (सी एस सी) अमेरिका और मैसर्स ब्रिटिश पैट्रोलियम (बी पी) इंग्लैड के नामक बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ क्रमशः जून, 1992 और अप्रैल, 1993 में एक वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी सेवा सहायता करार किया है। सी एच टी ने इस उद्देश्य के लिए मैसर्स सी एस सी, अमेरिका और बी पी, इंग्लैण्ड के साथ और दो वर्षों के लिए नया करार करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी थाले में ड्रिलिंग कार्य

1540. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. का तेल खुदाई का कार्य मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी थाले में केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. का मुख्यालय राजामुंदरी में खोलने की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). फिलहाल कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 7 तटीय रिगों और 2 अपतटीय रिगों को लगाया गया है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। परन्तु, राजामुंदरी में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग है। ओ एन जी सी इस संबंध मे कदम उठा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1541. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जनवरी, 1995 में मुम्बई में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने प्रशासनिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से इसमें क्या योगदान दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस उत्सव के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उसमें कुछ अनियमितताएं पाई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय द्वारा गठित आयोजन समिति ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से कार्यक्रम की संकल्पना और आकार को तैयार किया। आयोजन समिति द्वारा लिए गए निणयों के कार्यान्वयन हेतु 26 कार्यरत इकाइयां स्थापित की गईं। उक्त उत्सव के लिए 115 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रक्षेपण सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ थियेटर समिति और तकनीकी समितियों की स्थापना की गयी।

(ग) से (छ). इस समारोह के प्रस्तुतीकरण की विस्तृत रूप से समीक्षा करने हेतु कार्रवाई आरंभ की गयी है। तथापि, यह समारोह संसार में अपनी तरह का सबसे बड़ा और अत्यधिक व्यापक प्रतिनिधित्व वाला आयोजन था जिसमें 44 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 223 फिल्मों को सम्मिलित किया गया। बम्बई के श्रेष्ठ 11 थियेटरों में कुल 465 फिल्म शो किए गए। इसके अलावा, "मैजिक लेंटर्न" को पूर्व चलचित्र तकनीक को प्रदर्शित करने वाले 4 शो भी बारहवें थियेटर में आयोजित किए गए।

समग्र देश तथा विदेशों से 450 से अधिक फिल्म समालोचकों एवं अन्य मीडिया व्यक्तियों को इस समारोह हेतु विशेष रूप से प्रत्यायित किया गया था तथा लगभग 2,900 सरकारी फिल्म प्रतिनिधियों को इस समारोह हेतु पंजीकृत किया गया था। यह सिनेमा शताब्दी वर्ष में संसार मे होने वाला पहला फिल्म समारोह भी था।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों के चयन की फिल्म समालोचकों और व्यक्तियों द्वारा काफी सराहना की गयी क्योंकि इनमें संसार की कुछ अत्यधिक प्रशंसित नई फिल्में शामिल थी।

समारोह के आयोज के संबंध में किसी प्रकार की गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई गईं। तथापि, भविष्य में ऐसे समारोहों के आयोजन की मानीटरिंग करने तथा इसे और अधिक कारगर बनाने हेतु सभी प्रयास जारी रखे जाएंगे।

यहां उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित "सिनेमा सिनेमा-100" नामक कार्यक्रम भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1995 का भाग नहीं था।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं

1542. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का काम समय पर पूरा करने के लिये कोई निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). 1-1-1995 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 356 परियोजनाओं (20 करोड़ और उससे अधिक) में से 181 परियोजनाएं, अपनी नवीनतम अनुमोदित तारीखों के संदर्भ में निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

(ग) और (घ). सभी संबंधित परियोजना प्राधिकारियों को समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि ठेका पैकेजों को तुरन्त अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं को सुलझाने, विलम्ब के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने, कार्यान्वयन के लिए नवीनतम प्रबंध तकनीकों के अनुप्रयोग भौतिक प्रगति पर आधारित मैचिंग निधि के लिए कार्यदल/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन करें।

[अनुवाद]

गाद सफाई कार्यक्रम

1543. **डा. असीम बाला** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख नदियों से गाद निकालने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दामोदर नदी की निचली धारा (डाउन स्ट्रीम) के लिए गाद सफाई का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.जी. रंगय्या नायडू) : (क) इस समय देश में मुख्य नदियों की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). "लोअर दामोदर जलनिकास योजना" नामक योजना, जिसमें 14.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3.75 कि. मी. की लम्बाई में पन्सुली के समीप रूपनरायण नदी को गहरा करना शामिल है, जून, 1989 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना

1544. **श्री मोहन रावले :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री राम नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू सीमा के साथ-साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितने क्षेत्र में बाड़ लगाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। जम्मू सेक्टर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार-विमर्श अंतिम स्तर पर है। बाड़ लगाने के लिए कुल 180 किलोमीटर की लम्बाई का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन का निजीकरण

1545. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री आर. अन्बारासु :
श्री नवल किशोर राय :
श्री शरत पटनायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के निजीकरण संबंधी मामले का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना

1546. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना के लिये विदेशों से सहायता मांगने का अनुरोध भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) पोलावरम बहुप्रयोजनी परियोजना को नौवीं योजना में शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 3030 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में जुलाई, 1990 में प्राप्त हुई थी। परियोजना को जलवैज्ञानिक अध्ययनों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा राज्य सरकार को अन्य तकनीकी आर्थिक मुद्दों को हल करना है, पर्यावरण, वन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा से उनके क्षेत्रों में जलमग्नता के लिए सहमति प्राप्त करनी है।

(ख) इस मंत्रालय में पोलावरम परियोजना के लिए बाह्य सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

1547. श्री पी. कुमारासामी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया के एककों से उत्पादन उत्पादकता, प्रेषण और लाभदेयता के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा गया है, जैसा कि 12 फरवरी, 1995 के हिन्दुस्तान 'टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान कोयला क्षेत्र में भूमिगत उत्पादकता का स्तर पिछले वर्ष के स्तर पर स्थित रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभ हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

	लक्ष्य 1994-95
उत्पादन (मिलियन टन)	223.00
उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रतिपाली निष्पादन) (टन में)	1.53
प्रेषण (मिलियन टन में)	228.18
सकल मार्जिन (मूल्यह्रास ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ) (पी.बी.डी.आई.टी.) (करोड़ रु. में)	1730.00

(ग) और (घ). को.इं.लि. की भूमिगत खानों से अप्रैल-दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई उत्पादकता की तुलना में लगभग 1.9 प्रतिशत अधिक रही। भूमिगत उत्पादकता में और सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोड हॉल डम्पर तथा साइड डिसचार्ज लोडर्स को आरंभ करके बोर्ड तथा पिल्लर कार्य का यंत्रिकरण।

(2) आवश्यक आवक तथा प्रणाली सुधार उपलब्ध कराके विद्युत सपोर्ट लांगवाल उपकरण सहित सभी उपकरणों के निष्पादन में सुधार।

(3) सवैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से श्रमशक्ति का युक्तिकरण तथा पुनः नियोजन सहित श्रमशक्ति आयोजना में सुधार किया जाना पहले से ही लागू है।

(4) अतिरिक्त कलपुर्जों आदि के प्रबंधन में सुधार।

(5) भूमिगत खानों में अच्छी वायु निकासी, उचित प्रकाश तथा सुधरी हुई संचार प्रणाली उपलब्ध कराकर कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करना।

(6) विद्युत आपूर्ति में सुधार, विशेषकर डी.वी.सी. से विद्युत प्राप्त करने के लिए सीधे ही फीडर का निर्माण तथा चयनित स्थानों पर ग्रहीत विद्युत संयंत्र कर पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों में सुधार किया जाना।

(7) प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों तथा कामगारों के बीच नियमित रूप में संयुक्त परामर्शदात्री समिति, जोकि विभिन्न कोयला खानों में परिचालन के माध्यम से संचार में सुधार किया जाना।

[हिन्दी]

कोयले का लदान

1549. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. में श्रमिकों द्वारा कुल कितनी मात्रा में कोयले का लदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान श्रमिकों द्वारा किए गए कोयला लदान पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयला लदान के लिए बाहर से कितने-कितने श्रमिक भाड़े पर लिए गए; और

(घ) श्रमिकों द्वारा कोयला लादने पर प्रति टन कितना खर्च हुआ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. ने श्रमिकों द्वारा लदान की गई कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

(आकंडे 000 टन में)

(आंकड़ा अनंतिम)

वर्ष	श्रमिकों द्वारा लदान किए गए कोयले की मात्रा
1991-92	4209.37
1992-93	3928.49
1993-94	3444.22

(ख) श्रमिकों द्वारा लदान किए गए कोयले पर खर्च हुए व्यय को नीचे दिया गया है

(लाख रुपये में)

(आंकड़ा अनंतिम)

वर्ष	श्रमिकों द्वारा लदान किए गए कोयले पर हुआ व्यय
1991-92	686.36
1992-93	765.93
1993-94	796.37

(ग) को.इं.लि. ने सूचित किया है कि लदान का कार्य विद्यमान विभागीय कामगारों द्वारा किया गया था।

(घ) श्रमिकों द्वारा कोयले का प्रति टन लदान पर हुए व्यय को नीचे दिया गया :

(रुपये प्रति टन में)

(आंकड़ा अनंतिम)

वर्ष	हुआ व्यय
1991-92	16.31
1992-93	19.50
1993-94	23.12

[अनुवाद]

कोयले की सप्लाई

1549. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्ड तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच कोयले की सप्लाई के संबंध में क्या समझौता हुआ है;

(ख) क्या समझौते में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोल इंडिया लि. को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना बाकी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के साथ वर्ष 1984-85 में करार किया था जिसकी वैद्यता अवधि 1 से 3 वर्ष की थी। को.इं.लि. के अनुसार ये सभी करार अब समाप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिनांक 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों (राज्य-वार) द्वारा को.इं.लि. को देय बकाया राशि नीचे दी गई है :

आंकड़े अनंतिम

(करोड़ रु. में)

राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	17.29	12.31	29.60
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	19.52	20.43	39.95
गुजरात विद्युत बोर्ड	48.30	73.58	121.88
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	129.48	21.40	150.88

1	2	3	4
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	23.19	45.99	69.18
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	355.54	66.39	423.93
उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	16.87	5.53	22.40
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	199.03	59.28	258.31
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	30.16	12.27	42.43
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	136.70	55.14	191.84
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	113.99	248.22	362.21
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	2.02	255.10	257.12
जोड़	1092.09	877.64	1969.73 *

*टिप्पणी : उपर्युक्त राशि में अन्य कोयला कंपनियों की, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम तथा विद्युत उपयोगिताओं/राज्य विद्युत बोर्डों को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं की ओर देय बकाया राशि शामिल नहीं हैं।

मुम्बई एफ.एम. चैनल

1550. श्री अनंतराव देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी-मुम्बई का एफ.एम. चैनल कितनी गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप मुम्बई एफ.एम. चैनल की आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) गैर-सरकारी पार्टियों को इसे पट्टे पर दिए जाने के परिणामस्वरूप मुम्बई एफ.एम. चैनल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में किस सीमा तक सुधार हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) बम्बई स्थित आकाशवाणी के एफ.एम. चैनल पर तीन निजी पार्टियों को समय स्लॉट आंबटित किए गए हैं।

(ख) निजी ग्राहियों द्वारा प्रदत्त लाइसेंस शुल्क से आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से है :

1993-94	93.12 लाख रुपए
1994-95 (अनुमानित)	91.25 लाख रुपए

(ग) इस चैनल की बढ़ती लोकप्रियता के लिए काफी हद तक निजी गाहियों के कार्यक्रम जिम्मेदार रहे हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1551. श्री अन्ना जोशी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही केन्द्रीय सहायता में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कटौती की गई है तथा उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसमें ऐसी कमी की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अलग-अलग कार्यक्रमों/परियोजनाओं/सेक्टरों/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम घटकों के लिए नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत परिव्यय राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों के भाग है और उन्हें अलग नियत किया जाता है। नियत सेक्टर में जब व्यय योजना परिव्ययों से कम रह जाता है तो राज्य की केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कमी की जाती है

चालू वर्ष (1994-94) के दौरान महाराष्ट्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 312.97 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं और यदि नियत परिव्यय से व्यय कम रह जाता है तो महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता में केवल इसी वर्ष कटौती की जाएगी।

बाल फिल्म परिसर

1552. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बाल फिल्म परिसर की स्थापना का प्रस्ताव छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक 6,04,675.75 रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बांग्लादेश से गैस की सप्लाई

1553. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश से भारत को प्राकृतिक गैस की सप्लाई के संबंध में कोई समझौता प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन की मैसर्स ब्रिटिश गैस कंपनी से इस प्रयोजनार्थ कोई तकनीकी सहायता ली जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे का नहर

1554. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे को नहर से 2.03 टी.एम.सी. पानी छोड़ने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जल की उपलब्धता तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों की कुल जल की आवश्यकता पर विचार करने के लिए तुंगभद्रा बोर्ड. की आपातकालीन बैठक 5 मार्च, 1995 को बंगलौर में बुलायी गयी थी। आंध्र प्रदेश की उच्च स्तरीय नहर के जरिये 1.6 टीएमसी जल निर्मुक्त करने का निर्णय किया गया।

सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए धनराशि

1155. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का 1995-96 के दौरान सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत केरल को और धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). संविधान के तहत, बाढ़ नियंत्रण तथा कमान क्षेत्र विकास सहित सिंचाई राज्य का विषय है और इसलिए बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई स्कीमों के रखरखाव सहित आयोजना, निरूपण, वित्त पोषण, निष्पादन तथा प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य का ही है। राज्य की वार्षिक योजना 1995-96 का वित्तीय आकार 1550 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है तथा इसके लिये राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 163.5 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय एवं सिंचाई क्षेत्रक और समुद्र क्षरण रोधी स्कीमों सहित बाढ़ नियंत्रण के लिए 15 करोड़ रु. के मुकाबले क्रमशः 177 करोड़ रु. के परिव्यय तथा बाढ़ नियंत्रण और समुद्र क्षरण रोधी स्कीमों सहित सिंचाई क्षेत्रक के लिए 16 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया है।

रंगीन मिट्टी तेल

*1556. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू खपत के लिए आर्बोटित मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा को व्यावसायिक प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दो रंगों में मिट्टी के तेल के बेचे जाने संबंधी अपने निर्णय को बदल दिया है तथा एक ही रंग का मिट्टी का तेल बेचने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की काला बाजारी को किस प्रकार रोकने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) चूंकि केरोसीन का थोक विक्रेताओं के खुदरा विक्रेताओं को वितरण और उसके आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसका उपभोक्ताओं को वितरण राज्य सरकारों का समग्र दायित्व है इस प्रकार वाणिज्यिक उपयोग में लगाए जा रहे घरेलू खपत वाले केरोसीन की मात्रा के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं है।

(ख) और (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केवल नीला रंग दिए गए केरोसीन की आपूर्ति करने संबंधी निर्णय के तब्दील करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) केरोसीन के विपणन और उसकी काला बाजारी को रोकने के लिए करोसीन की, फरफ्यूरल डोपिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु इसे नीला रंग दिया जाना, लंबित प्रयोगशालाओं द्वारा सेम्पिल जांच, तेल कंपनियों के अधिकारियों तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा इसकी आकस्मिक जांच, जैसे कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादी हिंसा में मारे गए जवान

1557. डा. सावित्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान आतंकवादी हिंसा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने जवान मारे गए;

(ख) क्या पीड़ितों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान उग्रवादी हिंसा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कोई जवान नहीं मारा गया।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की सीमा के रास्ते घुसपैठ

1558. श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात सीमा से जाली पासपोर्ट के सहारे उग्रवादियों ने घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा घुसपैठ की इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). हमारे सुरक्षा बलों द्वारा गुजरात की सीमा के रास्ते घुसपैठ करते हुए 1994 में एक व्यक्ति पकड़ा गया था और आगे की कार्रवाई के लिए उसे पुलिस को सौंप दिया गया था।

(घ) सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय शुरू किए हैं जिनमें अर्द्ध-सैनिक बलों का सुदृढ़ीकरण और तैनाती, उनकी गश्त में तेजी लाना, सीमा चौकसी के अत्याधुनिक उपकरणों को जारी करना, राज्य आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना और विभिन्न एजेन्सियों के बीच नजदीकी तालमेल सुनिश्चित करना, नये चैक पोस्टों का खोलना और आकस्मिक निरीक्षण करना, समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गतिविधियों की मानीटरिंग करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस टर्मिनल

1559. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम रसोई गैस टर्मिनलों के निर्माण के लिए आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड के साथ ढांचागत विकास संयुक्त उद्यम की स्थापना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

1560. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम कार्यरत है; और

(ख) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार, इस निगम द्वारा लाभान्वित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम काम कर रहे हैं; संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) अनुसूचित जाति विकास निगमों ने अपने आरंभ से अभी तक 78.52 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 1991-92 से आगे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	गोवा
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	जम्मू और कश्मीर
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	उड़ीसा
14.	पंजाब

1	2
15.	राजस्थान
16.	तमिलनाडु
17.	त्रिपुरा
18.	उत्तर प्रदेश
19.	पश्चिम बंगाल
20.	चंडीगढ़
21.	दिल्ली
22.	पांडिचरी
23.	दमन और दीव और दादर और नगर हवेली

विवरण–II

योजना के आरंभ में अब तक कवर किए गए लाभग्राहियों की संख्या

क्र.सं.	योजना	लाभग्राही (लाख में)
1.	6वीं पांच वर्षीय योजना (1980–85)	28.69
2.	7वीं पांच वर्षीय योजना (1985–90)	29.22
3.	वार्षिक योजना (1990–91)	5.42
4.	1991–92	4.52
	1992–93*	5.35
	1993–94	5.32
	कुल	78.52

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण–III में हैं।

विवरण–III

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	97,147	1,17,739	1,32,011
2.	असम	5,543	3,500	3,368
3.	बिहार	4,358	6,111	1,907
4.	गुजरात	21,624	24,025	33,600
5.	हरियाणा	11,518	12,875	14,296
6.	हिमाचल प्रदेश	7,219	5,673	8,681
7.	जम्मू और कश्मीर	2,308	2,147	3,147
8.	कर्नाटक	13,316	17,452	23,761
9.	केरल	1,886	1,909	5,148
10.	मध्य प्रदेश	22,044	43,285	50,900
11.	महाराष्ट्र	29,889	39,786	56,315
12.	उड़ीसा	10,853	12,783	14,853
13.	पंजाब	28,696	32,669	एन.ए.
14.	राजस्थान	49,510	58,524	59,350
15.	तमिलनाडु	649	2,036	1,545
16.	त्रिपुरा	995	1,337	एन.ए.
17.	उत्तर प्रदेश	95,774	98,257	62,844
18.	प. बंगाल	45,910	52,369	56,943
19.	गोवा	×	×	×
20.	चंडीगढ़	405	43	445
21.	दिल्ली	1,510	2,046	2,419
22.	पांडिचेरी	649	702	813
23.	दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	×	×	×
	कुल	4,51,803	5,35,268	5,32,408

नोट : ×नए स्थापित निगम।

उत्तर प्रदेश में आई.एस.आई. की गतिविधियां

1561. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई.एस.आई. मे फाइन्ड इट्स होम इन वेस्टर्न यू.पी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी आई.एस.आई. की गतिविधियों में हुई किसी बढ़ोत्तरी की जानकारी नहीं है। आई.एस.आई. द्वारा समर्थित गतिविधियों के मामले पहले भी जानकारी में आते रहे हैं। सरकार चोरी–छिपे तरीके से भारत में जासूसी, विध्वंस और

तोड़-फोड़ करने के पाकिस्तान की आई.एस.आई. के मंसूबों से वाकिफ है और आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त कर, आसूचना के आदान-प्रदान और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक ठिकानों पर अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती को सुदृढ़ करते हुए समन्वित कार्रवाई, समुद्र तटीय तथा स्थल क्षेत्रों में गश्त में तेजी लाना, भारत-पाक सीमा के संवेदनशील इलाकों में सीमा पर बाड़ और फ्लड लाइटिंग कर ऐसे मंसूबों का मुकाबला करने और उन्हें नाकाम करने के सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देश के विभिन्न भागों से कई पाक गुप्तचर एजेंट भी पकड़े गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए होस्टल

1562. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कितने होस्टलों का निर्माण किया गया ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने होस्टलों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/प्रदान करने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से दूरदर्शन के विज्ञापन

1563. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन प्राप्त करने के कार्य में गैर-सरकारी विपणन अभिकरणों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन अभिकरणों को किन शर्तों पर शामिल किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). दूरदर्शन द्वारा विशेष घटनाओं के मामले में निजी विपणन एजेंसियों की सेवाओं का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था न्यूनतम गारण्टी और राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर की जाती हैं।

प्राइम किस्म का कोयला

1564. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) को जाने वाले उत्कृष्ट किस्म का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. व उसकी अनुषंगी कंपनियां "सेल" से लगभग 300 करोड़ रु. की मांग कर रही हैं ताकि 1994-95 के दौरान कम मूल्य पर सप्लाई किए गए कोकिंग कोयले की बकाया राशि वसूल की जा सके;

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा "सेल" को अलाभकारी मूल्यों पर कोयला सप्लाई किए जाने के क्या कारण थे;

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा की गई उक्त मांग पर "सेल" की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ङ) क्या 1995-96 के दौरान "सेल" को सप्लाई किए जाने वाले उत्कृष्ट किस्म के कोयले के मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांचा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) कच्चे कोकिंग कोयले तथा धुले हुए कोकिंग कोयले को भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आपूर्ति कर रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. से कच्चे कोयले की कीमतें सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रभारित की जाती हैं। धुले हुए कोयले की कीमतें कोल इंडिया लि. तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के बीच कोकिंग कोयले की प्रशासकीय कीमतों तथा निविल आमद पर 50 प्रतिशत संगणित इक्विटी पर 12 प्रतिशत आय पर संगणना करके धुले कोयले के उत्पादन की नियामक लागत को हिसाब में रखकर परस्पर रूप में निर्धारित की जाती हैं।

(ख) से (घ). कोल इंडिया लि. के स्रोतों के अनुसार वर्ष 1994-95 के लिए भारत कोकिंग कोल लि. की वाशरियों से धुले कोयले के लिए दावा की गई 1581 रुपए प्रति टन की संगणित भारित औसत कीमत की एवज् में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. 1257 रु प्रति टन के हिसाब से अदा कर रही है। अतः भारत कोकिंग कोल लि. के मामले में 324 रु. का अंतराल है और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के मामले में धुले कोयले के लिए अंतराल 122 रु. प्रति टन का है। को.ई.लि. तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्विपक्षीय रूप में धुले कोकिंग कोयले की उचित कीमतों के मामले में विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा कोयले की कीमतों पर वर्तमान अध्ययन के विचारार्थ विषयों में एक विषय धुले हुए कोयले की कीमतों पर अध्ययन किया जाना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के पत्र

1565. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा रसोई गैस कनेक्शनों के आबंटन हेतु संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन और एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए संसद सदस्यों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त होते हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए अनुशंसित स्थानों का सर्वेक्षण कराया जाता है। यदि व्यवहार्य पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया अर्थात स्थानों का विज्ञापन, तेल चयन बोर्डों के माध्यम से चयन आदि के अनुसार डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए इन्हें विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशों, उत्पादन की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूटरों की हकदारी को ध्यान में रखते हुए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के अनुरोधों की भी जांच की जाती है।

[अनुवाद]

पैट्रोल और डीजल को नियन्त्रण मुक्त करना

1566. **श्री मोहन रावले** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब से लागू किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन सदस्यों तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों से अति प्राप्त विशेषज्ञों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रीय तेल उद्योग संरचना के लिए एक "नीति निर्धारण योजना दल" तैयार किया है। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

एच.बी.जे. पाइपलाइन

1567. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.बी.जे. पाइपलाइन परियोजना के विस्तार के लिये बनायी गयी योजना की लागत प्रारंभ में 1,427 करोड़ रुपये आंकी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमान किस वर्ष लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार को परियोजना से संबंधित तकनीकी तथा आर्थिक प्रतिवेदन नवम्बर, 1990 में प्राप्त हो गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति फरवरी, 1994 में प्रदान की गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब के कारण इसकी लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) परियोजना के निर्माण पर अब कितनी लागत आने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। टी.ई.एफ. आर. चरण में नवम्बर, 1990 की कीमतों पर परियोजना की लागत 1,427 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना के अनुमोदन में समय लगा क्योंकि उन्नयन के लिए गैस की उपलब्धता की विस्तृत जांच की जानी थी। निर्माण में विलंब के कारण लागत में वृद्धि नहीं हुई है।

(च) अनुमोदित परियोजना लागत 2,376 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

कोकिंग कोल

1568. **श्री पी. चुमारासामी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. का विचार गारा तथा अवशिष्ट ईंट के टुकड़ों से कोकिंग कोल निकालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ किन-किन धोवनशालाओं को चुना गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) ने कुछ विद्यमान वाशरियों में "स्व-निर्मित-स्व-चालित योजना के अंतर्गत फाइन कोयला निकासी संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदा संबंधी दस्तावेज 3 पात्र निविदाकर्ताओं को जारी कर दिए गए हैं।

(घ) इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए फाइन निकासी संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

उन विद्यमान वाशिरियों के नाम जहां कि निकासी संयंत्रों को प्रस्तावित किया जा रहा है।	कोयला कंपनी	अनुमोदित क्षमता (टी.पी.एच.)
दुर्गा	भारत कोकिंग कोल लि.	100
सुदामडीह	भारत कोकिंग कोल लि.	45
भोजूडीह	भारत कोकिंग कोल लि.	45
मूनाडीह	भारत कोकिंग कोल लि.	30
पाथरडीह	भारत कोकिंग कोल लि.	75
करगली	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	30
कथरा	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	100
गिद्धी	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	100
राजरप्पा	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	75

कोयला धोवनशालाएं

1569. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास सीमेन्ट एककों को बेहतर किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की केन्द्रीय धोवनशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) ने महाराष्ट्र में सस्ती के स्थान पर (2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता) की वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत "स्व-निर्मित-स्व-चालित" योजना के अंतर्गत कोयला वाशरी स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया है ताकि सीमेंट यूनिटों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति की जा सके। इस संबंध में आमंत्रित किए गए विश्व-व्यापी निविदाओं के एवज़ में प्राप्त हुई पेशकशें, चयन की गई पार्टियों के विचाराधीन है।

को.ई.लि. ने भी "स्व-निर्मित-स्व-चालित" योजना के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रायगढ़ के स्थान पर (1 मिलियन टन क्षमता प्रतिवर्ष) की एक वाशरी स्थापित किए जाने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं ताकि सीमेंट तथा स्पोंज लौह उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1570. श्री एन.वी. राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). योजना आयोग को गुजरात सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी पिगुट और बलदेवा सिंचाई स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रावधान हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और आयोग ने पिगुट और बलदेवा सिंचाई स्कीमों के लिए राज्य की वार्षिक योजना 1994-95 के तहत 82.77 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

1571. डा. साबीची : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियो/जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास बनाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने विद्यार्थियों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेषकर मथुरा में छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कियों/लड़कों के लिए होस्टल की केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 3906 छात्रों के लाभ के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 76 होस्टल स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान मथुरा में 50 संवासियों वाले एक होस्टल सहित अनुसूचित जातियों के लिए प्रति 60 संवासियों वाले 6 होस्टलों के निर्माण हेतु तथा अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए कुल 1950 संवासियों वाले अन्य 39 होस्टलों के निर्माण हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।

(ङ) तथापि, राज्य सरकार का प्रस्ताव 5.3.95 को प्राप्त हुआ है जब कि 1994-95 के लिए योजना के अंतर्गत निधियां पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करना संभव नहीं है। इस प्रस्ताव पर 1995-96 के दौरान विचार कया जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्र

1572. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के लिए तेल चयन बोर्ड द्वारा स्वीकृत आंध्र प्रदेश के नए पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्र संबद्ध व्यक्तियों को आबंटित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान तेल चयन बोर्ड आंध्र प्रदेश ने 41 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए पैनलों की सिफारिश की थी। सभी डीलरशिपों के संबंध में आशय पत्रों को संबद्ध तेल कंपनी द्वारा जारी किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस

1573. **श्री मोहन रावले :**
डा. विश्वनाथम चौनिम्बी :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस से सरकारी गाड़ियों के चलाने की संभावना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव

1574. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थानीय निकायों के विगत चुनाव कब हुए थे;

(ख) क्या इन निकायों की कालावधि को कई बार बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस कालावधि को किस-किस तारीख को बढ़ाया गया था और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली नगर निगम के पिछले चुनाव 1983 में कराए गए थे।

(ख) और (ग). चूंकि सरकार दिल्ली के प्रशासनिक और म्यूनिसिपल ढांचे के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही थी, अतः दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल, जिसे 7.2.87 को समाप्त होना था, तीन बार बढ़ाया गया। अंतिम बार बढ़ाया गया कार्यकाल 7.2.90 को समाप्त हुआ था।

(घ) दिल्ली नगर निगम का 6.1.90 से अधिक्रमण किया गया था। अधिक्रमण की अवधि को तब से कई बार बढ़ाया गया है; और पिछला विस्तारण, जो 31.5.95 तक वैध है, 28.2.95 को अधिसूचित किया गया था।

इस समय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर व्यक्तियों के नाम शामिल न करने/हटाने के सभी मामलों की पुनरीक्षा करनी चाहिए, के परिप्रेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैस-रिसाव

1575. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के बिलोदा गांव में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की एक पाइपलाइन से गैस-रिसाव हुआ था और उसमें आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जनवरी, 1995 में गुजरात के चिलोदा गांव में गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रचालित की जा रही एक पाइपलाइन से रिसाव था। रिसाव एक ब्लो डाउन वाल्व से हुआ था गैस ने आग नहीं पकड़ी।

(ग) रिसावी वाल्व को तत्काल बदल दिया गया था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वाल्वों की देखरेख संबंधी जांचों की बारम्बारता को बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात के लम्बित धारावाहिक

1576. श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक गुजरात सरकार ने स्थानीय चैनल पर प्रसारण के लिए स्वीकृति हेतु भेजे गए धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित समिति ने इन धारावाहिकों का मूल्यांकन कर इन्हें स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत किए गए धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर कब तक प्रसारित किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) हालांकि दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद को गुजरात सरकार से सीधे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ तथापि अक्तूबर, 1994 में गुजरात फिल्म विकास निगम लि. से धारावाहिकों के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) से (घ). प्रसारण हेतु लंबित अधिसंख्या प्रायोजित धारावाहिकों को देखते हुए केन्द्र द्वारा धारावाहिक "कथा गुर्जरी" के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सका। बाल-विषय पर अन्य धारावाहिक को अपने बाल-कार्यक्रम में समायोजित करने संबंधी दूरदर्शन केन्द्र के प्रस्ताव के बारे में गुजरात फिल्म विकास निगम द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास

1577. डा. साक्षी जी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु, प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा मांगी गई तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) कम राशि आवंटित करने के क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग प्रति व्यक्ति आवंटन नहीं करता। बहरहाल उत्तर प्रदेश को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कृषि और संबद्ध कार्यकलापों तथा ग्रामीण विकास के लिए राज्य योजना के तहत संस्वीकृत प्रति व्यक्ति धनराशि नीचे लिखे अनुसार है :-

	(रु.)		
	1992-93	1993-94	1994-95
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	26.49	21.57	24.91
ग्रामीण विकास (आईआरडीपी, जेआरवाई, ईएएस और डीपीएपी)	21.25	19.50	27.50

(ख) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई योजना आयोग द्वारा अनुमोदित धन राशि निम्नानुसार है :

	(करोड़ रु.)		
	1992-93	1993-94	1994-95
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप			
(क) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई	411.97	279.20	365.41
(ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	377.51	312.94	367.68
ग्रामीण विकास			
(क) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई	301.20	302.44	405.64
(ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	302.88	282.85	405.84

(ग) योजना आयोग द्वारा कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों तथा ग्रामीण विकास के संबंध में अनुमोदित धनराशि 1992-93 के लिए कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु और 1993-94 के लिए ग्रामीण विकास के लिए छोड़कर राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि से अधिक थी। यह 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न सेक्टरों को दी गई प्राथमिकता और इन अवधियों के दौरान समग्र संसाधन उपलब्धता के कारण था।

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे

1578. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम राज्यों, विशेषकर गुजरात में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कुल कितने खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पश्चिमी राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा में गत तीन वर्षों के दौरान छापे मारे गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या।

वर्ष	गुजरात	महाराष्ट्र	गोवा
1992-93	16	7	शून्य
1993-94	8	4	शून्य
1994-95	9	9	शून्य

कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रो पर पेट्रोल के घनत्व में भिन्नता, नमूनों के विशिष्टियों के अनुरूप न होने, अभिलेखों में विरोधाभास, पैट्रोलियम उत्पादों की अनधिकृत उतराई, स्टाक में परिवर्तन, मिलावट आदि जैसी अनियमितताओं का पता चला था। प्रमाणित मामलों में तेल कंपनियों/राज्य के प्राधिकारियों द्वारा चेतावनी देने, बिक्रियों तथा आपूर्तियों को निलंबित करने, बिक्री अनुज्ञप्तियों को स्थगित करने जैसी कार्रवाई की गयी थी।

[अनुवाद]

मथुरा तेल शोधक कारखाना

1579. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले धुएं के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). मथुरा रिफाइनरी गैसीय निस्सरण पूर्णतया निर्धारित पर्यावरणीय सीमाओं/मानकों के अंतर्गत हैं।

तेल शोधक कारखाने

1580. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधक कारखानों को सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में लाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र का कोई तेल शोधक कारखाना घाटे में चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

11.15 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा बारह मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

12.00 मध्याह्न

लोक सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : "टाडा" एक मुख्य तथा महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)**

12.01 म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी आई और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गई। (व्यवधान)

12.01 ½ म.प.

समय श्रीमती सरोज दुबे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

12.03 म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी अपने स्थान पर वापस चली गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 बजे म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

(व्यवधान)

12.04 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा 2.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.02 म.प.

लोक सभा 2.02 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : चुनाव नहीं, तो सभा नहीं। **(व्यवधान)**

2.2½ म.प.

इस समय श्रीमती सरोज दुबे क्या कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

2.03 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1995 इत्यादि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना, जिसमें मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1995 अंतर्विष्ट हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं.एलटी 7151/95]

(2) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1995 को जारी विशेष आदेश, जिसके द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल को वर्ष 1993-94 के दौरान मेजबानी और कार्यालय व्यय, साज-सज्जा का रखरखाव और मरम्मत तथा अनुसूची दो के संविदा भत्ते हेतु अतिरिक्त व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7152/95]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : मैं, श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7153/95]

(ख) (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7154/95]

(3) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7155/95]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7156/95]

(7) (एक) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7157/95]

क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7158/95]

(3) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7159/95]

तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7160/95]

फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : मैं श्री के.पी. सिंहदेव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ पुणे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7161/95]

(2) (एक) राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7162/95]

(3) केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1994 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल दूरदर्शन नेटवर्क नियम, 1994, जो 29 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7163/95]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.35 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

2.09 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा 2.35 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.35 म.प.

लोक सभा 2.35 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राज्य सभा से संदेश

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा से संदेश, महासचिव।

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 22 मार्च 1995 को हुई अपनी बैठक में भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित कर दिया है।

2.35½ म.प.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

महासचिव : मैं भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 1995, 22 मार्च, 1995 को राज्य सभा द्वारा यथापारित सभापटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

2.36 म.प.

(इस समय श्री छेदी पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा 4.00 म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.37 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म.प.

लोक सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बिहार में विधान सभा के चुनाव स्थगित किये जाने के बारे में

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : महोदय, जहां तक बिहार में चुनाव का संबंध है तथा उस राज्य में जो कुछ हो रहा है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। वहां चुनाव फरवरी में होने वाले थे। दिसम्बर में चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात सभी विकास कार्य रुक गये हैं। एक अथवा दूसरे बहाने से चुनाव स्थगित किये जाते रहे हैं। पुनः चुनाव मार्च में कराये जाने थे अर्थात 5, 7, और 9 मार्च को। परन्तु चुनाव फिर स्थगित कर दिये गये हैं। हम नहीं जानते, ऐसा किस के कहने पर तथा क्यों हुआ। फिर इन्हें 11, 15 और 19 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा था हम पहले उससे बहुत संतुष्ट थे। हम आशा कर रहे थे कि बिहार में चुनाव होंगे और 15 मार्च से पूर्व वहां सरकार बन जायेगी क्योंकि यही अंतिम तारीख थी, हमने धैर्य से इसकी प्रतीक्षा की हमें आशा थी कि चुनाव आयोग उस राज्य के साथ न्याय करेगा।*

अध्यक्ष महोदय : श्री अंसारी, कृपया आप पहले मेरी बात सुनें। आप अपनी बात इस ढंग से कहें कि यदि कोई शिकायत हो तो उसको दूर किया जा सके। संसद, चुनाव आयोग सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं। मैं इस भाग को देखूंगा इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : तारीखों में बार-बार परिवर्तन किया जाता रहा है। इससे समूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक हुआ है। हमें आशा है कि निर्धारित समय में चुनाव होंगे और सरकार बनेगी परन्तु जो लोग और दल चुनाव से डरते थे वे सभी प्रकार के झूठे और निराधार आरोप हमारी सरकार पर लगा रहे थे जोकि गत पांच वर्षों से कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति, बिना किसी गड़बड़ी और समस्या से सुचारू रूप से चल रही थी। अब लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई सरकार के विरुद्ध सभी प्रकार की आवाजें उठा रहे हैं। अब चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे चुनाव आयोग के इरादे का पता चलता है। मैं न तो चुनाव

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आयोग पर कोई कीचड़ उछाल रहा हूं और न ही उस पर कोई आरोप लगा रहा हूं परन्तु साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इससे चुनाव आयोग के इरादे का पता चलता है हमारी सरकार तथा मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है कि पहचानपत्र उस राज्य पर थोपे जा रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको एक ठीक संतुलन बनाये रखना चाहिए। मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा ओर जो मांग कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसके सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। हम संसद में हैं और आप प्रत्येक शब्द को बोलने से पहले उसे तोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संविधान की सरक्षा हमारा कर्तव्य है। हमें इस ढंग से बात नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : मैं संतुलन बनाये हुए हूं, महोदय।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संविधान की भावना के विरुद्ध जाने वाले शब्दों का प्रयोग किये बिना अपनी बात को बहुत ही अच्छे और प्रभावी ढंग से कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : मैं तथ्य पेश कर रहा हूं। (व्यवधान) चुनाव आयोग ने 15 मार्च के बाद भी चुनाव की तारीख को स्थगित कर दिया। हम यहां पर आये और हम आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से मिले और उनसे कहा कि चुनाव आयोग से निवेदन किया जाये कि वह तारीख को और आगे स्थगित न करे और अंततः आप के समक्ष सभा में आश्वासन दिया गया कि यह तारीख 21 मार्च से शुरु किया जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा ऐसी भावना व्यक्त की गई थी कि 25 मार्च से ऐसा होगा। परन्तु कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम संतुष्ट थे।*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : चुनाव आयोग को यह बात अच्छी तरह से ज्ञात थी कि सरकार का कार्यकाल 15 मार्च के बाद समाप्त हो जायेगा। चुनाव आयोग यह भी जानता था कि 31 मार्च के पश्चात वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी और वित्त विधेयक तथा बजट को पारित करना होगा। इस सारी जानकारी के बावजूद इस तथ्य के बावजूद*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : 25 मार्च के बाद चुनाव को 28 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा फिर बताया गया कि चुनावों को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया जा सकता है*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य बिहार में जिन 10 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, वहां से कम से कम 5000 लोगों को चुनाव आयोग ने दिल्ली बुलाया है। वे 2 अप्रैल को चुनाव आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। इनमें उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट तथा और बहुत से लोग होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों खड़ा करते हैं।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : उन्हें बुलाया गया है। (व्यवधान) अब चुनाव आयोग इस बात पर यह कह रहा है कि उसे अर्ध सैनिक बल नहीं दिये गये थे। दूसरी ओर, अभी कुछ घंटे पहले आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे पहले देश के किसी भाग में इतनी बड़ी संख्या में अर्ध सैनिक बल किसी राज्य ने नहीं मंगाये थे। परन्तु राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हमारी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में अर्ध सैनिक बल मंगाये। इन बलों को राज्य में तैनात नहीं किया गया बल्कि इन्हें*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डा. मुमताज अंसारी : वहां पर 'केयरटेकर' सरकार है। उस राज्य के गवर्नर द्वारा गृह मंत्री को बिना सरकार से परामर्श किये तथा मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों से परामर्श किये बिना रिपोर्ट भेजी जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अंसारी आप संविधान के प्रावधानों को समझने का प्रयास करके यदि आप को किसी संवैधनिक प्राधिकरण के विरुद्ध कुछ कहना है तो आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा। यदि इन बातों को समझे बिना आप कुछ कहेंगे तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आपको दिये गये आवर का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : मैं सच्ची बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कह रहे हैं....(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुमताज अंसारी : चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप न तो संविधान को समझ रहे है और न ही जो मैं कह रहा हूं, उसको समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : नहीं महोदय। हमें भी संविधान की थोड़ी जानकारी है। और हम संविधान के ढांचे के अंतर्गत ही बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपनी बात कहने के लिए इस अवसर का उपयोग करें।

डा. मुमताज अंसारी : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। धन्यवाद।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभा की कार्यवाही को रोकने का हमारा इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप की भावनाएं तेज हैं तो आपको उन्हें प्रदर्शित करना है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमें इस बारे में चिंता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : हमें पता लगा कि 25 मार्च को होने वाले चुनावों को 28 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। फिर पता लगा कि 28 मार्च को होने वाले चुनावों को 1 अथवा 2 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोई नहीं जानता कि चुनाव अप्रैल में होंगे अथवा इन्हें मई अथवा जून में कराया जायेगा। अथवा इन्हें मानसून सत्र तक भी स्थगित किया जा सकता है।

समूची समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि चुनाव वहां शीघ्र कराये जायें। 25 मार्च तक के लिए जो समयसूची निर्धारित की गई थी उसमें चार बार परिवर्तन किया गया है। पहले 5,7 और 9 मार्च को चुनाव कराये जाने थे। इन्हें 11,15 और 19 मार्च तक कर दिया गया। परन्तु फिर तारीख बदलकर 21 और 25 मार्च कर दी गई। अब पुनः इसे 25 से 28 मार्च कर दिया गया है। और अब बताया गया है कि इस 28 तारीख को बढ़ाकर अप्रैल में ले जाया जा रहा है।

पिछली बार भी इस मामले को उठाया गया था। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा था कि संघ सरकार चुनाव आयोग से अनुरोध करे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से बचा जाये और चुनाव शीघ्र कराये जायें। चुनाव 25 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराये जा सकते हैं। परन्तु किसी ने हमारी बात नहीं सुनी हम नहीं जानते कि ठीक स्थिति क्या है। क्या भारत सरकार नें इस मामले को चुनाव आयोग के साथ उठाया है। सभा को इस बारे में नहीं बताया गया।

बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि केन्द्रीय बजट पेश न किया जाये क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। बजट अपनी तिथि पर पेश किया जा सकता था। परन्तु कुछ सदस्यों ने ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि वे चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे इसलिए कुछ समायोजन किया गया था। परन्तु कोई भी व्यक्ति सभा को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह निश्चित तिथि तक बजट पेश करे अथवा नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने जो रुख अपनाया उसके लिए धन्यवाद। परन्तु चुनाव आयोग ने यह निर्णय दिया था कि जब तक विधान सभा के चुनाव न हो जायें केन्द्रीय बजट पेश न किया जाये।

परन्तु बजट तो पेश हो गया परन्तु बिहार विधानसभा के चुनाव नहीं हुए चुनाव आयोग का मत यह था कि यदि चुनाव से पूर्व बजट पेश किया जाता है तो इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों के मतदाताओं पर पड़ेगा। बजट पेश हो गया परन्तु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चुनाव आयोग ने भी इसका ध्यान नहीं रखा।

केन्द्रीय बजट के अलावा मतगणना भी स्थगित की गई। चुनाव परिणाम भी घोषित नहीं किये गये क्योंकि इनका अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता था। परन्तु बिहार के मामले में चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों के परिणाम मंगाये और उन्हें घोषित किया।

परन्तु बाद में हमने चाहा कि कुछ भी हो चुनाव हो जाने चाहिए। हम केवल इतना चाहते थे कि चुनाव की तारीख को और आगे स्थगित न किया जाये। परन्तु चुनाव स्थगित होते रहे। कोई नहीं जानता कि चुनाव आयोग को किस प्रकार के अर्ध-सैनिक बल चाहिए। जहां कहीं भी चुनाव हुए हैं वह शान्तिपूर्ण रहे हैं। बिहार में चुनाव को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस भी छाप रहा था। 200 स्थानों के लिए चुनाव पहले ही कराये जा चुके हैं। लगभग 124 से 130 स्थान शेष बचे हैं कोई घटना नहीं घटी है। जिन राज्यों के चुनाव हो चुके हैं उनसे कुछ हिंसात्मक घटनाओं के समाचार मिले हैं। परन्तु बिहार में हिंसा की कोई घटना समाचारपत्रों में नहीं छपी है। अतः सामान्य तथा सुचारू रूप से चुनाव कराये जा सकते हैं। परन्तु इस सबके बावजूद चुनाव टाले जा रहे हैं और कोई नहीं जानता यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी। अतः सारा मामला संवैधानिक संकट का है। चुनाव आयोग का कार्य चुनाव कराना है वह नागरिकों को उनके मत देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अतः हम इस मामले के बारे में चिन्तित हैं। इस मामले को तुरन्त लिया जाना चाहिए भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जबकि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग वहां चुनाव क्यों नहीं करा रहा है। 15 मार्च से पहले चुनाव नहीं कराये गये हालांकि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। हमें अब भी शक है कि 28 मार्च को भी चुनाव कराये जायेंगे अथवा नहीं स्थिति यह है।

इस लिए हम सभी चिन्तित हैं इस समय क्या किया जाये जबकि समूची संसदीय लोक तांत्रिक प्रणाली चुनाव आयोग के हाथों में है। देश का सर्वोच्च निकाय संसद है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग के लिये भी कोई आचार संहिता हो हमारे लिए आचार संहिता है। आप महोदय हमें सदा हमारी आचार संहिता के बारे में सावधान करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उसको छोड़िये। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री श्रीकान्त जेना : चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। यदि चुनाव आयोग संविधान की किसी बात का उल्लंघन करता है तो इस देश के संसदीय लोकतंत्र का क्या होगा। यही हमारी चिन्ता है। हम सुबह से ही इस मामले को उठा रहे हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं बिहार में बार-बार चुनाव स्थगित किये जाने पर प्रसन्न नहीं हूं। परन्तु मैं सभा को उन कारणों की याद दिलाना चाहता हूं जिनसे हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने फरवरी में चुनाव कराने की योजना बनाई थी और उसने पर्याप्त समय भी दिया था परन्तु केन्द्र तथा राज्य सरकार ने पहचान पत्रों के मामले में रुकावट डालने वाला रवैया अपनाया। अतः पहला स्थगन पहचान पत्रों की समस्या के कारण हुआ।

डा. कार्तिकेश्वर पत्र (बालासौर) : केन्द्रीय सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से दोषी है। मैं यह इस लिये कह रहा हूं कि क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने डेढ़ वर्ष पूर्व यह कहा था कि वह पहचान पत्र बनने पर ही चुनाव करायेगा। सभी लोग डेढ़ वर्ष तक क्यों सोये रहे। यदि आप को कोई कार्यवाही करनी थी, कचहरी में जाना था, तो आप को ऐसा करना चाहिए था। पहला कारण यही है।

दूसरा कारण 15 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू न करना है। क्या बिहार में आज लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कोई सरकार है। यह एक 'केयरटेकर' सरकार है जिसको जनता का मत प्राप्त नहीं है। अतः महोदय मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव बार-बार स्थगित नहीं किये जाने चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी के लिए कठिनाई पैदा होती है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समय में यह स्थिति नहीं है। कि यह बताऊं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा क्यों किया ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब क्या किया जाये। आप कुछ सुझाव तो दीजिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यदि आप ऐलाऊ करेंगे तो देंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

आप को अपने विचार बताता हूं। आप ही पढ़े लिखे और अनुभवी सांसद हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव बार-बार स्थगित नहीं किये जाने चाहिए। परन्तु आज क्या हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हाल ही के चुनाव स्थगन सहित बार-बार ये क्यों स्थगित किये गये? हम नहीं जानते : मैं भी नहीं जानता, मुझे उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इसके उचित कारण होंगे। हम कारण नहीं जानते...(व्यवधान) यदि चुनाव स्थगित करने का कोई उचित कारण नहीं है तो यह स्थगित नहीं किये जाने चाहिए थे। हमें चुनाव कराने चाहिए और इसका कोई तरीका होना चाहिए। चुनावों का बार-बार स्थगित किया जाना आम आदमी के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है और मैं चुनाव आयुक्त से अनुरोध करता हूं और इस सदन का भी अनुरोध करना चाहिए कि चुनावों को और आगे स्थगित न किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के इस महत्वपूर्ण मामले पर भी यह सदन एक आवाज में नहीं बोल रहा है। देश में जो स्थिति विकसित हो रही है वह बहुत अनूठी है। यह पहला समय है कि नियमित चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है कि जहां विधानसभा के अचानक विघटन के पश्चात चुनाव कराये जाने हैं। यह ज्ञात था कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल संविधान के उपबन्धों के अनुरूप 15 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। परन्तु आज 23 मार्च को हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के एक राज्य में चुनाव कब और कैसे कराये जायें और क्या चुनाव होंगे भी। इस देश के लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। क्या संसद की कोई भूमिका है अथवा नहीं। मैं इस सभा के सभी दलों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या भारत की संसद को संविधान के कार्यकरण को चुपचाप बैठे देखते रहना चाहिए और किसी के निर्णयों अथवा भावनाओं की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए वह कितना भी बड़ा संवैधानिक अधिकारी क्यों न हो। मैं जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। क्या इसको किसी के कार्य पर निर्भर रहना होगा। अथवा क्या इसे सभी सवैंधानिक निकायों और प्राधिकरणों को मिलकर चलाना होगा।

पहले ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। अतः इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। गत सप्ताह भी हम इस पहलू पर बोल रहे थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है। प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना होगा और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन के बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है और उन्होंने विकल्प बन्द नहीं किये हैं। परन्तु आज हम क्या पा

रहे हैं। क्या इस स्थगन के लिए कारण बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या कोई एक व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, समूची लोक तांत्रिक प्रक्रिया को रोक सकता है। हमारे संविधान और संसदीय लोकतंत्र का मूल आकार ही चुनाव है। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु बिहार के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग कैसे करें। वे 'केयरटेकर' सरकार क्यों रखें? इस देश के सभी लोग जानते हैं कि चुनाव की घोषणा से पूर्व सभी विकास गतिविधियां रुक जाती हैं। हम सभी इस तथ्य को जानते हैं कि राज्य का सभी सामान्य कार्य ही रुक जाता है।

दूसरे, हम सभी ने चुनाव में भाग लिया है और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार इस देश के चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर हैं। लोगों के पास पहुंचना होता है इसके लिए कुछ बन्दोबस्त करना होता है तथा कुछ प्रचार करना होता है। चुनाव की यह सामान्य बात है। कुछ प्रचार तो करना ही होता है चाहे आप बहुत सारा धन व्यय करेंगे अथवा न करें। लोगों से संपर्क बनाना होता है और उन्हें अपने दल के कार्यक्रमों के बारे में बताना होता है। मुझे इन सभी पहलुओं के बारे में उन्हें बताना होता है। इसको इस प्रकार अनिश्चित ढंग से बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे विचार में बहुत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब जैसा कि बिहार के हमारे मित्रों ने बताया है वहां विकास गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई हैं। इतना ही नहीं, सामान्य जीवन में भी बाधा उत्पन्न हुई है। राजनैतिक दलों उम्मीदवारों और लोगों में तनाव उत्पन्न किया जा रहा है। क्या यह सारी बात एक प्राधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो पर निर्भर होगी? मैं सभी दलों के मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि हमें इस मामले को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए। भारतीय संसद देश की घटनाओं पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। हमारे संवैधानिक ढांचे और इसके आधार को कमजोर किया जा रहा है। और चुनाव में भाग लेने के लोगों के अधिकार को अनिश्चित रूप से स्थगित किया जा रहा है। सभी जानते है। कि 31 मार्च के बाद संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ढह जायेगा क्योंकि तब एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इस सभा को इसमें हस्तक्षेप करना होगा।

महोदय, क्या इस देश का शासन इस प्रकार चलेगा? मैं इस सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि आओ हम सब एक मत होकर इन चुनाव स्थगनों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करें और एक मत होकर यह भी कहें कि चुनाव और आगे स्थगित नहीं किये जायेंगे। हम सभी ने इस सभा से यह अनुरोध किया था कि चुनाव 25 मार्च से पहले कराये जायें परन्तु इसके बावजूद चुनाव और आगे स्थगित किये जा रहे हैं। इस सभा को भारत की संसद को यह आदर प्राप्त हुआ है।

अतः हमें इस देश के प्रत्येक प्राधिकरण को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि बस बहुत हो गया; चुनाव कराकर हमें वहां सरकार बनाने दीजिए।

महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा आयोग को चुनाव रद्द करने का पूरा अधिकार है परन्तु वे पहले ही चुनाव को बार-बार स्थगित नहीं कर सकते। यदि कोई सच्चाई में अपने प्राधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि वह शक्ति वहां है। वह बिना शक्ति के नहीं है। बिना किसी उपचार के नहीं है परन्तु आज पूर्वधारणा पर चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं और अब यह बिल्कुल ही अन्तिम तिथि के पास आ गये हैं, यह इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया में एक दुखद घटना होगी।

अतः हमें एक मत से यह संकल्प पारित करना चाहिए कि चुनाव और आगे स्थगित नहीं होंगे और चुनाव कराये जायेंगे। महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सदन के सदस्यों के विचार व्यक्त करें कि इसके बाद चुनाव स्थगित नहीं होंगे और चाहे जो भी हो चुनाव कराये जायेंगे और परिणाम घोषित किये जायेंगे और चाहे कोई भी सरकार हो अन्तिम तिथि से पूर्व बनाई जायेगी ताकि संसद को बिहार विधानसभा के वित्तीय कार्य को पास न करना पड़े।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहिए कि संवैधानिक ढांचों के विघटन में हम मूक दर्शक नहीं बन सकते।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, संविधान के अनुसार राज्य विधान सभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व चुनाव अवश्य कराये जाने चाहिए। चुनाव आयोग हमारे संविधान का ही बनाया हुआ है। मेरे विचार में चुनाव आयोग समय पर चुनाव न कराकर अपने कर्तव्य में असफल रहा है।

बिहार में कई बार चुनाव स्थगित किये गये हैं चुनाव आयोग की इस मनमानी कार्यवाही से हमारे संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो गया हैं। आज लेखानुदानों के पारित होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हम इस पर चुप नहीं रह सकते। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। हमें इस संकट को हल करने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए और ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि चुनाव और आगे स्थगित न हो, हमें इस समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैंने अपने योग्य साथी, तथा संविधान विशेषज्ञ, श्री चटर्जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना है। परंतु संसद में कही गई उनकी कुछ बातों से मेरा मतभेद है। मैंने यहां कुछ बातें लिखी हैं, उनको मैं पढ़ता हूं।

श्री नारायणन ने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे को तोड़ा जा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त की यह जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित तिथि को चुनाव सुनिश्चित करायें। मैं संक्षिप्तरूप से इस बारे में कुछ कहूंगा।

महोदय, इस गणराज्य के विभिन्न अंगों में जिम्मेदारी का बंटवारा बहुत ही बारीकी से किया गया है और यह बहुत ही नाजुक है। अतः बहुत ही संतुलित है। प्रत्येक अंग को दूसरों के अधिकारों के बारे में सावधान होना चाहिए और इसके अधिकारों का उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अतः सभी संवैधानिक प्राधिकरणों को जिम्मेदारियों की विवेचना तथा निर्वहन में सावधानी बरतनी चाहिए। यह बात इस सभा पर उतनी ही लागू होती है जितनी उन पर लागू होती है जो इस सभा के भाग नहीं हैं। मेरे विचार में संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर यह जिम्मेदारी डाल रखी है कि वह उचित रूप से चुनाव कराये तथा उनकी देखरेख करे। यह बात बहुत विशिष्ट है और इसमें गणराज्य का कोई अन्य अंग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरा यह विचार है कि कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव कराने, उनकी देखरेख में मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह सहायता करे।

परन्तु आज की स्थिति में जैसाकि श्री चटर्जी ने कहा, संसद की क्या भूमिका है। परन्तु आज स्थिति क्या है? हम संघ के एक राज्य, एक महत्वपूर्ण राज्य जहां कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात चुनाव कराये जाने हैं, की बात कर रहे हैं। मेरे विचार में वह निर्धारित कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो गया है अतः यह कार्यपालिका अर्थात् बिहार सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी कि 15 मार्च से पूर्व चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयोग का कार्यालय जो कुछ चाहता है, उसे मुहैय्या किया जाये। परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त ने 15 मार्च के बाद क्यों चुनाव कराने का निर्णय लिया यह एक ऐसा पहलू है जिस पर केवल भारत सरकार ही प्रकाश डाल सकती है क्योंकि वह उसके परामर्श में रहे होंगे अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनको अपनी आवश्यकताओं के बारे में अवश्य बताया होगा?

मुख्य चुनाव आयुक्त की दूसरी जिम्मेदारी चुनाव कराने तथा उनके पर्यावेक्षण की है। 15 मार्च की तिथि का महत्व नहीं है। प्राकृतिक आदाओं सहित यदि किन्ही कारणों से 15 मार्च तक यदि चुनाव पूरे नहीं कराये जा सकते तो अन्य संवैधानिक दायित्व केन्द्रीय सरकार, बिहार के राज्यपाल का राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का था। यदि 15 मार्च तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता तो भुगतान, लेखानुदान, धन आदि की कठिनायां उत्पन्न नहीं होती। अतः इन दोनों को एक समान नहीं रखा जा सकता।

चुनावों के फलस्वरूप ही हम सभी यहां पर हैं। महोदय, आप सभी सभी जानते हैं कि चुनाव किस बारे में हैं। यदि हम चुनाव प्रक्रिया को देखें जोकि अपरिभाषित है और अनिश्चित है और जो लम्बी होती जा रही है तो उसके परिणाम हम पर जोकि चुनकर आते हैं, नहीं हैं बल्कि इसमे परिणाम बहुत व्यापक हैं। इस क्षेत्र विशेष अथवा राज्य के लोगों को जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है, को ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम इस संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम केवल इतना कहते हैं कि हम बिहार में चुनावों के बार-बार स्थगित किये जाने पर बहुत चिन्तित हैं। इस मामले को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। मुझे इस बात पर कोई सन्देह नहीं है कि बार-बार चुनाव स्थगन होने से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त को ध्यान होगा। उन्होंने इस ओर अवश्य ध्यान दिया होगा।

हम नहीं जानते कि चुनाव बार-बार क्यों स्थगित किये जा रहे हैं। हम लोगों ने यह हक दिया था कि यदि चुनाव तारीखें होली से मेल खायेंगी तो कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः चुनाव स्थगित हुए। कल अथवा आज हमारी राज्य इकाई ने यह मांग की थी कि चुनाव के अन्तिम चरण में उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव में चुनाव तिथियां अलग-अलग रखी जायें। अतः मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय ने 28 मार्च को भी चुनाव कराने का निर्णय लिया। अब यह ऐसे मामले हैं जिनमें ब्यौरों की आवश्यकता है परन्तु यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रत्येक कार्य पर संसद अपना निर्णय देगी तो मेरे विचार में इसके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन होगा। आप मुख्य चुनाव आयुक्त की बात छोड़िये यदि संसद गणराज्य के किसी अंग की कार्यवाही पर अपना निर्णय देना आरम्भ करेगी तो वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पायेगी। संसद मुझे कह सकती है कि संसद की भूमिका वह परिभाषा नहीं है जोकि मैं बता रहा हूं। यह सम्भव है। परन्तु यह विवेचना है और मैं इससे सहमत हूं। संसद का यह कार्य है कि वह गणराज्य के अन्य स्वायत्तशासी अंगों को स्वायत्तता से कार्य करने दे। परन्तु प्रत्येक अंग को सावधानी बरतनी चाहिए।

अब में तीन-चार पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के संवैधानिक दायित्व क्या हैं? 'केयरटेकर' सरकार के बारे में मैंने पहले भी कहा था मैं इस सभा के सभी वर्गों के सदस्यों के प्रति कोई अनादर न दिखाते हुए यह कहना चाहता हूं कि 15 मार्च को बिहार विधान सभा और वहां की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ेंगे यदि बिहार सरकार ने दस पन्द्रह दिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया होता अथवा जो कुछ भी है और यदि इसने...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : चुनाव आयोग की अपनी एक परम्परा और उनका एक अधिकार है...(व्यवधान) मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जाकर इस्तीफा दिया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी और हमने आग्रह किया कि बिहार में केअरटेकर गवर्नमेंट लालू जी की रहनी चाहिये और चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं मानता हूं कि यह ठीक बात है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं यहां अपने मित्रों के सामने अपना मत रखना चाहता हूं कि उन्होंने तो इस्तीफा दिया पर जो केन्द्र को करना चाहिये था, वह उसने नहीं किया, यह केन्द्र की कुटिल चाल है जिसकी वजह से यह

स्थिति है और इस सब से केन्द्र सरकार खुली घूम रही है।... (व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): आप अब जो 15 तारीख की मांग कर रहे हैं, उसके पहले भी मांग कर रहे थे। कि वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिये...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : जी हां, हम मांग कर रहे थे।

श्री राम प्रसाद सिंह : बिहार सरकार पहचान पत्र के मामले पर उच्चतम न्यायालय गई और वहां उच्चतम न्यायालय का फैसला बिहार सरकार के अनुरूप हुआ है, कि बिना परिचय पत्र के भी चुनाव कराये जायेंगे। इससे शेषन जी खफा हैं और वह कोई न कोई बहाना बना कर बिहार में चुनाव टालना चाहते हैं। यह उनकी गलत भावनाओं का प्रतीक है और बदले की भावना से प्रेरित होकर अब वह चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाये और तब वह चुनाव कराना चाहते हैं। इससे वह अपने को खुद संदेह के घेरे में डाल रहे हैं जो लोकतंत्र के लिये घातक है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री जसवन्त सिंह ने यह मान लिया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू न किये जाने के मामले को प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप सही कहते हैं कि हमारी पार्टी ने यह मांग की थी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव होने चाहिए, यह हमारा एक राजनीतिक स्टैंड रहा है और आज भी हम इस स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह मांग क्यों की, उसके विश्लेषण में अब हम न जाएं, उसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : फिर पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करके ही चुनाव हो...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह भी सही बात है। सोमनाथ जी ने भी कहा था कि आप ऐसा मत कहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव कराएं।

अध्यक्ष महोदय : पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का क्या संविधान में प्रावधान है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बंगलादेश में वे मांग कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार को हटा कर वहां चुनाव कराने के लिए 'केयरटेकर' सरकार बनाई जाये।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। यह सही बात है कि हमने यह मांग की और हम इस मत के रहे हैं कि बिहार राज्य में आज की परिस्थिति में सही चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना सही कदम होगा। मैं आपको बताऊं, आप इसके विश्लेषण में मत जाइए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और बहुत गंभीरता से मित्रो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह ठीक है कि आज गर्मी में हम कह दें राष्ट्रपति शासन के बारे में, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनता दल का तो मात्र 5 साल से बिहार में राज है, लेकिन आज बिहार की जो परिस्थिति है, कांग्रेस ने 45 साल में बिहार की जो दुर्दशा की है, उसको आप लोग भूल गए हैं, जिसके कारण आज बिहार इस परिस्थिति में पहुंच गया है, इस पर आप क्यों भूल रहे हैं। आप इतनी देर क्यों चुप रहे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दायरा जरा बढ़ा हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपनी अन्तिम बात कहूंगा। श्री सोमनाथ जी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में...

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी ने कहा था कि वह जो कुछ भी कहेंगे वह संवैधानिक सीमा से परे नहीं है।

[हिन्दी]

जसवन्त सिंह : मैं जानता हूं, अगर उसमें मैंने कही...

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने भी नहीं, सिर्फ आपका दायरा थोड़ा बढ़ा हो रहा है।

श्री जसवन्त सिंह : दायरा तो टीका-टिप्पणी की वजह से बढ़ा हो रहा है। एक अन्तिम बात। श्री सोमनाथ जी ने कहा है कि चुनाव को स्थगित करना लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारना है। यदि चुनाव स्थगित किये जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारने के समान है, तो निष्पक्ष और उचित चुनाव लोकतांत्रिक अधिकारों के समान माने जाते हैं, तो वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सम्भव नहीं है अतः पक्षपातपूर्ण और अनुचित चुनाव पर लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारने के समान ही है। और जब तक निष्पक्ष और

उचित चुनाव नहीं कराये जा सकते तब तक चुनाव स्थगित करना ही बेहतर है। निष्पक्ष और उचित चुनाव कराने पर समय तथा प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संवैधानिक अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ही है। मैं समूचे सदन से अपील करता हूं कि वह उस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें जोकि हमारा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय सदस्य ने मेरा नाम आठ बार लिया है। मैंने यहां किसी प्राधिकारी के विरूद्ध कुछ नहीं कहा है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस देश में कोई व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। श्री सिंह अच्छी और सम्बन्धित बातें भूल गये हैं। संवैधानिक प्राधिकरण के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मुझे आशा है कि आप इसको स्वीकार करते हैं। अतः हमें यह नहीं कहना चाहिए कि इस देश में कोई व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। मैंने यह कहा था कि संसद को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। उसको अपनी राय व्यक्त करने दीजिए। मैंने 'निर्देश शब्द का उपयोग नहीं किया। मैंने यह भी कभी नहीं कहा कि हमें किसी प्राधिकरण को कोई विशेष कार्य किसी विशेष ढंग से करने हेतु बाध्य करना चाहिए अथवा उसे आदेश देना चाहिए। जैसाकि हम सर्वोच्च न्यायालय को कोई निर्देश नहीं दे सकते, इसी प्रकार हम चुनाव आयोग तथा महालेखापरीक्षक को भी निर्देश नहीं दे सकते। वे संवैधानिक प्राधिकरण हैं जिन्हें हम निर्देश नहीं दे सकते। परन्तु संसद में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह उसके लिए है कि वह हमारी बातें मानें अथवा नहीं अथवा वह अन्ततः क्या निर्णय लेता है।

मेरी आपसे अपील है कि हम अपने विचार व्यक्त करें और मामूली राजनैतिक कारणों से सदन को न बांटें। यदि मुझे गलत न समझा जाये, तो सदन के अधिक लोकतांत्रिक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मुझे ऐसा लगता है कि यह वाद-विवाद वांछनीय सीमा से आगे निकल गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें सीमित क्षेत्र में ही बात करनी चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : श्री सोमनाथ जी ने अभी जो बात कही मैं पहले उसी को लूंगा। यह ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों को रद्द कर दिया है परन्तु जब तक ऐसा नहीं हुआ था, तब तब तक वे निर्णय थे।

कभी भी कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिये गये निर्णय को चुनौती दे सकता है। ऐसा नहीं किया गया। अतः जब तक किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता, वह निर्दोष ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि मैं श्री शेषन के वकील का कार्य कर रहा हूं परन्तु यह बात अभी भी मेरे ध्यान में आई है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि संविधान के अनुसार चुनाव कराने का विशेषाधिकार तथा जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की है। हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है और मेरे विचार में सभी इस बात से सहमत हैं।

बिहार में यह हुआ है कि वहां की जटिल स्थिति के कारण चुनावों को विभिन्न चरणों में रखा गया था और कुछ चरणों के चुनाव को स्थगित किया गया है। आज स्थिति यह है कि बिहार के एक क्षेत्र विशेष में जहां 25 मार्च को चुनाव कराया जाना था अब वहां 28 मार्च को चुनाव कराया जायेगा।

मेरे विचार में इसका बहुत साधारण कारण है। वहां पर अब तक हुए चुनाव से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह आवश्यक हो गया है कि वहां पर प्रत्येक बूथ पर कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिएं। मुख्य चुनाव आयुक्त का यही निर्णय है और मेरे विचार में वहां की स्थिति में यह ठीक है। परन्तु यह मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय है।

अतः सम्बन्धित कार्यपालिका के अधिकारियों ने यह पाया कि समूचे संघ में एक ही दिन चुनाव करा पाना सम्भव नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि चुनाव अलग-अलग तिथियों को कराये जायें और इस अनुरोध का वहां के राज्यपाल ने भी समर्थन किया। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं है।

बिहार के एक सीमित क्षेत्र में चुनाव तीन दिन स्थगित करने से लोकतंत्र को कोई धक्का नहीं लगता। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सभा में इस प्रकार का विस्फोट हो जैसा हमने आज देखा।

मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता परन्तु सभी जानते हैं कि बिहार में स्थिति अभूतपूर्व है, अतः वहां पर कुछ उपाय विशेष किये जाने हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि मतपत्र गलत छप गये हों। यह तो हमारी कल्पना से परे है। हमने कभी नहीं सुना कि चौकीदार बूथ की रक्षा कर रहा हो। हो सकता है ऐसा कभी किया गया हो परन्तु वे दिन और थे और समूची प्रणाली की अपनी साख थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। अतः, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए एक निश्चित सीमा तक बलों का प्रयोग करना है और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वह अनुभव के आधार पर ऐसा कर रहा है और मुझे विश्वास है कि वह लिखित आदेश दे रहे हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जल्दी में की गई हो।

अतः हमारे मित्रों...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप नहीं जानते कि अगला शिकार कौन होगा...(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने सभा में कहा है कि ऐसा समय आ सकता है जबकि देश में एक निश्चित दिन पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पूरी सेना का प्रयोग करना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दिन कभी न आये। ...(व्यवधान)

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : वह संयुक्त राष्ट्र की सेना को बुला सकते हैं...(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वह उनकी क्षमता से बाहर है। उसके लिए भारत सरकार को पर्याप्त बल मुहैया करने में अपनी असमर्थता दिखानी होगी और मित्र देशों से बल मंगाने होंगे। वह एक बिल्कुल अलग मामला है।

मैं यह कह रहा हूं कि बिहार के कुछ भागों में चुनाव स्थगन से हमारे लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। पता नहीं, जनता दल के मेरे मित्र इससे विचलित क्यों हैं।

महोदय, मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं। पिछली बार जब इस मामले पर हम चर्चा कर रहे थे तो यह समझा गया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा क्योंकि यदि चुनाव निर्धारित तिथि पर कराये जाते हैं और 25 मार्च तक पूरे कर लिये जाते हैं तो भी सभा को गठित करना तथा लेखानुदान पारित कराने हेतु पहली बैठक बुलाना सम्भव नहीं होगा। यह बात मैंने, श्री जसवन्त सिंह तथा अन्य सदस्यों ने भी कही थी और इसलिए यह कोई नई घटना नहीं है। 31 मार्च से पूर्व वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा ताकि संसद को शक्ति दी जा सके जिससे वह बिहार का प्रशासन चला सके। अतः ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर परिणाम ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया है। हालांकि हमें मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है तो भी हम चाहते हैं कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया 28 मार्च तक शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो और चुनाव उस तिथि तक हो जायें...(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण पर कोई आक्षेप किये बिना तथा बिहार की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से गये बिना मेरे दल को यह उम्मीद है तथा इच्छा है कि चुनाव प्रक्रिया 28 मार्च तक पूरी हो जायेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चुनाव प्रक्रिया के लम्बा होने के कारण बिहार के लोगों को बहुत कठिनाई तथा असुविधा हुई है। बिहार में सामान्य जीवन ठप्प हो गया है। विकास प्रक्रिया रुक गई है। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भी रुक गई है। अतः मुझे आशा है कि 28 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। जैसी कि स्थिति आज है, लगता है चुनाव 28 मार्च तक समाप्त हो जायेंगे। उनका परिणाम चाहे जो भी हो। मैं उम्मीद करता है कि चुनाव के पश्चात बिहार सरकार विकास, शान्ति और लोगों में समृद्धि की बहाली करेगी।

अध्यक्ष महोदय : सब लोग अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : किसी को भी चुनाव आयुक्त के प्राधिकार को चुनौती नहीं देनी चाहिए। परन्तु चुनाव आयुक्त के भी कुछ दायित्व हैं। यदि आयुक्त के कतिपय दायित्व नहीं होंगे और वह सभी बातों को ध्यान में नहीं रखेगा तो गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा।

महोदय, जिस प्रकार बिहार के चुनाव कराये गये हैं अथवा स्थगित किये गये हैं, उनसे चुनाव आयुक्त को ज्ञात होना चाहिए कि क्या संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट के प्रति वह जागरूक नहीं है। उनकी इस प्रकार स्वतंत्र रूप से की गई कार्यवाही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत हानिकारक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कुछ अपनी विशेषता है। वे प्रतिदिन की घटनाओं के लिए नहीं हैं। जब भी आप कुछ करते हैं तो आप को यह अवश्य सोचना चाहिए कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। अतः बिहार में जिस प्रकार चुनाव हुए हैं उनसे समूचे देश तथा संसद के समक्ष एक समस्या खड़ी हो गई है। उस पर और विचार करने की आवश्यकता है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु चुनाव आयुक्त तिथियों के स्थगन की सिफारिश कर सकते थे। परन्तु चुनाव तिथि बदलने से उत्पन्न होने वाले सम्भावित समस्याओं से वह अवगत नहीं थे। वह लोगों को होने वाली कठिनाइयों से भी अवगत नहीं थे। लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया। तारीख बदलने से लोगों को तुरन्त होने वाली कठिनाई को भी ध्यान में नहीं रखा गया। न तो लोगों को और न ही राज्य के विभिन्न अंगों को ध्यान में रखा गया। सभी कार्यवाही से ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस सदन में कोई भी इसकी सराहना नहीं करेगा। हम सभी लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। ऐसा समय आ सकता है जबकि संसद में किसी दल का हित प्रभावित हो परन्तु तब भी वे लोग सभी के साथ नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत हानिकारक होगा क्योंकि इससे इस प्रणाली की ही मृत्यु हो जाएगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर श्री चटर्जी ने कहा था कि इस मामले को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए यदि कोई इसे राजनैतिक रंग देता है तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त की उस कार्यवाही से भी खराब बात होगी जिसमें अनेक संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अतः इस स्थिति पर समूचे सदन को एक राय करनी चाहिए कि चुनाव तिथि और आगे न बढ़ायी जाये और यह कार्य 28 मार्च तक पूरा कर लिया जाये। सदन को यह सन्देश, जनता, देश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए निर्देश नहीं। यह कहना चाहिए कि देश के सर्वोच्च निकाय की इस मामले पर यह राय है। अतः मेरा निवेदन है कि चुनाव 28 मार्च तक पूरे करा लिये जायें इसे और आगे बढ़ाना हानिकारक होगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए एक ही बात को बार-बार दोहराना उचित नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं अपनी बात पर जोर दे रहा हूं। इसका अर्थ दोहराना नहीं है। बिहार में जो कुछ हुआ, वह ऐसा मामला नहीं है जो यहां समाप्त हो जाये। हमें अपने अन्दर झांकना चाहिए। हमें

सकारात्मक उपाय करने चाहिएं जिससे कि बिहार में जो कुछ हुआ वह देश में पुनः न हो।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2-3 प्वांयट्स कहूंगा क्योंकि न मैं कोई संवैधानिक जानकार हूं और न कोई आई.ए.एस. या आई.पी.एस. हूं। हम लोग तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते और खेलते-कूदते हुये लोकसभा में आ गये।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : चाहे लोकसभा का या विधान सभा का चुनाव हो, पहले इक्कीस ही दिन में हुआ करते थे लेकिन आज चुनाव 44 दिनों के बाद हो रहे हैं और फिर उसमें भी समय बढ़ा दिया गया है। करीब 50 दिन हो गये। हम नहीं समझते हैं कि किस तरह से चुनाव आचार संहिता की बात की जा रही है। उम्मीदवारों का खर्च बढ़ रहा है। बिहार के सारे यातायात ठप्प हैं, विकास के कार्य रुके हुये हैं। मतलब यह है कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लगन के समय में बेटी-बहिनों की शादी रुकी हुई है और लोग कह रहे हैं कि हम आचार संहिता की बात कर रहे हैं।

5.00 म.प.

आचार संहिता की बात वहां नहीं है। असली बात यह है कि वहां बिहार में कांग्रेस ध्वस्त है, भाजपा पस्त है और समता पार्टी समाप्त है। वहां की जो वर्षों से दबी पीड़ित शोषित जनता थी, वह अब जाग गई है और वोट देना सीख गई है। ये दबे और पीड़ित लोग बूथ कैप्चरिंग करना नहीं जानते थे। अभी तक वहां उच्च वर्ग ही बूथ कैप्चर करता आया है। आज वे बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उन सभी लोगों की छाती पर सांप लोट रहा है और इलेक्शन कमीशन उसी प्रकार डेट आगे खिसकाता जा रहा है जैसे हनुमान जो अपनी पूंछ बढ़ाते जाते थे। वहां बिहार में आज धनहीन, मनहीन और तनहीन लोग जागे हैं और इसलिए आज सब लोगों की छाती पर सांप लोट रहा है और इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि संसद को सर्वसम्मति से प्रस्ताव करना चाहिए कि चुनाव के लिए जो डेट निर्धारित की गई है उसी तारीख पर चुनाव होने चाहिएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है और इसी प्रकार सभा के सदस्यों में भी मतभेद है। विरोधी दलों के कुछ सदस्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार की जो आलोचना की गई है उस पर मुझे आपत्ति है। इससे अधिक कुछ नहीं।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी, यहां चर्चा हुई है और सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। इस सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। यह स्पष्ट है कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो। कुछ सदस्यों की राय है कि वहां तुरन्त चुनाव कराये जायें। कुछ की राय है कि 'केयरटेकर' सरकार को इस प्रकार बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसे कि वह बिहार की लोकतांत्रिक सरकार हो। स्थिति यह है।

यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। केवल बिहार के मामले में ही इस सदन में चुनौती दी जा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बार-बार तारीख क्यों बदली। यह राय यहां व्यक्त की गई है और यह सभा चुनाव की तिथि एक के बाद एक बदले जाने पर बहुत चिन्तित है।

कोई नहीं कह सकता कि स्थिति क्या थी और 'केयरटेकर' सरकार ने बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु और अधिक अर्ध-सैनिक बल क्यों मांगे। कुछ सदस्यों ने आलोचना की है कि केन्द्र सरकार लापरवाह है और वह मूक दर्शक है। यह सच नहीं है। जब भी, जहां भी, मांग हुई है सरकारी सहायता दी गई है। अर्ध सैनिक बलों अथवा अन्य चीजों की केन्द्रीय सहायता की कोई कमी नहीं है।

केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही बता सकते हैं कि बार-बार चुनाव तारीख क्यों बदली गई। वही इसका औचित्य बता सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार वहां राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करती है, तो वहां भुगतान तथा खर्च के लिए कुछ बाधायें आ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सारा ब्यौरा आवश्यक है?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : केन्द्र सरकार को बिहार के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बारे में केन्द्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। यदि 28 मार्च को चुनाव होगा तो कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि 28 मार्च को क्या होता है। यह सभा भी एक संवैधानिक प्राधिकरण है और संविधान की संरक्षक है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक संवैधानिक निकाय है। सदन को 28 मार्च तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं बिहार की वर्तमान चुनाव स्थिति पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा में, जो कि कानून बनाने का देश का सर्वोच्च निकाय है और जहां कि सभी ओर के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है और पिछली बार सभी ने यह राय व्यक्त की थी कि बिहार में अब चुनाव समाप्त होने चाहिए शायद 25 मार्च को चर्चा के पश्चात ऐसा हुआ है। दुर्भाग्यवश, यह 25 मार्च को होने वाले चुनाव का भाग है जोकि अब 28 मार्च को होने हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि चुनाव आयुक्त का कार्यालय एक संवैधानिक प्राधिकरण है परन्तु हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ लोगों के बारे में सोचा था और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय चुनाव कराने के लिए है न कि चुनाव स्थगित करने के लिए। राज्य सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इससे बहुत पहले चुनाव कराने का अनुरोध किया था। आज एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कल्पना नहीं की थी कि चुनाव आयुक्त कार्यालय इस प्रकार व्यवहार करेगा।

ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी राजनीतिक दलों और संविधान विशेषज्ञों से परामर्श करे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और मुख्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार आचरण न कर सके। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उनको ऐसा अवसर नहीं देना चहिए जिससे कि लोग ऐसे निर्णय पर पहुंचें। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयुक्त से अपील करता हूं कि 28 मार्च तक निश्चित रूप से चुनाव पूरे किए जायें और किसी भी परिस्थिति में यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।...(व्यवधान) ऐसा समूचे सदन की ओर से एक संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारी भावनाएं उन तक पहुंचायें कि लोकतंत्र की रक्षा की जाये क्योंकि यह एक सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है।

अध्यक्ष महोदय : राव जी, हम समझ गये हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपने मुझे जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल वही लोग बोलें, जिन्होंने संविधान का अध्ययन किया है। अन्यथा समस्याएं उत्पन्न होंगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : हमें वास्तव में एक गम्भीर और दुखदायी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं कि देश में घट रही घटनाओं के प्रति संसद एक मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। यह हम सभी के लिए विचार करने का समय है।

मैं जानता हूं कि चुनाव कराने तथा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने का दायित्व एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयोग का है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं।

फिर भी, मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान के दायरे के अन्दर रह कर ही कार्य करना है। इस बात का पालन नहीं किया गया है। उनको यह देखना चाहिए था कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव सम्पन्न हों। उनको यह प्रक्रिया समय पर पूरी करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा सभी राजनैतिक दलों से संपर्क करना चाहिए था।

अब प्रश्न यह कि क्या संसद इस मामले में कुछ कर सकती है। हमने संसद में यह शपथ ली थी कि हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। अतः ऐसे गम्भीर मामले में अपने विचार व्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त संविधान के विरूद्ध कोई कार्य करता है और जोकि ठीक नहीं है तो संसद को उस पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। संसद को अपनी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए कि चुनाव अनावश्यक रूप से स्थगित किये गये हैं। हमें यह बात सुनिश्चित करनी है कि चुनाव और आगे स्थगित न हों। हम सब को एक मत होकर यह विचार व्यक्त करने चाहिएं कि चुनाव और आगे स्थगित न किये जायें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जाये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, शुक्ला जी के बोलने से पहले मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में रखना चाहता हूं कि यह बात तय होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कितनी लम्बी होगी। क्या वह निरन्तर एक प्रक्रिया बन जाएगी या उसकी कोई सीमा होगी जनता दल का सवाल छोड़ दीजिए, इसमें सवाल सिर्फ समय सीमा का है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी मर्यादा की हम बात करते हैं, उसमें भी यह है कि सब लोग देश की लोकशाही को ठीक से चलाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब जगह यह बात चली हुई है कि चुनावों में सुधार होना चाहिए। हम सब सुधार के काम में कई वर्षों से लगे हैं। जिसे चुनाव कराने का अधिकार है, लोकतंत्र कोई ऐबस्ट्रैक्ट चीज नहीं है, उसकी आवाज पार्टी के जरिए ही आती है। मैं सोचता हूं कि जितने भी इलैक्शन रिफार्म्स हुए हैं। क्या कारण है कि उनमें से अकेले जनता दल के बूते पर 95 फीसदी सुधार के कार्यक्रम आए हैं।...(व्यवधान) मैं सोच रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को तीन महीने से हमने चुनाव

के कामों में लगा रखा है। देश में चुनाव कितनी मशक्कत की चीज है, उससे सब लोग वाकिफ हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव के सुधार हैं, क्या कारण है कि 95 फीसदी सुधार जनता दल के सिर पर हो रहे हैं? कभी किसी मौके पर भी किसी सरकार के बाबत यह नहीं कहा गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन यही जनता दल की सरकार है, मैं सरकार के हक, पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं लेकिन एक स्वर में बहुत-सी पार्टियों ने, बहुत से साथियों ने यह मांग की कि वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अब जो 28 तारीख तक चुनाव की तारीख बढ़ी हैं, यह राष्ट्रपति शासन लागू होने की बिल्कुल पक्की, मुकम्मल चीज है। यह मुकम्मल हो गया कि राष्ट्रपति शासन के बगैर अब काम नहीं चलेगा।

इलैक्शन कमीशन का काम है कि चुनाव की तारीख करने के पहले देख लें कि मेरे पास फ्री फेयर और वक्त के अनुसार चुनाव कराने की सब तैयारी है कि नहीं। यह नहीं कि चुनाव की तारीखें घोषित हो जायें और घोषित होने के बाद, मान लीजिए कि बिहार में पूरे नौ करोड़ लोगों में जनता दल के समर्थन में जो जनता है, वह बड़ी अन्यायी है लेकिन जो जनता दल के खिलाफ जनता है, वह तो न्यायिक है, उसे चार महीने तक, 5 महीने तक लगातार तंग और तबाह करने का काम यदि किसी संवैधानिक संस्था के जरिये हो तो यह सदन सर्वोच्च सदन है और वह भी उन लोगों के द्वारा हो, जो सुधार का ढोल लिए हुए हैं, ढोल पीट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सुधार के पहले ही यह लोक सभा बन गई थी। इस देश में कई चुनाव हुए हैं और पांचवी बार तो तो मैं ही इस पार्लियामेंट में हूं, हमने कई चुनाव लड़े हैं। इस देश को पूरी दुनिया में और विश्व में बदनाम करने की बात है कि इसमें फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन नही होते। यह ऐसा देश है कि जिस देश में प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए उसके खिलाफ भी यहां केस दायर होता है और उसके खिलाफ फैसला हो जाता है, इमरजेंसी जैसी चीज को बहुत से लोग फर्क कर देखते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार मुख्य धारा में है। राष्ट्रीय आन्दोलन में इतना बड़ा योगदान बिहार के लोगों का है और बिहार के मामले को चारों तरफ जिस बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है और वहां के जो लोग मुख्य धारा में हैं। जहां मुख्य धारा में नहीं हैं, वहां तो आपको इतनी कसरत करनी पड़ रही है, लेकिन जहां लोग मुख्य धारा में हैं, जहां लोग वोट डालना चाहते हैं, 70 लाख लोग देश के दूसरे हिस्सों से बिहार में वोट डालने के लिए वापस आये थे, मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं कि 70 लाख लोग, जो बाहर काम करते थे, वह वापस चले गये। जो वहां चुनाव में वोट डालने गये थे, वह वापस आये हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं चोट है कि हम इस देश में ठीक-ठाक नागरिक नहीं हैं। बिहार में पिछले तीन महीने से चुनाव चला हुआ है, वहां की जनता को तंग किया जा रहा है।

बिहार अकेला सूबा है, मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि सारे देश में यदि कोई गौरव की चीज है तो वह बिहार में जितनी राजनैतिक चेतना है, वह देश के अन्य इलाकों में बहुत कम मिलेगी। वहां सामाजिक परिवर्तन का आन्दोलन और गैरबराबरी का आन्दोलन, दोनों एक साथ चले हुये हैं। वहां कन्फिलक्ट्स पहले से ज्यादा हैं, पहले ही थे और अब ज्यादा हैं। लेकिन बिहार के नौ करोड़ लोगों को जिस तरह से बार-बार तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, इस बात पर हमारा सदन कुछ न बोले, हमारा सदन मौन रहे और आप कहें कि बोलिये, लेकिन बोलने के बाद भी इसमें कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सवेरे से सदन में जो काम कर रहे थे, उसकी इच्छा हमारी कतई नहीं रहती है, मगर वह अपना ही काम था, जिसको हम कर रहे थे। आपने कहा, निवेदन किया कि सदन को चलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए तो हम सदन में आये लेकिन इस आशा से आये हैं, विश्वास से आये हैं कि बिहार में जो नौ करोड़ लोग हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, नहीं होगा, हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हारेंगे या क्या होगा, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन नौ करोड़ लोगों को, जो निरपराध हैं, वहां के लोग अपना वोट डालकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वह सरकार गर्भ में है, मैं नहीं कहता कि वह सरकार कौन-सी बनेगी लेकिन उन तमाम लोगों को अपमानित करने का भी हक किसी को हासिल नहीं है।

चुनाव कमिश्नर ने एक बार भी, सीईसी जो सबसे बड़ी संस्था है, एक बार भी पूरे देश के जितने राजनैतिक दल हैं, एक बार भी उनसे बात करने की बात की हो, तो मुझे बताइये। जितनी तारीखें बढ़ाई गई हैं, इन सारी तारीखों को एकतरफा लोग लिखते हैं और वह अपने कमरे में बैठकर फैसला करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल अछूत चीज नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन के बीच रात-दिन रहने वाले लोग हैं। हम लोगों की समस्याओं को सुनने वाले लोग हैं। बातचीत न करना और अपने तरीके से वहां चुनाव रोक देना ठीक नहीं है। अगर हम अपनी जुबान से यह कह देंगे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है तो बिहार बारूद के ढेर की तरह हो जायेगा। फिर स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी और हम उसे वापस लाने की स्थिति में नहीं होंगे। आप बिहार को इतनी दूर तक मत ले जाइये और इतना दीवार तक नहीं सटाइये कि स्थिति खराब होती चली जाये। गरीब लोगों के मन में यह बात नहीं आनी चाहिये कि हमें वोट देने से व्यवस्थावादी लोग रोक रहे हैं और बरी कर रहे हैं। ऐसी भावना वहां की जनता के भीतर मत जाने दीजिये। इसके चलते राष्ट्र का नुकसान होगा। एक आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही सक्षम क्यों न हो, लोकतंत्र के चलते केवल उसकी बात नहीं मानी जा सकती है। सब लोगो के सहयोग और समर्थन से ही देश चलता है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बिहार में बार-बार चुनाव स्थगित किये जाने से एक दुखदायी स्थिति पैदा हो गई है। बार-बार चुनाव स्थगित किये जाने से राजनैतिक दलों को होने वाली कठिनाई और असुविधा के प्रति हमारी सहानुभूति है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ अभिप्राय हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यह बहुत कठिन और दुखदायी अवधि है न केवल राजनैतिक दलों के लिए बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी। मेरे विचार में इस का किसी विशेष राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। बिहार में जनतादल का शासन है, अतः इनके दूसरों की अपेक्षा अधिक हानि हो सकती है किन्तु प्रत्येक दल को कुछ न कुछ हानि है।

लगभग दो वर्ष पूर्व इस सदन में चुनाव सुधार प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। परन्तु विभिन्न कारणों से हम इसे पूरा नहीं कर सके। मैं सभी राजनैतिक दलों से अपील करूंगा कि गत छः महीने में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए वे इस बात पर विचार करें कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से कैसे बचा जा सकता है और जहां तक सम्भव हो, संवैधानिक तरीके से हम ऐसे उपाय करें जिससे ऐसी स्थिति से बचा जा सके तथा भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तथा शान भी बढ़े।

मैंने इस सदन के सदस्यों द्वारा उन भावनाओं को सुना है और मैं इनको चुनाव आयोग तक पहुंचाऊंगा और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी बातों को दोहराया नहीं जायेगा। मुझे आशा है, इसका चुनाव आयोग के कार्यकरण पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : पिछले बार चुनावों को 25 मार्च के बजाय 21 मार्च को कराने के प्रश्न पर चर्चा करते समय यह अनुरोध भी किया गया था कि सरकार सदन की भावनाओं को चुनाव आयोग तक पहुंचायेगी परन्तु हम नहीं जानते कि ऐसा किया गया है अथवा नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसी शाम ऐसा कर दिया गया था।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आपने ऐसा कर दिया था तो भी हमें अब एक संकल्प पारित करना चाहिए जिसे आप चुनाव आयोग के पास भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

आपके थ्रू जायेगा, तो इसमें क्या प्राब्लम होगी। लास्ट टाइम जो हुआ था, उसकी आपने खबर दी या नहीं, हमें मालूम नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसे उसी शाम को भेज दिया था। ला मिनिस्ट्री ने उनको भेज दिया था।

[अनुवाद]

अब हम पुनः चुनाव आयोग के पास उचित ढंग से भेज देंगे मैं नहीं समझता कि औपचारिक तरीके से संकल्प पारित करना आवश्यक है। क्योंकि माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त कर दिये हैं। हम दल के साथ पूरे कार्यवाही वृत्तान्त को भेज सकते हैं ताकि इस सदन के विभिन्न राजनैतिक दलों के माननीय सदस्यों की राय उजागर हो सके।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : यह ठीक नहीं रहेगा। लास्ट टाइम ला मिनिस्ट्री के थ्रू ओपिनियन भेज दी गई थी। उसके बाद प्रीपोनमेंट तो नहीं हुआ। पोस्टपोनमैन्ट हो गया। इसी ढंग से लिखने का क्या मतलब रहेगा। आप कम से कम हाऊस की भी इज्जत रखिए।

[अनुवाद]

हमें अपने आप नीचे नहीं गिराना चाहिए एक बार ऐसा हो चुका है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या इस मामले में कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक है। मेरे विचार में यह उचित है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आवश्यक नहीं है। परन्तु हम संकल्प पारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में यही एक मुद्दा है। अन्यथा में पहले ही सदन की भावनाओं को उन तक पहुंचाने पर सहमत हो चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, संकल्प आवश्यक नहीं है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : संकल्प भेजना उचित नहीं होगा यह एक पूर्वोदारण स्थापित कर देगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने बहुत ही नियंत्रित ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक अथवा दो वाक्यों को छोड़कर सदस्यों ने बहुत ही उचित ढंग से सभा में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मामला जटिल तथा संवैधानिक है। हमें सदस्यों की भावनाओं को भी समझना है और संवैधानिक स्थिति को भी समझना है। संविधान की भावनाओं के अनुसार सदस्यों की भावनाओं को उचित विचारार्थ उपयुक्त व्यक्ति को भेजा जा सकता है। यदि कहीं कुछ हो जाता तो संसद की यह जिम्मेदारी है कि वह यहां संविधान के अनुरूप कार्य करे क्योंकि वह सर्वोच्च निकाय है परन्तु उसकी यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि संसद के बाहर के संवैधानिक प्राधिकरण भी इसी ढंग से कार्य करें। मैंने यह सुझाव दिया था कि हम संकल्प पारित कर

सकते हैं परन्तु मेरा यह भी विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में संकल्प पारित करना उचित नहीं होगा। हमने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। हमारी भावनाएं वहां पहुंचाई जा सकती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को उचित ढंग से उपयुक्त अधिकारी तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि इसके उचित परिणाम प्राप्त हो सकें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोग तुरन्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : में सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। हम उनकी पीड़ा समझते हैं और वे भी संवैधानिक स्थिति समझते हैं हमने बहुत ही संवैधानिक तरीके से पूरी कार्यवाही की है।

5.28 म.प.

लोक लेखा समिति

छियासीवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मैं 'बख्तरबंद वाहन "जैड", इसकी तोप और गोला बारूद का उत्पादन' के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोकसभा) के 71वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी छियासीवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

5.29 म.प.

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं "तेल और गैस का गवेषण, उत्पादन, वितरण और संरक्षण" के बारे में पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति (दसवीं लोकसभा) के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें आज नियम 377 के अन्तर्गत मामले नहीं लेने चाहिए क्योंकि अध्यादेश को पारित करना है। मुझे आशा है कि सदस्य इसे पारित करने में सहयोग देंगे।

श्री राम नाईक (बम्बई-उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं जानकारी चाहता हूं।

[हिन्दी]

कल जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था उसमें राष्ट्रपति जी के भाषण के संबंध में बात बताई थी और आज एकदम जनरल बजट का एजेंडा आया है। राष्ट्रपति का भाषण 2 महीने पहले हो चुका है और हम इनको धन्यवाद देने का काम अगर इतनी देरी से करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि बजट जल्दी पास करना चाहिए और सदन को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं।. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये सब लीडर्स से डिसकस करके किया गया है और एक्सेप्ट कर रहे थे कि लीडर्स ने आप सब को कनवे किया होगा।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, सदन को तो कनवे करना चाहिए। ...**(व्यवधान)** मैं कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह इतना डेलिकेट प्वाइंट है कि आपके उठाने से वह डिरेल हो जाता है।

श्री राम नाईक : नहीं नहीं, अध्यक्ष जी, यह प्रश्न है लेकिन राष्ट्रपति को भी ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्थिति स्पष्ट करता हूं। हमें जम्मू व कश्मीर बजट, लेखानुदान (रेलवे) और लेखानुदान (सामान्य) पारित करने हैं। हमें बजट पर चर्चा पूरी करनी है, तभी बजट को स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है। इन चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है—राष्ट्रपति जी के लिए, जोकि संसद का अभिन्न अंग है, जिनके बिना संसद अपूर्ण है—आदरणीय हैं और यदि हम प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दें और फिर चर्चा को बीच में छोड़ दें और कोई अन्य विषय ले लें तो यह अच्छा नहीं होगा। इसमें कुछ निरन्तरता होनी चाहिए। इन्ही बाधाओं और समय के अभाव के कारण सभी नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सभा में इस प्रकार कार्यवाही चलाना अधिक उचित होगा।

श्री राम नाईक : यदि यह निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जय किशोर त्रिपाठी (पुरी) : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों का क्या होगा। क्या आप इन्हें कल लेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : महोदय नियम 377 का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसको हम कल लेंगे।...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, जम्मू-कश्मीर का बजट प्रकाशन फलक से हमने चार दफा मांगा है अभी तक नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भी बात करने लगते हैं। जब जम्मू-कश्मीर का आने का है तब जरूर आयेगा।

[अनुवाद]

5.34 म.प.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक--जारी

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गिरधारी लाल भार्गव जी, आप बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि यह जो बैंकिंग वाला अध्यादेश सरकार लाई है यह बैंकिंग व्यवस्था को माकूल बनाने के लिए लाई थी जोकि सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरूप है, परंतु सरकार अध्यादेश राज के मार्फत लाई। कल भी मैंने उसका विरोध किया था और यह विरोध किया था कि 434 अध्यादेश ले आए और जून से लेकर अब तक 39 अध्यादेश आए। मान्यवर, मैंने इस प्रवृत्ति का विरोध किया था कि सरकार अध्यादेश के मार्फत लुका-छिपी के आधार पर अध्यादेश राज ले करके आगे बढ़ रही है और संसद् को वह विश्वास में नहीं ले रही है इसलिए मैंने इस अध्यादेश का निरनुमोदन का प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया था।

महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सरकार बैंकिंग बिल लाए और इसके लाने के बाद वर्ल्ड बैंक की इच्छानुसार यह बिल बन जाए, यह हमारी इसमें मूल इच्छा रही है। लेकिन इसमें सोशल आब्जेक्ट्स क्लाज को बिल्कुल नकार दिया गया है। इस प्रकार से वेलफेयर सैक्शन और जो वीकर सैक्शन ऑफ सोसायटी है उनको इससे क्या लाभ होगा, इसको भी इस बिल में इग्नोर कर दिया गया है पहला मेरा यह कहना है। दूसरा मुझे यह कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लोगों का विश्वास जगा कि बैंक मुनाफा कमाएंगे लेकिन उसके विपरीत हुआ। पिछले दो वर्षों में हिन्दुस्तान के जो प्रमुख बैंक हैं उनको साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए का घाटा, यह घाटा आश्चर्यजनक है और विलक्षणकारी है और आम जनता में संदेह जगाने वाला है। इस घाटे का ताजा उदाहरण है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है, इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया का घाटा भी 440 करोड़ रुपए का है, जिस घाटे के कारण आप इस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विलय करके सरकार किस तरह से इस घाटे की पूर्ति करेगी, खानापूर्ति करेगी या उसको राइट-ऑफ कर देगी, यह भी एक चिंता का विषय है। आप उदारीकरण तो करने जा रहे हैं, पर बैंकों को आत्म-निर्भर होना पड़ेगा, ओपन कंपीटीशन में आना पड़ेगा और विदेशी बैंकों की जो पूंजी है, उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। इस बैसाखी के सहारे हम कब तक चलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि विदेशी बैंक किस प्रकार से रेगूलेट होंगे, इनकी क्या नीतियां होंगी, सब भला-बुरा सोच कर हमको इन बातों पर विचार करना चाहिए और जो विदेशी बैंक हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इन पर कौन-सी कंडीशंस लागू होंगी। क्या विदेशी बैंक भी सोशल आब्जेक्ट्स को पूरा करने का कुछ काम करेंगे, किसानों, मजदूरों को लोन देंगे? विदेशी बैंकों पर भी इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए कि पिछड़े इलाकों में जाकर अपनी शाखाएं खोलें, तब तो हमारे बैंक कंपीटीशन में टिक सकेंगे, वरना साधन संपन्न विदेशी बैंकों के सामने, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था और आधुनिक उपकरण उनके पास हैं, उनके सामने भारतीय बैंक नहीं टिक सकेंगे, इसलिए उन पर भी इस प्रकार की पाबंदी होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा हमारे बैंकों में सेवाएं ठीक प्रकार की नहीं हैं, हम ठीक प्रकार से लोन नहीं दे पाते, इनएफीशिएंसीसी है, इन सब कमियों को भी हमको दूर करना पड़ेगा। कुछ निजी क्षेत्र के बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इनकी 6 महीने की रिपोर्ट की भी हमको जांच करनी चाहिए, इन्होंने ठीक प्रकार से काम किया है या नहीं किया है। बैंकों के घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, राइट-ऑफ करने की जो बात है, यह पैसा इंडीविजुअल टैक्सेस से वसूल किया हुआ जनता का पैसा है, इस संबंध में भी हमको विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश दो उद्देश्यों को लेकर रखे गए। जिन बैंकों के पास सरप्लस फंड्स हैं, वे अपना इक्विटी बेस घटाकर ओपन मार्केट में ले जाएं और शेयरों को अधिक दाम में बेच सकें। दूसरा कारण यह है कि जो बैंक घाटे में चल रहे हैं, जिस घाटे को बैंकों ने एक्यूमलेट कर लिया है, उस घाटे को इकट्ठा करके राइट-ऑफ कर दें, जब वो बराबर हो जाएं तो उनकी जब बैलेंसशीट साफ हो जाए, तब वो मार्केट में जाएं और अपने शेयरों को बेच सकें। इसलिए

मैं समझता हूं कि इन सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिए और जो मैंने पहले भी निवेदन किया है कि वासल कमीशन ने 1988 में जो रिपोर्ट पेश की, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाने के संबंध में, 7 साल तक सरकार सोती रही और उस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद 4 सितंबर 1993 को इसको लाया गया, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी बैलेंसशीट ठीक नहीं की, फिर इसको 4 जनवरी 1995 को लाया गया, मार्च 1994 तक तो पंजाब नेशनल बैंक ने कोई ध्यान नहीं दिया, इन सारी गलतियों की जिम्मेदारी भी किसी पर डालनी चाहिए, इन सारी बातों पर भी आप विचार करें। जो नान-परफार्मिंग असेट्स 35000 करोड़ रुपए के बड़े-बड़े लोगों के पास बकाया है, उन पर किस प्रकार से विचार होगा और देश का विकास किस प्रकार से होगा, इस संबंध में भी विचार करना चाहिए।

अंत में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, कि बैंकों के डायरेक्टर्स अनुभवी व्यक्ति हों, योग्य व्यक्ति हों, चहेते न हों, जिन पर कृपा हो गई हो, चापलूस व्यक्तियों को आप डायरेक्टर्स न बनाएं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बैंक के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं, बैंकों की व्यवस्था किस प्रकार की हो।

अध्यक्ष महोदय : बैंक का मतलब बैंको की सारी चीजों से नहीं होता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बैंकों की सारी बातें मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। विदेशी बैंकों के सामने हम मान्यवर अध्यक्ष महोदय किस प्रकार टिक सकेंगे। उस संबंध में मैंने निवेदन किया है। पुनः एक बार ये जो सात साल का गैप रहा है और हम आर्डिनेंस बार-बार जो लाए हैं इस प्रवृत्ति का विरोध करते हुए आपने जो मुझे समय दिया है, अवसर दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बोलेंगे ।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैंने नाम दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यदि हमने कार्य पूरा नहीं किया तो हमें शनिवार को भी कार्य करना होगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अन्यथा मैं आपको बोलने की अनुमति देता।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। अनेक सदस्यों ने अध्यादेश के मामले पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कदम अपरिहार्य और असाधारण स्थिति में ही उठाती है। जब सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव आया था तब तक नहीं हो रहा था। अतः सरकार ने अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया। आज हम अध्यादेश को हटाने पर विचार कर रहे हैं।

मैं अपनी बात बैंककारी विधेयक के संशोधन तक ही सीमित रखूंगा। प्रो. रासा सिंह रावत, श्री भार्गव सहित अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने को कम किया जा रहा है। मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अधिकाश बैंकों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। हालांकि बजट में भी हमने 'नाबार्ड' के धन की व्यवस्था की ताकि यदि प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कोई कमी रह जाये तो उसको पूरा किया जा सके। यह संशोधन बहुत ही सीमित है। निजी क्षेत्र के बैंकों और निगमों पर कम्पनी अधिनियम लागू होता है। 1991 में सरकार में आने के पश्चात् हमने इन बैंकों के मालिक होने के नाते पूंजी पर्याप्त के मानदंड को बनाये रखने हेतु बैंक उद्योग को अंशदान दिया है। हमने 1993 में लगभग 5700 करोड़ रुपये दिये और 1994-95 के दौरान 5600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वर्तमान मामला पंजाब नेशनल बैंक के साथ न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के विलय का है जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह सुविधा नहीं है। इसी कारण हम यह संशोधन लाये हैं। 4 सितम्बर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक से हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 4.9.93 को उक्त बैंक का कुल घाटा 433.22 करोड़ रुपए था।

न्यू बैंक ऑफ इंण्डिया की देनदारी 238.7 करोड़ रुपये की है जोकि इसकी परिसम्पत्तियों से अधिक है। पंजाब नेशनल बैंक अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट और तुलन पत्र को अभी अन्तिम रूप नहीं दे पाया है। नये प्रावधानों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक अपनी पूंजी में उक्त बैंक की देनदारी का समायोजन कर सकता है। विदेशी बैंकों सहित ये सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों से नियमित होते हैं। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि विदेशी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिएं। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन है क्योंकि गांवों में उनकी शाखाएं नहीं हैं इसलिए वे महसूस करते हैं कि वहां ऋण देना उनके लिए कठिन है। विदेशी बैंक भी प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और विदेशी बैंकों के लिए निर्यात ऋण को भी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। लघु क्षेत्र के उद्योगों को अग्रिम ऋण देने की भी शर्त है। कुल बैंक ऋण का दस प्रतिशत उन्हें दिया जाना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वह उसे एस आई डी बी आई में जमा करा सकते हैं। विदेशी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का काफी नियंत्रण है।

मैंने अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है अतः मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने अपना नाम दिया है। वह संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार के समय मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : मैंने इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया है। न्यू बैंक ऑफ इण्डिया और पंजाब नेशनल बैंक से विलय के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई है। यह मामला 1993 में सामने आया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बोल चुके हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता थी? क्या कोई असाधारण स्थिति भी थी? यह सत्ता का दुरुपयोग है। इससे सरकार की अकर्मण्यता का पता लगता है।

अध्यक्ष महोदय : जब आपने संकल्प प्रस्तुत किया था, तो यह बात अवश्य कही होगी।

श्री लोकनाथ चौधरी : इससे सरकार की अकर्मण्यता का पता लगता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अभी संकल्प पेश किया है। आप नहीं बोले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भी इस को मान रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : उन्होंने इस को स्वीकार किया है। यह बीमार बैंकों को स्वस्थ बैंकों के साथ मिलाने का मामला है। मैं नहीं जानता इसका उद्देश्य क्या है। क्या बीमार बैंक स्वस्थ बैंकों को प्रभावित करेंगे अथवा क्या स्वस्थ बैंक अपना प्रभाव उन पर डालेंगे। यह ऐसा प्रश्न हैं जिसका सरकार को बारीकी से अवलोकन करना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी बैंक प्रणाली में क्या हुआ है? कल श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने कहा था कि किसानों के 10,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर देने के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुआ है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अब 38,000 करोड़ रु. का ऋण खतरे में है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैंने ऐसा नहीं कहा था मैंने कहा था कि ऋण माफी से यह संकट उत्पन्न हुआ है। मैंने ऋण वसूली वातारण को दूषित करने के शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने इतना ही कहा था।

श्री लोकनाथ चौधरी : 38,000 करोड़ रुपयों का ऋण ऐसा हैं जिसे वसूल करना कठिन है। इसमें से 28,000 करोड़ रुपये निगमित क्षेत्र में हैं। यह एक बड़ी राशि नहीं है। यह एक छोटी राशि है। इससे पता लगता है कि बड़े लोगों को बैंकों पर प्रभाव है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हं कि बड़े लोग 28,000 करोड़ रुपये को अशोध्य ऋण बना सकते हैं और 38,000 करोड़ रुपये कुल राशि है तो यदि गरीब लोगों को 10000 करोड़ रुपये माफ कर दिये जाते हैं, तो इससे सारी बात पर असर नहीं पड़ता। यह केवल एक दृष्टिकोण है। गरीब लोगों की ओर न देखने, बड़े लोगों की ओर देखने और उन्हें सारी सुविधा देने का रवैया सरकार का नहीं है बल्कि बैंकों का है। वे हमेशा उन लोगों को ऋण देना पसन्द करते हैं जिसके पास परिसम्पति है। यह एक प्रथा बन गई है और यहां पर बैंक असफल रहे हैं। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए भी ऋण नहीं दिये गये। जो लोग ऋण ले रहे हैं, वास्तव में यह धन उनके पास नहीं जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को देखें कि बैंक उन लोगों को अग्रिम ऋण दें जिन्हें सरकार तथा विभिन्न संस्थान देना चाहते हैं अर्थात् गरीबी हटाओ कार्यक्रम हेतु गरीब लोगों का यह धन बैंक कर्मचारी तथा अधिकारी ही हड़प जाते हैं। एक बड़ा भाग वही ले जाते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। यह एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सरकार इसी पर निर्भर करने जा रही है। वर्तमान बजट से भी यह संकेत मिलता है गरीबी हटाओ कार्यक्रमों पर अधिक राशि कम की जायेगी। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान प्रथा को ठीक किया जाये। यदि इसे ठीक नहीं किया जाता है तो बैंकों में और संकट उत्पन्न होगा। क्योंकि जो लोग ऋण का 50 प्रतिशत भी नहीं लेते हैं क्योंकि वे वापस करने की स्थिति में नहीं होते और न ही वे परिसम्पत्तियां बनाने की स्थिति में हैं और इसी से संकट उत्पन्न होता है। अतः वे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि जवाहर रोजगार योजना अथवा गरीबी हटाओ कार्यक्रम अथवा प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत इन लोगों को ऋण देना गलत है।

मंत्री महोदय को किसी स्तर पर एक निगरानी कक्ष बनाना चाहिए जिससे कि धन उन लोगों के पास पहुंचे जिनके लिए वह है।

मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं और अपने संकल्प पर कायम हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 21 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेंगें श्री सुशान्त चक्रवर्ती।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण आपने मुझे पहले बोलने का मौका नहीं दिया हालांकि मेरे दल ने मेरा नाम दिया था। सरकार ने बिल सोचे समझे ढंग से अध्यादेश जारी करने की शैली अपना ली है मै उसके प्रति अपना विरोध दर्ज करने के लिए केवल तीन, चार मिनट का समय लूंगा।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है इसका उद्देश्य केवल निजी क्षेत्र के बैंकों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने का है। इस विशेष मामले में न्यू बैंक आफ इंण्डिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1993 में ही हो गया था। अब चूंकि न्यू बैंक आफ इंडिया को घाटा हुआ है, इस लिए सरकार के पास इन विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री एक बात पर विचार करे इस विलय के बाद न्यू बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी। क्या उनको पिछले लाभ दिये जायेंगे अथवा नहीं? इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यू बैंक के घाटे के बारे में मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। क्या सरकार ने पहले कभी इस बात पर विचार किया था कि बैंकों में उचित लेखापरीक्षा नहीं होते हैं। क्या सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने पर सहमत होगी।

बैंकों की आपसी शाखाओं के बीच लेखों के मिलान का काम लंम्बित क्यों है जिसके कारण बैंकों के कार्यनिष्पादन की सही तस्वीर सामने नहीं आती। क्या वर्षों में धीरे धीरे समय पूंजी को कम करने का कारण यह है कि जो प्रभारी है उनकी जवाबदेही बहुत कम है। वे दोषी हैं। दोषियों के नाम प्रकाशित करने में क्या हानि है। इन दोषियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है। हमारे देश के बैंकों के कार्य में कभी सुधार नहीं होगा।

अन्त में, यह बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने ग्रामीण बैंकों को पुनगर्ठित करने का आश्वासन दिया था। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कमजोर वर्गों की आवश्यकताओ को पूरा करते हैं। ये देश के दूरदराज जिलों में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनगर्ठित का कार्य चरण-बद्व ढंग से ही किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसी बीच रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिया है कि ग्रामीण बैंक अधिक से अधिक कमजोर वर्गों को ऋण देने के बजाय लाभ क्षेत्रीय अधिक जोर दें। यह इन बैंकों को स्थापित किये जाने के उद्देश्यों से हटकर है। इस का अर्थ है कि सरकार उन संस्थानों को भी बाजार शक्तियों से बाहर करना चाहती जो कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह पुनर्गठन का कार्य शीघ्र पूरा करें और सुनिश्चित करें कि हमारे देश के बैंक अपनी बुराईयों पर काबू पा सकें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप चाहें, तो उत्तर दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनगर्ठन का कार्य सरकार कर रही है और शीघ्र ही कोई रूप दे दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन विधेयक पर कार्य पूरा करने को सहमत है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ) : इस विधेयक पर सहमत हैं। परन्तु 'सेबी' एक महत्वपूर्ण विधेयक है और अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि अब हमारे अनुरोध को स्वीकार करें तो इसे कल लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कल शुक्रवार है।

श्री जसवन्त सिंह : हम इसे कल समाप्त कर देंगे। इसके लिए पर्याप्त समय है।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा ही करेंगे। परन्तु कल सूची बाहय कार्यों के लिए समय बहुत सीमित होगा।

श्री जसवन्त सिंह : वासुदेव जी कह रहे है कि आधा घण्टा पर्याप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत उचित सुझाव है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए ऋण देते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक इन पर बारीकी से नजर रखेगा।

6.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अतंरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर, खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

> "कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियम और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पारीत करने हेतु प्रस्ताव करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है +

'कि विधेयक को पारित किया जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : हम श्री वसुदेव आचार्य का धन्यवाद करते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा, कल 24 मार्च, 1995 को समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

601म.प.

तत्पश्चात, लोकसभा शुक्रवार, 14 मार्च, 1995 3 चैत्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।